राजस्थान विधान सभा

४१वीं बैठक, वृहस्पतिवार, दिनांक ३-मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री तनसिंह

प्रश्न संख्या ७७४

थाना गिड़ा (जि० बाडमेर) के एक ग्राम में डाका एवं उस पर पुलिस कार्यवाही

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की ओर से)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में गिड़ा थाने के किसी गांव में हाल ही कोई डाका डाला गया है ? यदि हां, तो उस डाके में कितनी सम्पत्ति लूटी गई ?

(ख) यह डाकू दल कौनसा था और पुलिस ने उसका पीछा करने का क्या प्रयास किया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) — (क) जी हां।

(ख) इस डकैती में ६६, ३०८ रु० १२ आने ३ पाई की सम्पत्ति लूटी जाने की सूचना है।

(ग) जैसलमेर जिले के बसियान के भाटी राजपूतों का दल था उनको बन्दी बनाने के समस्त सम्भव प्रयास किये गये।

श्री जवानसिंह—उनका सरदार कौन था ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष—लीडर कौन था ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, महाराज श्री केसरीसिंह।

प्रश्न संख्या ७७५

सन् १९५२ में मगर व मच्छियों के ठेके से प्राप्त धनराशि विशेतयाः कोटा डिवीजन में

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने मगर और मछलियों के ठेके सन् १९५२ में कितनी धन राशि में दिये थे ?

(ख) कोटा डिविजन का ठेका किसको दिया गया था और उसकी कितनी धन-राशि आई ?

(ग) क्या उपरोक्त ठेके में अबेडा के तालाब के पालतू मगर भी शामिल थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या (कृषि मन्त्री की ओर से,)—(क) कृषि विभाग द्वारा मछलियां एवं मगर के ठेके सन् १९५०-५१ से देने शुरू हो गये थे। जब से प्रति वर्ष ठेके दिये जाते हैं।

(ख) निम्नलिखित वर्षों में भिन्न भिन्न धनराशि के ठेके हुए हैं :

सन् १९५०-५१	रु०	२,२१,०५६
सन् १९५१-५२	,,	१,३४,०४६
सन् १९५२-५३	,,	६५,६६७
सन् १९५३-५४	,,	७७,२१२
सन् १९५४-५५	,,	६१,९२२
सन् १९५५-५६	,,	६५,७५६

(ग) कोटा डिविजन का ठेका एक ही आदमी को नहीं दिया गया है, ठेके भिन्न २ आदमियों के नाम से प्रतिवर्ष होते हैं और भिन्न २ धनराशि पर होते हैं। ठेकों से अब तक अनुमानतः २५,६४४ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।

Page No 3

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(घ) इस विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पालतू मगर भी होते हैं। धार्मिक स्थानों को छोड़कर अन्य समस्त स्थानों के ठेके दिये जाते हैं।

महाराजा श्री केसरीसिंह—क्या इस ठेके में अबेडा का तालाब भी था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर स्थान का नाम पूछा होता तो सूचना प्राप्त करके बताता।

महाराजा श्री केशरीसिंह—प्रश्न के 'ग' भाग में स्पष्ट है, अबेडा का तालाब।

श्री अध्यक्ष—क्या उपरोक्त ठेके में अबेड़ा के तालाब के पालतू मगर भी शामिल हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह प्रश्न पूछा गया था उस लिस्ट में तो यह नहीं था। छपी हुई लिस्ट में आ गया है। दूसरे तालाबों का दिया तो इसका भी दिया होगा।

राज श्री हिम्मतसिंह—आपने कभी यह तालाब देखा था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं। देखने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वहां मगर-मच्छ भी मारे जाते हैं।

(हंसी)

राज श्री हिम्मतसिंह—पाले जाते हैं या मारे जाते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मारे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—हमारे पास उत्तर आया उसमें था।

श्री भोगीलाल पंड्या—कापी भेज दी गई।

श्री अध्यक्ष—आपने हमारे यहां कापी भेजी है। 'ग' भाग है।

श्री भोगीलाल पंड्या—'ग' इसका तो मैंने जवाब दे दिया था कि धार्मिक स्थानों को छोड़कर अन्य समस्त स्थानों के ठेके दिये जाते हैं।

राज श्री हिम्मतसिंह—यह सूचना किस विभाग ने दी थी ?

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

टिप्पणी—उपरोक्त प्रश्न में 'घ' भाग प्रश्न सूची में नहीं था, किन्तु सदन में उत्तर पढ़ा गया।

प्रश्न संख्या ७७६

जेल विभाग के कर्मचारियों को सरकारी व्यय पर सुविधायें देने के प्रश्न पर पुनर्विचार

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की ओर से)— क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जेल विभाग के कर्मचारियों को सरकारी खर्चे पर क्या, क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान निर्माण के बाद उनकी बहुत सी सुविधाओं में कटौती कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने का कष्ट उठायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जेल विभाग के कर्मचारियों को जिनको २४ घंटे जेल पर रहना होता है उनको रहने के लिए मकान बिना किराये, चिकित्सा बिना फीस दवाइयां बिना पैसा और सफाई के लिए प्रबन्ध किया गया है ।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं। नियमानुसार कटौती नहीं की गई।

टिप्पणी—(ग) भाग का उत्तर नहीं दिया गया ।

प्रश्न संख्या ७७७

गंगापुर (जिला सवाईमाधोपुर) के मुहाफिज एवं उनके परीक्षाफल इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. गंगापुर सब डिविज़न, जिला सवाई माधोपुर में मुहाफिजों की कितनी संख्या है ?

२. उक्त मुहाफिजों में कौन कौन मुहाफिजों को परीक्षा मे उत्तीर्ण घोषित किया गया है ?

३. किस किस मुहाफिज की कितनी कितनी साल की सर्विस है ?

[श्री चांदमल मेहता]

४. कौन कौन कर्मचारी मुहाफिज़ों के स्थान पर कितने कितने समय से काम कर रहे हैं ?

५. परीक्षा होने के बाद कौन कौन मुहाफिज जयपुर में ऑन ड्यूटी रहे और किस काम के लिए रहे ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—१. गंगापुर सब डिविज़न, जिला सवाई माधोपुर में मुहाफिज़ों की संख्या ३३ है।

(२), (३) और (४) के उत्तर संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट १' देखिये)

५. परीक्षा होने के बाद कोई मुहाफिज ओन ड्यूटी जयपुर में नहीं रहा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि परीक्षा होने के बाद ज्ञानसिंह जयपुर में कैद रखा गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ज्ञानसिंह को इस बात की जांच करने के लिए बुलाया गया था कि वह पढ़ा लिखा है या नहीं। एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने उसकी जांच की और यह मालूम हुआ कि वह पढ़ा लिखा है इसलिए उसको वापिस भेज दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—कितने समय के लिए श्री ज्ञानसिंह को जयपुर में रखा गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कितने समय के लिए यहां रखा गया ठीक टाइम तो मुझको मालूम नहीं है। लेकिन उसको बुलाया गया था, जांच की गई और वापिस भेजा गया।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि कौन कौन मुहाफिज जयपुर में ऑन ड्यूटी रहे और किस काम के लिए रहे। इसके उत्तर में एक ओर तो यह बताया गया कि जयपुर में कोई भी नहीं रहा और ज्ञानसिंह के बारे में कहा जाता है कि वह रहा, और कितने समय के लिए रहा तो जानकारी का नहीं होना बताया। इस तरह के उत्तर सदन में देना उचित नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरा उत्तर यदि आपने सुना होता तो आपको मालूम होता कि किसी को यहां नहीं रखा गया। ज्ञानसिंह के बारे में शिकायत आई थी कि पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए उसको जांच करने के लिए बुलाया गया था।

श्री चांदमल मेहता—जांच के लिए उसको जयपुर में कितने दिन रखा गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिए नोटिस चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—इनका पहले भी प्रश्न था जिसमें एलीगेशन लगाए थे कि पढ़ा लिखा नहीं था और जयपुर में उसे रखा गया ।

श्री भोगीलाल पंड्या—लिखा पढ़ा नहीं है इस बात की शिकायत जब आई तो उसको यहां बुलाया गया और एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने उसकी जांच की और परीक्षा ली तो मालूम हुआ कि वह पढ़ा लिखा है इसलिए उसको वापिस भेजा गया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उसको १५ दिन तक सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के बंगले पर कैद रखा गया और लिखना पढना सिखलाया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उसको खाली जांच करने के लिए बुलाया गया था और जांच करने के बाद वापिस भेज दिया गया ।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच किस अधिकारी ने की कि वह पढ़ा लिखा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने ३ दफा बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जांच की थी और कितनी बार बताऊं ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह जांच की गई उस समय परीक्षा का जवाब उसने अपने हाथ से लिखा था या दूसरे आदमी ने लिखा था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह प्रश्न अलग से पूछिये । आप तो सूचना दे रहे हैं । यदि आवश्यकता हुई तो जानकारी प्राप्त करेंगे ।

श्री चांदमल मेहता—यह सब प्रश्न के अन्तर्गत आ जाता है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—स्पष्ट नहीं पूछेंगे तो मैं अन्तर्यामी तो हूं नहीं कि अन्दर की बात का पता लगा सकूं ।

श्री चांदमल मेहता—आप यह कह रहे हैं कि वह पढ़ा लिखा है आपने उसकी जांच की थी, तो क्या इस जांच के अन्दर इस बात का पता नहीं लगाया गया कि उसने जो जवाब दिये वे उसके हाथ के लिखे हुए थे या किसी दूसरे के हाथ के लिखे हुए थे ?

श्री अध्यक्ष—पहले भी इन्होंने यह सवाल पूछा था उस समय भी यही ऐलिगेशन लगाते थे कि दूसरे के हाथ से लिखाया गया था।

श्री भोगीलाल पंड्या—एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इसकी जांच की गई थी, सही नहीं मालूम हुआ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सही नहीं मालूम हो रहा है ? क्या जो जवाब लिखे हैं वे ज्ञानसिंह के हाथ से लिखे गए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आपका ख्याल ही है कि उसके हाथ के नहीं हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री चांदमल मेहता—ख्याल नहीं, मैं इतमीनान चाहता हूं। एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने कॉपी देखकर इतमीनान किया था या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, उन्होंने जांच कर ली होगी।

श्री चांदमल मेहता—जांच कर ली होगी यह नहीं चाहिये, सही जवाब चाहिये।

प्रश्न संख्या ७७८

नजर बन्द कैदियों द्वारा सरकार के विरोधी समाचार पत्रों की मांग ठुकराना

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नजरबन्द कैदियों के लिए उनके पैसों से अखबार खरीदने की छूट है ?

(ख) क्या यह सही है कि सिर्फ वे समाचार पत्र नहीं लिए जाते हैं जो हिंसा से सरकार को पलटने के पक्षपाती या प्रशंसक हों ?

(ग) क्या यह सही है कि किसी नजर बन्द ने अपने पैसों से 'वीर अर्जुन' दिल्ली 'राष्ट्रदूत' व 'नवयुग' दैनिक मांगने के लिए नियमानुसार सु० पुलिस, जिला टोंक से स्वीकृति मांगी थी, किन्तु सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने 'नवयुग' को छोड़कर और किसी भी पत्र की स्वीकृति नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार उक्त पत्रों का डिक्लेरेशन जब्त करने के लिए विचार कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी हां।

(ख) नजर बन्दियों के लिये नियमानुसार वे ही अखबार दिये जा सकते हैं जो कि स्वीकृत सूची में हों।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। जेल टोंक में श्री तनसिंह ने खास तौर से 'राष्ट्रदूत' व 'वीर अर्जुन', देहली की मांग की थी जो उनको दिये जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवानसिंह—क्या इन पेपर्स के अलावा भी दूसरे पेपर देने का सरकार प्रबन्ध करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ और पेपर्स भी दिये जाते हैं।

प्रश्न संख्या ७७६

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—यह प्रश्न आगे लिया गया है)

प्रश्न संख्या ७८०

ग्राम जतीपुरा (त० सरवाड़) के तालाब के अन्तर्गत सिंचाई भूमि एवं तालाब का जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम जतीपुरा, तहसील सरवाड़ के तालाब के पीछे आबपाशी की कितनी भूमि है ?

(२) राजस्थान के निर्माण के बाद उक्त तालाब कितनी मर्तबा टूटा और कितनी मर्तबा राज्य सरकार द्वारा उसकी मरम्मत कराई गई ?

(३) जतीपुरा के निवासियों ने कब २ कितने २ रुपये उक्त तालाब पर खर्च किये ?

Page No 9

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) ३५० बीघा।

(२) बिल्कुल नहीं।

(३) एक मर्तबा।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्रीजी की जानकारी में है कि यह तालाब प्रतिवर्ष टूटता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो आप सूचना दे रहे हैं। विभाग की जानकारी में सिर्फ एक वर्ष टूटा था।

श्री चांदमल मेहता—क्या आपको यह जानकारी है कि विभाग सही जानकारी नहीं देता है। क्या आप यह जानकारी करेंगे कि यह तालाब प्रतिवर्ष टूटता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सही जवाब दे दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—आप मेरा चेलेन्ज एक्सेप्ट करके जानकारी करिये।

श्री भोगीलाल पंड्या— आप एक बार फिर लिख कर भेजिए, मैं जानकारी करा लूंगा।

प्रश्न संख्या ७८१

ग्राम शामिया (त० पचपहाड़) में स्थानीय विकास के अन्तर्गत तालाब बनाया जाने की योजना की स्वीकृति

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम शामिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड में लोकल डवेलपमेंट के तहत एक तालाब बनाये जाने की योजना स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो उससे कितनी जमीन की सिंचाई संभावित थी ?

(२) उक्त योजना के क्रियान्वित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—(१) ग्राम शामिया, तहसील पचपहाड में लोकल डेवेलपमेंट के तहत एक तालाब बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन थी। मगर वहां की जनता उसके बनाने के विरूद्ध थी। अतः उसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(२) इस नाम की योजना से लगभग ८०० एकड भूमि की सिंचाई का अनुमान था।

(३) हां।

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या यह सही है कि २, ३ आदमियों ने ही उसका विरोध किया था, सारे गांव ने विरोध नहीं किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले ऐसी सूचना मिली थी कि गांव वाले विरोध करते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि कुछ लोग विरोध करते हैं। फिर दर्ख्वास्त आई कि कुछ लोग तालाब बनाना चाहते हैं, तब कलेक्टर को मौके पर भेजा गया तब सब लोगों ने कह दिया कि तालाब नहीं बनाना चाहिये क्योंकि जमीन बहुत डूबती है।

प्रश्न संख्या ७८२

राजस्थान निर्माण के पश्चात् मुन्सिफ न्यायालय की समाप्ति—विशेषतया: किशनगढ़ में

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के निर्माण के बाद कितने मुन्सिफ न्यायालय भंग किये गये ?

(२) ऐसे कितने मुन्सिफ न्यायालय हैं जिनके भंग करने के आदेश वापिस ले लिए गए ?

(३) उक्त न्यायालयों में मुकद्मात की औसत कितनी २ थी ?

(४) ऐसे कौन कौन स्थान हैं, जहां मुन्सिफ न्यायालय भंग होने पर मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट के सम्मिलित न्यायालय कायम कर दिये गये हैं ?

(५) किशनगढ़ में मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट का सम्मिलित न्यायालय नहीं बनाने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) राजस्थान में सिविल व सेशन्स कोर्ट का जुडिशल सेटअप सन् १९५० से लागू हुआ (इस सेटअप में ८४ मुन्सिफ न्यायालय रखे गये थे) उसमें से अब तक ३१ मुन्सिफ न्यायालय भंग किये गये हैं।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(२) निम्नलिखित ३ स्थानों के मुन्सिफ न्यायालयों को परिवर्तन करने के आदेश जारी कर दिये गये थे, परन्तु परिवर्तन करने के आदेश कार्यरूप में परिणित होने से पूर्व ही उनको जारी रखने के आदेश कर दिए गए थे;

(१) कपासन (२) बूंदी (३) बांसवाड़ा।

(३) कपासन, बूंदी व बांसवाड़ा के मुन्सिफ न्यायालयों में गत ३ वर्ष के अंकों के आधार पर मुकदमों की औसत वार्षिक संख्या निम्न प्रकार है :

(क) बूंदी २२०

(ख) कपासन २७५

(ग) बांसवाड़ा १७५

(४) ऐसे कोई स्थान नहीं हैं जहां पहले मुन्सिफ न्यायालय हों और बाद में उनको भंग करके सम्मिलित मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये गये हों, अलबत्ता कुछ जगह मुन्सिफों को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—आगे का जवाब किशनगढ़ के बारे में नहीं मिला।

श्री रामकिशोर व्यास—किशनगढ़ में दो सिविल न्यायालयों के लिये पर्याप्त काम न होने के कारण मुन्सिफ का न्यायालय भंग करना ही उचित समझा गया और जब मुन्सिफ न्यायालय ही न रहा तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कायम करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जहां से आदेश वापिस लिये उनके मुकाबले में किशनगढ़ में मुकदमों की औसत संख्या ज्यादा थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या औसत थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग से पूछें तो बता सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मैं चेलेन्ज करता हूं कि बांसवाडा से वहां संख्या ज्यादा थी।

श्री रामकिशोर व्यास—२ अदालतों का काम वहां नहीं था। मुन्सिफ का अधिकार सिविल जज को दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या ७८३

दुर्गापुरा (त. सांगानेर) स्थित शासनीय कृषि फार्म का वार्षिक आय-व्यय

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(अ) दुर्गापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित सरकारी कृषि फार्म का सालाना खर्चा व आय क्या है ?

(ब) सालाना फलों के पौधे किस दर से दिये जाते हैं ?

(स) सालाना कितने पौधे बिक जाते हैं और इससे क्या आय होती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—(अ) (ब) (स) इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री केसरी सिंह—अध्यक्ष महोदय, तालिका मिली नहीं।

श्री भोगीलाल पंड्या—टेबल पर रख दी गई थी। आप कहें तो पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—हमारे यहां तो नहीं आई।

श्री भोगीलाल पंड्या—भेज दी गई थी।

श्री अध्यक्ष—कहां भेजी थी ? यहां तो नहीं आई। अब दे दीजिये। See that it is delivered.

तालिका दी किस को ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पता नहीं। ओफिस से भेजदी गयी, बताया।

प्रश्न संख्या ७८४

१ जनवरी, १९५५ के पश्चात् किशनगढ़ में डकैतियां उनमें लूटा गया माल इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 13

[श्री चांदमल मेहता]

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद किशनगढ़ सब डिविज़न में कुल कितनी डकैतियां हुई ?

(ख) प्रत्येक डकैती में कितना कितना माल लूटा गया और किस किस डकैती में कितना कितना माल बरामद कराया गया और कितने कितने डाकू गिरफ्तार किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद किशनगढ़ सब डिविज़न में ३ डकैतियां हुई ।

(ख) और (ग) विवरण इस प्रकार हैं :

क. नं.	मु. नं.	अपहृत संपत्ति	बरामद की हुई संपति	बन्दी बनाये डाकू
१.	मु. नं. १ ता. १६. १. ५५ धारा ३९५ भा. दं. स. थाना कोतवाली किशनगढ़, गोरधनपुरा डकैती केस	२००.	१५५ रु०	१. किशोरसिंह २. बालसिंह ३. मोदिया
२.	मु० नं. ६ ता. १६. २. ५६ धारा ३९५ भा. दं. स. थाना सरदार पीपरोली डकैती	६४६ रु०	५७१ रु०	लछमनगढ, भरा, शंकरसिंह, छोटिया और नारायन
३.	मु. नं. ८ धा ३९५, ३९७ भा. दं. सं. थाना कोतवाली किशनगढ़ ता० २४. २. ५६ ।	३६५६१ रु. ३ आ. ६ पा.	०	०

श्री चांदमल मेहता—यहां बरामदगी नहीं होने और गोरधनपुर में बरामदगी होने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—तफतीश की जा रही है, तफतीश पूरी हो जाने पर ही यह बताया जा सकता है ।

श्री चांदमल मेहता—तफतीश कौन अधिकारी कर रहा है और क्या यह सही है कि पुलिस की गड़बड़ी के कारण माल बरामद नहीं हुआ ।

श्री रामकिशोर व्यास—पुलिस के अधिकारी तफ्तीश कर रहे हैं, और दूसरी बात सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—नरवर में तफ्तीश कर रहे हैं, वे कौन अधिकारी हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—नाम का मुझे पता नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के सामने ऐसी बात आई है कि गोरधनपुर में जो सही डाकू थे उनको छोड़ दिया और नकली बरामदगी करके फर्जी मुकदमा बनाया इसलिए केस नाकामयाब रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं, अभी चालान ही नहीं हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि गोरधनपुरा के केस का चालान हो गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, उसका तो हो चुका है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि गोरधनपुरा में पुलिस ने मिलकर असली मुल्जिमान को छोड़कर नकली मुल्जिमान का चालान किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—नकली असली का पता तो अदालत फैसला करेगी तब चलेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि नकली मुल्जिमान का चालान करने से मुल्जिम छूट गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह केस अभी सब ज्यूडिस है।

श्री चांदमल मेहता—नहीं साहब, फैसला हो गया है।

श्री रामकिशोर व्यास—तो ठीक है, जो फैसला दिया वह ठीक है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने जांच की है कि क्यों गड़बड़ी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसा कोई फैक्ट गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं लाया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय अब इस मामले की जांच करने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—कोई स्पेसिफिक प्रूफ दें, प्रमाण दें तो अवश्य जांच की जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७८५

सन् १९५२ मे १९५५ तक राजस्थान में हुई डकैतियों में हत्यायें एवं मृतक व्यक्तियों के परिवार वालों को शासकीय सहायता

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में १९५२ से १९५५ तक कुल कितनी डकैतियां हुईं और उनमें से कितनी बरामद हुईं ?

(ख) सब से ज्यादा मालियत की डकैती कहां हुई और उसमें कितना माल गया ?

(ग) कुल कितने आदमियों की जानें डकैतों द्वारा ली गईं और उनके घर वालों को सरकार की ओर से क्या मुआवजा दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) १७१।

(ख) ३५४

(ग) दिनांक ३१-३-५४ मांडलगांव, पाली डिस्ट्रिक्ट के तहत। करीब २४ आदमी जनता के मारे गये और ३६ पुलिस कर्मचारी डकैतों द्वारा मारे गये, उनके परिवार वालों के लिए पेन्शन और ग्रेच्युटी की व्यवस्था नियमानुसार कर दी गई। सबसे ज्यादा मालियत की डकैती में १, ११, ६७५ रुपये ९ आ० ३ पा० का माल गया।

महाराज श्री केसरीसिंह—यह डकैती कौनसी डिस्ट्रिक्ट में हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—पाली में बताया न।

प्रश्न संख्या ७८६

सिवाना तहसील में मवेशियों की चोरी एवं उनकी बरामदगी

श्री मोटाराम—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(१) तहसील सिवाने में इस वर्ष कितने मवेशियों की चोरी हुई ?

[श्री मोटाराम]

(२) इन चोरियों में से कितने मवेशी वापिस बरामद हुए ?

(३) चोरियां करने वालों में से ज्यादा किस कौम के आदमी हैं ?

(४) क्या वहां ऐसी प्रथा है कि बगैर चौथ दिये मवेशी नहीं रख सकते ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या सरकार को विदित है कि चौथ नहीं देने वाले व्यक्ति के मवेशी जल्दी ही चुरा लिये जाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—(१) एक भी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोटाराम—आपने फरमाया कि सिवाना तहसील में एक भी चोरी मवेशी की नहीं हुई, मैं बताना चाहता हूं कि करीब ५०; ६० हुई हैं और हमारे गांव में खुद में चोरियां हुई हैं। यह बिल्कुल गलत जवाब है।

श्री रामकिशोर व्यास—आपका प्रश्न इस साल के बारे में है, आप कहते हैं वे चोरियां १९५४ में हुई होंगी। आपने इस साल का प्रश्न पूछा है इसलिये इस साल का जवाब दिया गया है।

प्रश्न संख्या ७८७

ग्राम कांकर त० पाटन में स्थित बांध के निर्माण से ग्रामवासियो को क्षति एवं उस क्षति की सरकार द्वारा पूर्ति

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) ग्राम कांकर तहसील पाटन, जिला बूंदी में स्थित बांध किस नदी पर है और किसके द्वारा बनाया हुआ है ?

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(२) इस बांध का पानी किस काम में आता है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस बांध को ऊंचा उठाया गया है ? यदि हां, तो कितने फीट और किसके आदेश से ?

(४) क्या यह सही है कि इस बांध को ऊंचा उठाने से कांकरा की जनता की उगी हुई फसल डूब गई ?

(५) यदि हां, तो किस किस ग्रामीण का कितना कितना नुकसान हुआ ?

(६) क्या ग्रामीणों को मुआवजा दिया गया है ?

(७) क्या कांकरा सखावदा के ग्रामीणों ने जिलाधीश को इसकी शिकायत की थी ? यदि हां, तो किस तारीख को और सरकार ने उनका क्या समाधान किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) ऐसा न कोई बांध सिंचाई विभाग ने बंधाया है और न ऐसा बांध उसके आधीन है।

(२) (३) (४) (५) (६) और (७)—प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ७८८

सूरतगढ़ में सरकार द्वारा मेकेनाइज्ड फार्म खोलने की योजना एवं इससे किसानों को होने वाली सुविधायें

श्री मनफूलसिंह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या सरकार ने सूरतगढ़ में एक मेकेनाइज्ड फार्म खोलने का निश्चय किया है ?

(ब) क्या सरकार का इस फार्म को कलेक्टिव फार्म का रूप देने का विचार है ?

(स) इस फार्म से किसानों को क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी ?

(द) सरकार ने फार्म के अन्तर्गत आने वाले गांवों के संबन्ध में क्या कोई योजना बनाई है ?

Page No 18

श्री भोगीलाल पण्ड्या—(अ) राजस्थान में एक मेकेनाइज्ड फार्म शुरू करने का निश्चय हो चुका है। इस फार्म के स्थापन में सूरतगढ़ का नाम भी है। लेकिन इस विषय में भारत सरकार का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

(ब) हां।

(स) फार्म को क्या रूप दिया जायेगा, इस बारे में अभी आखिरी निश्चय नहीं हुआ है।

(द) स्थान निश्चित होने पर फार्म में आने वाले गावों के लोगों के पुनःस्थापन का संपूर्ण प्रबंध किया जावेगा। व इनको हस्ब जाबता मुआवजा व एवज में काश्त करने के लिए जमीन भी दी जायगी।

इन विषयों पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फार्म स्थापना होने के बाद ही इन पर विचार किया जा सकता है।

श्री मनफूलसिंह—क्या यह सही है कि कुछ फार्मों की जमीन भी ले ली गई है?

श्री पण्ड्या—जी नहीं।

श्री मनफूलसिंह—यह फार्म किसकी ओर से खोला जा रहा है?

श्री पण्ड्या—यह रशियन फार्म होगा, ऐसा कहा जाता है।

श्री मनफूलसिंह—इस पर खर्चा किसका होगा?

श्री पण्ड्या—अभी तक पूरी डिटेल में बात हुई नहीं है, इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—इस फार्म से राजस्थान की जनता को क्या फायदा होगा?

श्री पण्ड्या—अच्छा सुधरा हुआ बीज मिलेगा, यह बीज राजस्थान के अन्दर भी दिया जायगा और बाहर भी भेजा जायगा। इसके अलावा किस तरह फसल अच्छी हो सकती है, किस तरह घास को सुरक्षित और अच्छी हालत में रखा जा सकता है, यह सब बातें यहां के लोग सीखेंगे।

एक माननीय सदस्य—क्या अच्छा बीज राजस्थान सरकार द्वारा तकसीम किया जायगा या भारत सरकार द्वारा।

श्री पण्ड्या—यह सब बातें फार्म बन जाने के बाद ही बताई जा सकती हैं।

एक माननीय सदस्य—क्या खेती के बारे में भी यहां के लोगों को सिखाया जायगा कि इस तरह अच्छी खेती की जाती है ?

श्री पण्ड्या—यह बाद में निश्चय होगा।

एक माननीय सदस्य—इसमें कितनी गवर्नमेंट की जमीन होगी और कितनी किसानों की होगी ?

श्री पण्ड्या—यह अभी निश्चित नहीं है। ३००० एकड़ जमीन होगी ऐसा कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७८६

पिछले दो वर्षों में सरवाड़ देवली रोड पर मोटर एक्सीडेंट एवं उससे मरे व्यक्ति इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले दो वर्षों में सरवाड़ देवली रोड पर मोटरों के कुल कितने एक्सीडेंट हुए ?

(२) उक्त एक्सीडेन्ट में कितने व्यक्ति कब कब, मारे गये और कितने व्यक्ति कब कब आहत हुए ?

(३) किस किस व्यक्ति के खिलाफ कब कब किस किस जुर्म में पुलिस सरवाड़ द्वारा मुकदमा चालान किया गया और किस किस को कब कब सजा हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) ३।

(२) मारा कोई नहीं गया। १४ आदमी घायल हुए, उनका विवरण इस प्रकार है :

१. ७:२: ५४ को

१०. १५:६: ५४ को

३. २५:७: ५४ को

[श्री रामकिशोर व्यास]

३. ड्राइवर श्यामलाल की तारीख ६. ४. ५४ को धारा २७९, ३३८ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत चालान किया गया।

ड्राइवर ग्यारसीलाल का तारीख २६. ६. ५४ को धारा २७९, ३३७, ३३८ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत चालान हुआ तथा तारीख २९. ७. ५५ को सजा हुई।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने मामले हैं कि एक्सीडेंट हुए पर पुलिस ने चालान नहीं किये ?

श्री रामकिशोर व्यास—चालान हुए वह बता दिये बाकी आप समझ लीजिये कि एक्सीडेंट नहीं हुए।

श्री चांदमलमेहता—क्या कोई ऐसा मामला है कि एक्सीडेंट हुआ है पर चालान नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—तीन एक्सीडेंट के केस हुए उनमें से दो का चालान हुआ, एक का चालान नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो मामला चालान नहीं हुआ है उसके चालान नहीं होने के पीछे कोई कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—एवीडेन्स न होना ही कारण है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एवीडेंस हो गई थी पर उन कागजात को फाड़ दिया गया ?

श्री राम किशोर व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि गत वर्ष ५ ऊंट इस रोड़ पर मारे गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—गत वर्ष के बारे में कुछ निवेदन नहीं कर सकता।

श्री चांदमल मेहता—कितने माइल हो कर राजस्थान में यह सड़क गुजरती है ?

श्री अध्यक्ष—बिलकुल डिफरेंट सवाल कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय चालान नहीं हुआ उसकी जांच करेंगे कि शहादतें नहीं ली गई और पहले के कागजात फाड़ दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, क्यों नहीं कर लेंगे जरूरत पर आप अगर फूंक देंगे तो ।

प्रश्न संख्या ७६०

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद बंका ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल ।

प्रश्न संख्या ७६१

तहसील जहाजपुर (जि० भीलवाड़ा) में बनास नदी पर बधें बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि एवं उसके अन्तर्गत सिंचाई

श्री चुन्नी लाल बिड़ला—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में जो बांध बनास नदी पर बंध रहा इसके अन्तर्गत कौन कौन गांव डूब में आयेंगे ?

(२) उस बांध की कुल लागत नहरों सहित क्या होगी और इससे कितने बीघा भूमि की सिंचाई होगी और वह किस किस तहसील में ?

(३) यह कार्य कब से चालू होगा ?

श्री भोगी लाल पंड्या—यह योजना अभी सरकार के विचाराधीन है, अभी इस पर अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७६२

ग्राम सोडार (त० हुरडा) में दो तीन दिनों के भीतर पड़ा डाका और लूटा गया माल इत्यादि

श्री जयसिंह राणावत—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या ग्राम सोडार तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में इन दो तीन दिन में कोई डाका पड़ा है ?

[श्री जयसिंह राणावत]

(ख) यदि हां, तो अधिकतर माल किस किसके यहां से कितने२ मूल्य का लूटा गया है ?

(ग) डाकू किस वेशभूषा और एम्युनेशन से सुसज्जित थे ? क्या किसी व्यक्ति का कत्ल भी हुआ था या सिर्फ जरर शदीद ही आई ?

(घ) वाके की सही तारीख और समय क्या और पुलिस का दस्ता कितनी देर बाद घटना पहुंचा ?

श्री राम किशोर व्यास—(क) जी हां।

(ख)

(नाम)	(सम्पति का मूल्य)
श्री भूरा लाल राठी	४४०४ रू०
श्री काशी राम राठी	४३८६ रू०
श्री बिरधी चन्द राठी	८६५५ रू०
श्री राम चन्द्र	२६०६ रू०
श्री कन्हैयालाल	७०५ रू०
श्री देवी लाल सुनार	२६४ रू०
श्री बलदेव राठी	१७५ रू०
श्री बन्सी लाल राठी	६३ रू० ८ आ०

कुल सम्पति मूल्य २१५६१ रूपया ८ आ०

(ग) एक पुलिस की पोशाक में था, फटिक टोपी, कमीज, पट्टियां और देशी जूते पहने हुए था और एक बी. एल. बन्दूक से लेस था दूसरा हरा गोल साफा, काली चौखाने की कमीज और धोती पहने हुए था और एक डी.बी. बी. एल. १२ बोर की बन्दूक धारण किये हुए था, तीसरा पीला साफा, कमीज और धोती पहने हुआ था और एक लाठी से लेस था चौथा साफा बन्डी और धोती पहने हुए था और एक जंग लगी हुई पुरानी तलवार से लेस था, पांचवा गुलाबी साफा कमीज और धोती पहने हुए था और एक कुल्हाडे से लेस था। न तो कोई मारा गया और न किसी के घातक चोट आई।

(घ) शाम के ५ बजे से ७ बजे तक दिनांक ३:४:५६ को। साढ़े ग्यारह घंटे बाद।

श्री जयसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि एक सब इन्सपेक्टर के खिलाफ रिश्वत की शिकायत थी और वह साबित होने जा रही थी तो उस सबइन्सपेक्टर ने गांव के व्यक्तियों को

[श्री जयसिंह]

यह धमकी दी थी कि मेरी रिश्वत के मामले में जो कोई साबित कराने में मदद देगा तो मैं उनको लुटवा दूंगा और मरवा दूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं इसका क्या जवाब अर्ज करूं ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न बहुत लम्बा है।

श्री जयसिंह—क्या सरकारी कागजातों से इस बात को साबित किया जाय तो क्या सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जरूर

श्री अध्यक्ष—Questions are longer than the answers.

श्री प्रभुदयाल—डाकू ऊंटों पर थे या जीप में थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—किस विहिकल में थे यह नहीं कह सकता।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या ये डाकू पकड़े गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री प्रभुदयाल—पुलिस वहां पर कितने दिनों बाद पहुंची ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसी दिन पहुंच गई।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७६३

तहसील जहाजपुर में सन् ५५-५६ में सिंचाई
विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील जहाजपुर में सन् ५५-५६ में सिंचाई विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किये गये ?

Page No 24

[श्री रामदयाल उपाध्याय]

(ख) क्या यह सही है कि कई तालाबों का सर्वे हो जाने पर भी काम प्रारंभ नहीं किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) तहसील जहाजपुर में सन् ५५ : ५६ में सिंचाई विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :

(१) तालाबान खगतोला, गोनाला ओराती, भुवानीपुरा की मरम्मत की गई व

(२) तालाब बरदपुरा की केनाल का कार्य कराया गया।

(३) अन्य मुख्य जहाजपुर तहसील के तालाबों की (आउट लेट्स) मोरियों की मरम्मत कराई गई।

(ख) नहीं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—सर्वे नहीं कराने का क्या कारण था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि सर्वे कराई गई। इन स्थानों पर सर्वे कराई गई :

(१) बनास रिवर प्रोजेक्ट (२) बन्द उदखेड़ा और (३) घाटी। लेकिन दूसरे कई कारणों से काम शुरू नहीं हो पाया।

श्री रामदयाल उपाध्याय—माइनर इरिगेशन वर्क की तहत में बहुत से जगहों की सर्वे क्यों नहीं कराई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सब जगह की सर्वे एक साथ नहीं होती। जहां तालावों की सर्वे करानी जरूरी होती है कराई जाती है और कान भी होता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय— क्या यह सही है कि कुछ स्थानों पर सर्वे हो चुकी है पर फिर भी वहां पर कार्य नहीं हो रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— मैंने बताया कि काम किये गये हैं और जो रह गये हैं उनके लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७९४

भाखरा केनाल में सिंचाई की दरें निश्चित करने के आधार

श्री गुरूदयाल सिंह सन्धु—क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

भाखरा केनाल में सिंचाई की दरें क्या हैं और वे किस आधार पर निश्चित की गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या— भाकरा के नाल में सिंचाई की दरें इस प्रकार हैं :

पेरिनियल इरिगेशन	रु०	आ०
१. सुगर केन	१६.	८.
२. चावल	६.	०.
३. गेहूँ	६.	०.
४. जौ	६.	०.
५. चना	४.	०.
६. मक्का	६.	८.
७. रूई	६.	१२.
८. जवार, गवार और दूसरी फोडर क्रोप्स	४.	०.
९. सागभाजी	८.	४.
१० बगीचे	८.	४.
११. घास वगैरह	४.	०.
१२. दूसरी तरह की खरीफ की फसल	६.	६.
१३. तिलहन.	६.	६.

इसी तरह से नोन पेरीनियल इरिगेशन:

(१) खरीफ क्रोप्स के लिये वही दरें हैं जो पेरीनियल इरिगेशन में हैं।

(२) रबी के लिये: पहले वाटरिंग के ३ रुपये, दूसरे वाटरिंग के ३ रुपये।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(३) इसके बाद में खेतो में जो मामूली तौर पर पानी लिया जाता है उसके लिये पहले वाटरिंग के लिये ३ रुपये और दूसरे वाटरिंग के ३ रुपये।

यह दरें भाकरा योजना के तकमीने में लिये अनुमानिक दरों के आधार पर व प्रचलित गंग नहर की दरों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की गई है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह दरें पर बीघा हैं या पर एकड हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह पर एकड हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह रेट तय किये गये है वह पेप्सू के रेट्स के आधार पर तय किये गये हैं और क्या इनमें कोई अन्तर है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर आप दुबारा प्रश्न पूछेंगें तो जानकारी कर के जवाब दिया जाएगा। अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री गुरुदयालसिंह संधु— क्या सरकार इसकी जांच करने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७६५

बड़ा नया गांव (त० हिंडोली) में एक गूजर का कत्ल एवं पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

महाराज श्री केसरी सिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है बड़ा नया गांव तहसील हिंडोली जिला बूंदी में एक गूजर का कत्ल हुआ था ? यदि हां, तो कब और किस जगह पर व पुलिस लाश को बरामद कर सकी अथवा नहीं ?

(ख) तफतीश किस थानेदार ने की और अब केस किस स्थिति में है ?

श्री रामकिशोर व्यास— (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७६६

पदमपुर व गंगानगर में यात्रियों की सुविधा हेतु मोटर स्टेंड के समीप मुसाफिरखाने का प्रबन्ध करने सम्बन्धी

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यातायात मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

क्या पदमपुर और गंगानगर में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोटर स्टेंड के पास मुसाफिर खाने बनाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब तक पदमपुर गंगानगर मार्ग पर मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता तब तक सरकार द्वारा मुसाफिर खाने बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी वर्तमान मोटर मालिकों द्वारा ऐसी सुविधा दिलाई जाने के लिए प्रयत्न जारी है और इस सम्बन्ध में म्युनिसिपल बोर्ड गंगानगर व ग्राम पंचायत पदमपुर को मुसाफिरखाने बनाने के लिए लिख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७९७

सरकार द्वारा गुंडा एक्ट बनाने की शासकीय कार्यवाही

श्री प्रभुदयाल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार गुन्डा एक्ट बनाने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) जी नहीं।

(२) इस सम्बन्ध में दूसरी जगह के एक्ट काम में लिए जा रहे हैं।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि गुन्डे इस प्रकार के कानून नहीं होने से पुलिस के चक्कर में नहीं आते और अपने बचाव के दूसरे रास्ते निकाल लेते हैं ?

[श्री प्रभुदयाल]

क्या यह सही है कि गुन्डे दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के एक्ट की जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार का एक्ट बन जाने के बाद में गुण्डे कौनसे घट जावेंगे।

नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ७९८

बनेड़ा (जि० भीलवाड़ा) एपरोच रोड़ पर बस नम्बर ९६ से युवा लड़की की हत्या एवं इस केस का चालान

श्री कस्तूरचंद—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बनेड़ा जिला भीलवाड़ा एपरोच रोड़ पर बस नं० ९६ से एक नौजवान लड़की का एक्सीडेंट हो गया था ?

(२) क्या यह सच है कि इस एक्सीडेण्ट को दो महीने हो चुके हैं पर पुलिस थाना बनेड़ा अभी तक इस केस का चालान नहीं कर रहा है ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) केस का चालान हो चुका है। मामला अदालत में चल रहा है।

श्री कस्तूरचंद—चालान दो महीने बाद में क्यों दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—इन्वेस्टीगेशन में समय लग गया होगा।

श्री कस्तूरचंद—दो महीने का कैसे समय लगा क्या इसमें कोई चालाकी थी ?

श्री अध्यक्ष—मामला सबज्यूडिस है और अदालत में चल रहा है।

श्री कस्तूरचंद—मोटर मालिक कौन है ?

श्री अध्यक्ष--मामला अदालत में चल रहा है।

श्री कस्तूरचंद—पुलिस ने इसको दो महीने तक रोकने की क्यों कोशिश की? और कितने मुलजिम गिरफ्तार किए गए?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ७६६

वन विभाग के रखत में राजस्थान में गायों की चराई वसूली एवं ऐसी वसूली युक्त भाग

श्री चांदमल मेहता— क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के किन किन हिस्सों में वन विभाग के रखत में गायों की चराई वसूल की जाती है?

(२) ऐसे कौन कौन जिले हैं जहां हाल में गायों की चराई माफ करने के आदेश दिये गये हैं?

श्री खेतसिंह—(१) निम्नलिखित वन मण्डलों के रखत वनों में गायों की चराई वसूल की जाती है :

(१) जोधपुर रेन्ज के व्यास की बावड़ी व लाल सागर वन क्षेत्र तथा सादड़ी रेन्ज के गरासिया गांवों को छोड़ कर जोधपुर वन मंडल में।

(२) जयपुर वन मंडल में।

(३) भरतपुर वन मंडल में।

(४) टोंक वन मण्डल के उनियारा, निवाई, टोडारायसिंह व मालपुरा वन मण्डल में।

(५) उदयपुर वन मंडल के रखत में राजस्थान के बाहर से आने वाली गायों की और घास कटने के बाद बीड़ में चरने वाली स्थानीय गायों की।

(२) उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बून्दी, बारां, झालावाड़ व टोंक जिलों के वन मंडलों में जहां यह रियायत पहले से मिली हुई है।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह छूट पहले मिली हुई थी वहां पर, अब बन्द की गई या पहले वहां पर नहीं मिली थी बाद में दी गई उसे अब बन्द की गई है ?

श्री खेतसिंह—जहां पर यह सुविधा पहले मिली है वहां पर मिली हुई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने हाल में नये आदेश निकालें है जिसमें कोटा और उदयपुर में गायों की चराई माफ करने के आदेश हैं ?

श्री खेतसिंह—यह आदेश गजट में शाया हुए दिनांक २४ दिसम्बर, १९५५ की जो विज्ञप्ति निकली थी उसके माफिक दिये गए।

श्री चांदमल मेहता—जब उनको (कोटा और उदयपुर) को रियायतें दी गई तो जयपुर और जोधपुर को यह रियायतें क्यों नहीं दी गई ?

श्री खेतसिंह—सब जगह युनिफोरमिटी लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—सबका फैसला एक साथ क्यों नहीं किया गया ?

श्री खेतसिंह—फोमर राजस्थान में यह पहले से नहीं ली जाती है। अब सरकार सब जगह युनिफोरमिटी लाने और एक कानून लागू करने का विचार कर रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ जो फोमर राजस्थान का एक अंग रहा है उसके लिए यह लागू क्यों नहीं किया गया ?

श्री खेतसिंह—यह अलग से प्रश्न है आप अलग से प्रश्न पूछें तो जवाब दिया जावेगा !

प्रश्न संख्या ७७९

भूस्वामी संघ के द्वितीय आन्दोलन में विभिन्न जिलों के आन्दोलनकारियों को गिरफ्तारी, न्यायिक निर्णय इत्यादि

श्री भैरोंसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूस्वामी संघ के दूसरे आन्दोलन में किस किस जिले में कितने कितने सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया ?

Page No 31

[श्री भैंरूसिंह]

(ख) किस किस जिले में कितने २ सत्याग्रहियों को सजा हुई। कितनों को रिहा व बरी किया गया तथा कितने अभी तक अन्डर ट्रायल हैं ?

(ग) इन सत्याग्रहियों को जेल नियमों के आधार पर किस किस श्रेणी का बन्दी माना गया।

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जयपुर ४४५। सीकर ३६२। जोधपुर ३६८। जालोर २८१। सिरोही २६२। चुरू ५०४। नागौर ५६३। भीलवाड़ा ३३६। उदयपुर ११४। पाली १७३। चित्तौड़गढ़ १०१। अलवर ११०। बून्दी १६। बारमेर २६। जैसलमेर १६।

(ख)	कनविक्टेड	एक्वीटेड	अन्डर ट्रायल
जयपुर	२६६	०	१२१
सीकर	३४४	१	१६
जोधपुर	३४६	०	१६
जालोर	२६५	०	१
सिरोही	२५५	०	०
चुरू	४८८	०	१५
नागौर	५१३	१३	२७
भीलवाड़ा	२६९	०	२६
उदयपुर	११०	०	३
पाली	१३८	१	२१
चित्तौड़	१०१	०	०
अलवर	१०६	०	०
बूंदी	१५	०	०
बाड़मेर	१५	०	११
जैसलमेर	०	०	१६

(ग) भूस्वामी बन्दियों को ओर्डिनरी प्रिज़नर्स क्लास दी जाती है।

श्री भैरूसिंह—आर्डिनरी प्रीजनर्स के आधार पर भूस्वामियों को जेल में रखा गया तो क्या पहले सत्याग्रहियों को राजनैतिक कैदी के रूप में रखा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—राजनैतिक कैदी किसी को नहीं माना गया हां कुछ को खाने की सुविधा दी गई।

श्री भैरोंसिंह—खाने की सुविधा देने के संबन्ध में सरकार ने डिफ्रेन्स क्यों रखा कि कुछ लोगों को सुविधा दी गई और कुछ नहीं दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—सब को दी है।

श्री भैरोंसिंह—कई लोगों की सुविधा में अन्तर क्यों रखा गया ?

श्री राकिशोर व्यास—पी. डी. के अन्तर्गत अलग सुविधा है और आर्डिनरी प्रीजनर्स के लिए अलग है।

श्री भैरोंसिंह—क्या जिन लोगों को पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट की तहत गिरफ्तार किया गया क्या उन सबको समान सुविधा दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—करीब करीब एक है।

श्री भैरोंसिंह—करीब करीब नहीं, आप डेफिनेट बताइये ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक ही है।

श्री भैरूसिंह—तो क्या उनको राजनैतिक बन्दी माना गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—सुविधा देने का तो प्रोविज़न मौजूद है।

श्री भैरूसिंह—जिन लोगों को लारियों में भरकर बाहर ले जाकर छोड़ा गया क्या उनको भी गिरफ्तार माना गया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—गिरफ्तार नहीं, डिसपर्स किया गया।

श्री अध्यक्ष—That is a question of law and interpretation.

श्री भैरूसिंह—जिन लोगों को शहर से पकड़ कर बाहर ले जाकर छोड़ा गया उन लोगों की संख्या गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या में शामिल है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं। इनको लारी में भर कर बाहर ले जाकर डिस्पर्स किया गया।

Page No 33

प्रश्न संख्या ७६०

त० खेतड़ी (जि० झुंझुनू) में अजीतसागर से पहले सिंचाई

श्री महादेव प्रसाद—क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू में अजीतसागर से पहले कभी सिंचाई की जाती थी ?

(२) यदि हां, तो कितनी भूमि की की जाती थी ?

(३) अब सिंचाई न करने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) इस नाम का तालाब सिंचाई विभाग के अधीन कोई नहीं है ।

(२) (३) प्रश्न नहीं उठता ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

3979 to 3980
4002 to 4004

...ा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि ...ान सभा की बैठक दिनांक ४ मई से १५ मई, १९५६ तक अनुपस्थित ...ा की है ।

...अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

(विराम)

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४

(अग्रेतर खण्डश: विचार–विमर्श)

—Rajasthan Municipalities Bill.

क्लॉज़ १००, श्री भैरोंसिंह ।

Page No 34

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)— माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३०० के ऊपर जिस समय कल इस सदन में चर्चा हुई थी उस समय जहां तक मुझे याद है सभी सदस्यों की एक राय थी कि सरकार को ऐसे कोई अधिकार नहीं होने चाहिये जिन अधिकारों के जरिये सरकार म्युनिसिपल बोर्ड फन्ड के ऊपर सीधा अपना अधिकार जमा सके। मैंने इस क्लॉज़ में अपना संशोधन प्रस्तुत किया था उस संशोधन की मन्शा यह थी कि सरकार अगर इस प्रकार फन्ड्स अपने कब्जे में रखती है तो यह मुमकिन है कि सरकार लोकल बोडीज़ के फन्ड्स के ऊपर सीधा अधिकार जमाने के लिये जो लोकल बोर्डीज़ का अधिकार है, जितने चुने हुए सदस्य हैं उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा कर देंगे। कल के वक्ताओं ने इस बात की ओर भी सकेत किया कि हम कोई कार्यवाही करें कोई अपेक्षा करके चलें कि सरकार जो कोई आज्ञा देगी उस आज्ञा की तामील करना म्युनिसिपल बोर्ड के लिये लाजमी होगा। अगर म्युनिसिपल बोर्ड सरकार की आज्ञा की तामील नहीं करता है तो उसके कारण म्युनिसिपल बोर्ड और उनके अधिकारियों को सीधा आदेश देना पड़ेगा कि जिन अधिकारियों के कब्जे में म्युनिसिपल बोर्ड्स के फन्ड्स हैं यह कमजोरी का सूचक होगा। इससे स्वस्थ परम्परा का निर्माण कर रहे हैं, यह बिल्कुल दृष्टिकोण नहीं होगा। हमें तो यह उम्मीद करनी चाहिये कि म्युनिसिपल बोर्ड और सरकार को अकोमोडेट करने की स्पष्ट कार्यवाही होगी। अगर हम चाहे जितने सरकारी अधिकारी हैं म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारी हैं उनको इस बात की तामील करने की बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय यादवजी ने इस बारे में संशोधन प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने यह बात मन्जूर की थी बजट में ऐसी कोई प्रोवीजन बच जाये और सरकार ने जो म्युनिसिपल को दिया है और म्युनिसिपल बोर्ड वैसी हालत में भी पूंजी जमा कराने के लिये तैयार नहीं है तो वैसी सूरत में सरकार की आज्ञा जरूरी होगी। मैं समझता हूं यह बात किसी हद्दतक ठीक है। मैं यदि उनके इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो मुझे अपने संशोधन को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं सदन से अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन क्लॉज़ ३०० में रखा है उसे वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३०० में श्री गोपीलालजी यादव ने रखा है स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३००, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३००, संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह (दांता राम गढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ३०१ में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि इसका लोप किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, इस बिल को पेश करने से लेकर अब तक अगर हमें किसी एक अप्रजातान्त्रिक क्लॉज़ का मुकाबला करना पड़ा है तो वह क्लॉज़ ३०१ है। क्लॉज़ ३०१ के द्वारा सरकार को अधिकार दिया जा रहा है कि अगर कोई नगरपालिका सरकार के खयाल से इन एफीशियेन्ट(inefficient) है, सरकार के ख्याल से इनकोम्पीटेन्ट (incompetent) है,सरकार के ख्याल से म्युनिसिल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो सरकार को अधिकार होगा कि या तो उस म्युनिसिपल बोर्ड को डिज़ोल्व कर दे और अगर डिज़ोल्व नहीं करे तो म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दे।

अब हमें यह देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार के अधिकार हम इस क्लॉज़ द्वारा सरकार को देने जा रहे हैं वे अधिकार सरकार किन सूरतों में काम में लायगी। अगर वे इन अधिकारों को उपयोग में लावे तो क्यां वे अधिकार आपत्तिजनक अधिकार नहीं ?

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष, म्यू० बोर्ड का जहां तक फंक्शन है हम यह मानकर चले हैं कि आज जितनी भी नगरपालिकाएं काम कर रही हैं उनमें यदि सरकार के बीच में और नगरपालिकाओं के बीच में कभी भी कोई संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है तो वह उस समय हुई है कि जिस समय सरकार ने अपनी मन गढन्त रूप से जनता पर टैक्स लगाने की बात नगरपालिकाओं पर थोपने की कोशिश की है। यदि किसी म्यू० ने यह इच्छा प्रकट की कि हम टैक्स लगाने की आज स्थिति में हैं, हमें यह

[श्री भैरोंसिंह]

काम करने हैं और यहां की जनता इसके पक्ष में है आप हमें स्वीकृति दे दें पर वैसी हालत में सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। लेकिन जहां म्यू० बोर्ड की आर्थिक स्थिति खराब थी और इस कारण से खराब थी कि वहां के निवासियों की भी आर्थिक स्थिति खराब है इसलिये वहां की म्यू० उन लोगों पर कोई टैक्स इम्पोज़ नहीं कराना चाहती थी और इस वजह से नहीं करा सकी, वहां सरकार ने यह कहा कि तुम्हे टैक्स इम्पोज करने पडेंगे, नहीं तो या तो हम तुम्हें डिज़ोल्व कर देंगे या सुपरसीड कर देंगे। इस तरह की धमकियां दीं। तो इन दो बातों को लेकर आज तक के हमारे अनुभव यह कहते हैं कि नगरपालिकाओं में और राज्य सरकार में संघर्ष हुए है।

हमने जितने क्लॉज़ेज़ अब तक पास किये हैं उनमें यह व्यवस्था की है कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से ठीक रहे। सदन के बहुमत का विरोध होते हुये भी सरकार के पक्ष की ओर से ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ इम्पोज किये जावेंगे। यदि वे इम्पोज होते हैं और ऑक्ट्राय और हाउस टैक्स को सरकार अगर लाजिमी तौर से आवश्यक समझती है तो इसके बाद में हमें यह सोच कर चलना पड़ेगा कि जिनके बारे में हम यह प्रिज़्यूम करके चल रहे थे कि उनकी हालत खराब हो सकती है तो उनकी हालत खराब होगी या नहीं। हम यह भी मानकर चलते हैं कि हम अगर ऐसे टैक्स इम्पोज़ नहीं कर सकते तो म्यू० को आर्थिक आमदनी किस तरह से होगी। पर इसकी समस्या भी ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ इम्पोज़ करने के बाद काफी हद तक ठीक होगी इसमें भी संशय है।

अब दूसरी परिस्थिति कौनसी आती है कि सरकार कहे कि यह बोर्ड इनएफिसियेन्ट है, अपने पॉवर को एब्यूज़ कर रहा है, टैक्स इम्पोज़ नहीं कर रहा है तो इससे यह परिस्थिति आ सकती है कि सरकार और म्यु० का उस समय संघर्ष हो और वहां राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेगी। सरकार कहेगी उस म्यू० से कि टैक्स इम्पोज़ करो नहीं तो इनएफिसियेन्ट होवोगे। म्यू० जनता के हित में टैक्स इम्पोज़ नहीं करना चाहती और उस स्थिति में वह सरकार से संघर्ष में आवेगी। तो राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण यह परिस्थिति उस समय पैदा हो सकती है। उस समय सरकार अपने पावर्स का मिसयूज़ करेगी। यह बात ध्यान में रखकर हमें सोचना पडेगा कि यह अधिकार हम सरकार को कहां तक दे सकते हैं यह पहले सोचना होगा। हमारे सामने तीन मोटे मोटे उदाहरण हैं। जिनको देखकर विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है। आज से दो वर्ष पहले जयपुर की नगरपालिका ने नगर में आक्ट्राय इम्पोज़ करने का फैसला किया था। जयपुर के नगरवासियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने यह कहा कि जयपुर के लोगों की आमदनी पर कैपिटा कम है। ऐसी हालत में उन पर कोई एडीशनल टैक्स इम्पोझीज नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में १३ दिन की लगातार हडताल भी यहां हुई, गिरफ्तारियां भी हुईं, आन्दोलन चला। आखिर जनता की राय को देखते हुए जनता के प्रतिनिधि होने की हैसियत से

[श्री भैरोंसिंह]

म्यु० ने वे टैक्स लगाना विद्ड्रा कर लिया। सरकार ने कहा ऐसा क्यों ? तुम्हें ये टैक्स इम्पोज़ करने होंगे। म्यू० ने कहा हमने इसका प्रस्ताव अवश्य पास किया था वह ठीक भी था, पर जनता इसका विरोध करती है और हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अब जनता हमें उन्हें वापिस लेने का आदेश देती है तो हम उनको लगाने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार में जिस पार्टी की हुकूमत थी उसमें दो दल थे। सत्तारूढ़ दल एक तरफ था और विरोधी दल म्यु० में था। राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता सामने आई। और सरकार ने अपना हथियार सम्भाला। उसे उठाया और उस म्यु० कमेटी को सुपरसीड कर दिया। अब सुपरीड करने भी इस स्थिति में तुरन्त जिस बात पर सुपर्सीड किया कि तुम टैक्स इम्पोज नहीं करते इसलिये सुपरसीड करते हैं तो सरकार वे टैक्स इम्पोज़ करती तब तो सरकार का सुपरसीड करने का स्टेप वाजिब भी होता, पर जयपुर की नगरपालिका को सुपरसीड करने के बाद आपको पता होगा, जयपुर की जनता को पता है, सदनको पता होगा, निरन्तर दो वर्षों का समय निकल गया। पर सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वह वे टैक्स इम्पोज़ कर देती। इसके बाद अभी अभी कुछ दिन पहले आक्ट्राय ड्यूटी इम्पोज की गई और वह भी मामूली थी। तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना पडेगा कि जिस दो वर्ष के काल में सरकार की हिम्मत नहीं पडी टैक्स इम्पोज़ करने की वह अपने आपको कमजोर समझती है इतनी बडी सरकार भी कमजोर साबित हुई जनमत के सामने, तो फिर ये म्यू० के चुने हुए सदस्यों से आप किस प्रकार यह आशा कर रहे थे कि जनता के विरोध के बावजूद भी वे टैक्स इम्पोज़ करें। पर नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों ने जनता की आवाज विरोध में देखी तो अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया और वापिस लेकर सरकार से भी मांग की कि वह टैक्स इम्पोज़ न करे। पर सरकार ने अपनी आन बान का प्रश्न बनाकर दो पार्टीज़ में से एक पार्टी की नगरपालिका है और दूसरी पार्टी की सरकार है यह विचारधारा सामने रख कर उसको सुपरसीड कर दिया और फिर कहा कि सरकार इम्पोज़ करेगी टैक्स जल्दी से जल्दी। पर वह भी नहीं कर सकी। अब नगरपालिका तो कमजोर क्योंकि वह तो जनता की प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रही थी, उसने जनता की आवाज सामने रखकर जनता की बहुमत की आवाज को माना। जनतन्त्र का मान रखा, जनतन्त्र को सही रूप में साबित किया। वह तो कमजोर और सरकार हिम्मतवाली जिसने दो साल का समय निकाल दिया पर उसकी भी हिम्मत नहीं पडी टैक्स इम्पोज करने की ? और जो आज दो साल के बाद हमारी छाती पर राजधानी जयपुर में प्रजातन्त्र की हत्यारी बनकर आज टैक्स लगाने की हिम्मत कर रही है। मैं तो इस सरकार की तारीफ उस समय समझता कि जिस कारण से म्यू० को सुपरसीड किया उन्हीं कारणों को वह पूरा करती, उसी दिन से वह वे टैक्स जनता पर इम्पोज़ कर देती। पर सरकार डरपोक रही, कमजोर रही कहती रही म्यू० को तो कि तुम टैक्स इम्पोज़ करो। पर खुद की हिम्मत नहीं पडी करने की। दूसरों से ही कहती रही कि तुम तो बांबी में हाथ डालो और हम दूर बैठे बैठे देखते रहें। चुनी हुई नगरपालिका टैक्स इम्पोज़ करे, जनता की नाराजी मोल ले, जनता उनके जूते लगाये, उनका सड़कों पर चलाना फिरना दूभर कर दे और सरकार सेक्रेटरियट में आराम से बैठी बैठी देखती रही, हंसती रही कि नगरपालिका और नगरवासियों में झगड़ा हो। म्यु० के जनता से झगडे पर सरकार का

[श्री भैरूंसिंह]

उनसे कोई वास्ता नहीं। नगरपालिका के चुने हुए नुमाइन्दे जनता की आवाज सुनकर टेक्स इम्पोज़ करने से रुक गये, वे तो जनतन्त्र के दुश्मन, सबसे बड़े कसूरवार, सजा भुगतने के लिये तैयार रहो, और वह सरकार जिसने जनता की आवाज को कुचल कर, जनतंत्र की हत्या करके जनता की आवाज को मानने वाली नगरपालिका पर अपना हथियार इस्तेमाल किया उसका कुछ कसूर नहीं। उसको तो सोवेरेन पावर है। वह तो जो कुछ करे वह जनहित में है और म्यूनिसिपलटी के वे लोग जो जनता की आवाज सुनते हैं वे जनतन्त्र के खिलाफ ? ऐसे दृष्टिकोण से जिस नगरपालिका को सरकार ने सुपरसीड किया वह इस बात की द्योतक है कि आप राजनैतिक मतभेदों के कारण येन केन प्रकारेण इस सत्ता का दुरुपयोग करके अपने प्रतिद्वन्दी को खतम करने का इरादा रखते हैं।

यही बात जोधपुर की नगरपालिका की है। उसने भी माननीय उपाध्यक्ष, ऑक्ट्राय ड्यूटी लगाने से इन्कार कर दिया। इसी पर वहां भी झगड़ा हुआ। वहां की नगरपालिका ने कहा हमारी स्थिति नहीं है यह टैक्स इम्पोज़ करने की और जनता की देने की। जनता ने कहा नगरपालिका ने कहा हम इसे इम्पोज़ नहीं करेंगे। और इस पर सबसे पहले चेयरमेन ने स्तीफा दिया। इसके साथ नगरपालिका के सदस्यों ने स्तीफे दिये और कहा कि हम किसी भी स्थिति में ये टेक्स इम्पोज़ नहीं करेंगे। इस पर सरकार ने कहा कि तो हम तुम्हें सुपरसीड करते हैं। हम टैक्स इम्पोज़ करेंगे। पर क्या हुआ ? सरकार भी एक वर्ष तक नहीं कर सकी। बाद में कुछ कमी वेशी करके उसे किसी तरह से इम्पोज़ किया। तो यह सरकार भी इन डेढ़ वर्ष तक टैक्स इम्पोज़ नहीं करने से इनएफीसियेन्ट रही, इन कॉम्पीटेन्ट रही, कमजोर रही। तो जब सरकार कमजोर थी तो म्यूनिसिपल बोर्ड तो कमजोर लाजिमी तौर से रहेगा। उस इनएफीसियेन्ट, अनकोम्पीटेन्ट और डरपोक सरकार को दूसरे को कमजोर बताकर, दूसरे पर डरपोकपने का लांछन लगाकर हटाने का क्या अधिकार है ?

अब दूसरी स्थिति पैदा हुई है, सरकार कहती है हमने तुम्हें सुपरसीड किया और अब जल्दी ही इलेक्शन करावेंगे, जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जावेंगे। पर देखने में आता है कि सरकार चाहती है कि आक्ट्राय ड्यूटी किसी प्रकार इम्पोज़ हो जाय और इसके बाद में इलेक्शन करावें। सरकार में पहले इम्पोज़ करने की सामर्थ्य नहीं थी, सुपरसीड किया म्यूनिसिपलटी को कुछ पीरियड के लिये। दो महीने के लिये, छः महीने के लिए, चार महीने के लिये। कुछ छोटी अवधि के लिये। पर जयपुर की नगरपालिका को सुपरसीड किये दो वर्ष हो गये। अभी तक चुनाव नहीं कराये गये। जोधपुर का यही हाल है, और जगह यही हाल है। करीब करीब सभी जगह यह हाल है। सरकार सोचती है कि अमुक काम पहले सरकार करे और बाद में बोर्डों का चुनाव कराया जावे। इन दोनों दृष्टिकोणों में मतभेद है। अनडेमोक्रेटिक मतभेद है। जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि की जनता नहीं चाहती कि उन पर टैक्स यह सरकार इम्पोज़ करे, इसके लिये न सरकार को अधिकार है न सदस्यों को अधिकार है कि जनता की इच्छा के प्रतिकूल वे कोई टैक्स इम्पोज़ करें। स्वायत्त शासन का मतलब है नगरपालिका अपनी आय अपने आप अपनी

[श्री भैरूंसिंह]

सुविधा से एकत्र करे और उसको अपनी इच्छा से अपने काम में लावे। हम अपनी नगरपालिका के पास पैसा इकट्ठा करें और पैसा होने पर अपनी मरजी से अपना हिताहित देख कर अपने कामों में, अपने डवेलपमेंट के कामों में, अपने स्वायत्त शासन में जो जो मुख्य बातें है उन पर खर्च करें और उनकी पूर्ति करें। सरकार वाले कहते हैं कि यदि हम सहायता नहीं देते तो म्यू० का काम नहीं चलता। सहायता देने का अख्तियार किसे है? सहायता दी जानी चाहिये या नहीं इसका अधिकार किसे? यदि हम आंकड़े देखें, आमदनी की मदें देखें तो पता लग जाता है कि जितने भी आमदनी के श्रोत हो सकते हैं, वे ऐसे श्रोत हैं ऐसी मदें हैं जिन पर सभी पर सरकार ने अधिकार कर रक्खा है। पावर हाउस को देख लीजिये, वाटर वर्क्स को देख लीजिये। रोड के डवलपमेंट के विभाग की आदमनी का विभाग देख लीजिये। इन सबकी आमदनी जो है वह तो सरकार ले और उनके बारे में जो माइनर एडजस्मेन्ट है खर्चे का वह म्यू० भोगे? यह कहां का न्याय? चाहिये तो यह कि जिस म्यू० को हम ऐसे अधिकार दे रहे हैं वही अपने यहां की बिजली की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, और काम की व्यवस्था करे डवेलपमेंट के कामों की व्यवस्था करे, सड़कों की व्यवस्था करे। बार बार सरकार कहती है कि अगर नगरपालिका इन पर अधिकार करेगी तो आफत में पड़ेगी, उसके घाटे को कैसे पूरा करेगी। और आपने? आपने खास किसी कारण से कमर्शियल बेसिस पर आंकड़े मेन्टेन कराये हैं, सरकार कहती है हमने। हम उन आंकडों को तैयार कराने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यदि इस प्रकार का धन्धा म्यू० अपने हाथ में लेती है तो उनको किसी भी सूरत में मुनाफे में नहीं चला सकेगी। मैं इसका उत्तर उन्हीं के शब्दों में उनको दूंगा कि यदि म्यु० के अधिकार में यह सारा प्रबन्ध आया, बिजली घर का प्रबन्ध आया, वाटरवर्क्स का इन्तजाम आया, छोटे मोटे डवेलपमेन्ट के वर्क आये तो इसका एक सीधा प्रहार सरकार के उन खुशामदी लोगों पर पडेगा जिन लोगों के साथ यह सरकार अनुचित रियायत करती रही है और करना चाहती है, जिनको वह इन टैक्सेज से एग्जम्प्ट करना चाहती है, उनके साथ कोई अनुचित रियायत नहीं की जावेगी, उनकी वे सब सहूलियतें, ये सारी लूट बन्द हो जावेगी। अगर सरकार इसका प्रबन्ध इनके हाथों में देगी तो इसका नतीजा यह होगा कि कमर्शियल बेसिस पर आंकड़े तैयार कराये जाकर जो घाटे का ढोंग रचा जा रहा है वह लाजिमी तौर से समाप्त हो जावेगा और जो भ्रष्टाचार आज इसमें व्याप्त है, जिसकी आड में आज कई सरकार के कृपापात्र पनप रहे हैं वे समाप्त हो जायेंगे। पर हमारी सरकार तो कहती है कि नहीं नहीं इस बात में तो अवश्य दिक्कत होगी। वह दिक्कत क्या होगी यह भी मैं बता दूं। आज राजाओं में पचास लाख के ऊपर बिजली पानी का बकाया बाकी है। जनता से तीन आना यूनिट बिजली का चार्ज लिया जाता है पर बाल बीयरिंग फैक्टरी से तो डेढ़ ही आना लेना होगा क्योंकि उन्हें व्यापार में प्रोत्साहन देने की आड में उन मुनाफाखोरों को प्रोत्साहन देना है, उनकी जेबें भरनी हैं।

रामप्रकाश सिनेमा में कम पैसे चार्ज करें, बिरकुट फैक्ट्री से कम पैसे चार्ज करें और फिर कहें कि कमर्शियल बेसिस पर चला रहे हैं और उनमें घाटा हो रहा है और घाटे की चीज़

Page No 40

[श्री भैरूंसिंह]

को हम किसी सूरत में म्युनिसिपेलिटी को देना नहीं चाहते । मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपसे नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि कमर्शियल बेसिस का यह मतलब नहीं है । कमर्शियल बेसिस पर रन करने के लिए ऐसे आंकड़े तैयार करने पड़ेंगे कि जिस से जितनी आमदनी हो उस आमदनी में से खर्चा निकालकर इस नतीजे पर पहुंचे कि वाकई में कमर्शियल बेसिस के आधार पर जो कुछ वाटर वर्क्स या पावर हाउस चला रहे हैं वे घाटे में हैं या नहीं। मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी घाटा नहीं हो सकता ।

यह भी कहा जा सकता है कि पावर हाउसेज़ जिस कीमत के हैं उस कीमत के ऊपर जो रिटर्न होना चाहिये वह रिटर्न नही होता है । इसलिए हम नगरपालिका के कब्जे में नहीं दे रहे हैं । न्याय यह कहता है, कमर्शियल बेसिस का तरीका यह कहता है कि जिन चीजों में इन्वेस्टमेंट किया है और वे पुरानी होती हैं तो उन पर डेप्रिसियेशन चार्जेज़ काटते हुए आज की कीमत को मानकर फिर कमर्शियल बेसिस पर आगे चलकर व्यवस्था करें । पुरानी कीमत को आधार मानकर चलते रहेंगे और उसी कीमत को केपिटल इन्वेस्टमेंट समझकर रिटर्न मांगने की चेष्टा करेंगे तो वह एक प्रकार से गलत सी धारणा होगी । अच्छा यह होगा कि जिस समय वह लिये गये थे उसकी परसेन्टेज मुकर्रर करें जिस परसेन्टेज के आधार पर डेप्रिसियेशन चार्जेज काटकर जो कीमत है उसको आज का केपिटल इन्वेस्टमेंट मान कर उस केपिटल पर रिटर्न कितना मिलना चाहिए । उस कीमत के आधार पर वह घाटे में रन कर रहा है या नहीं यह जब करें, यह जब हो जाय तब यह कह सकते हैं कि वाकई में एक विशेष प्रकार का घाटा हो रहा है और घाटे की चीज़ को किसी भी सूरत में नगरपालिकाओं को देना नहीं चाहते । लेकिन यह कहने की बात होती है, केवल कह दी जाती है कि घाटे में चल रहा है । वह कह दिया जाता है इसलिए कि जिन लोगों को आप रियायत करना चाहते हैं, वह रियायत नहीं कर सकेंगे । नगरपालिका वह रियायत नहीं करेगी । अगर नगरपालिका यह रियायत नहीं करेगी तो सरकार के फरमाबदार, सरकार के हुकुम उठाने वालों को किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ नहीं होगी ।

माननीय उपाध्यक्ष, डेवेलपमेंट वर्क्स के लिए जमीन बेच रहे हैं । जमीनें बेचकर कीमत लेगी सरकार और जो कुछ भी डेवेलपमेंट के वर्क्स होंगे, बिजली के खम्भे वहां पर लगाये जायेंगे, सड़क की मरम्मत होगी, पानी का प्रबन्ध किया जायगा, जमीन का लेवलिंग होगा उसका खर्चा देना पड़ेगा नगरपालिका को । आपकी व्यवस्था ऐसी है कि जिससे कि आप नगरपालिका को हर सूरत में घाटे में रखें । इतना ही नहीं यदि यही नगरपालिका अपने पावर्स को एब्यूज कर रही है । नगरपालिका किसी भी सूरत में जो उनके अधिकार हैं अधिकार के संबंध को बनाने वाला काम नहीं कर रही है, जिस दल की नगरपालिका है वह दल किसी भी प्रकार से सरकार के सामने न्यायसंगत मांग के लिए घुटने टेकने को तैयार नहीं है, उस सूरत में ऐसी स्थिति होती है कि जैसा कि हमने देखा है जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, झुंझुनू

[श्री भैरूंसिंह]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, इन सब बातों के लिए इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार चर्चाएं आई हैं वे अनडेमोक्रेटिक हैं और अपने पॉवर को एब्यूज़ कर रहे हैं, जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, नये डिस्ट्रिक्ट एक्ट के अनुसार नहीं हैं। लेकिन हमारी सरकार यह देखकर चलती है कि वह हमारे दल के हैं, सत्तारूढ़ दल के आदमी हैं इसलिए डिजाल्व नहीं करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, यदि आप देखें तो मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसके बारे में सदन में कई दफा चर्चाएं हुई हैं किस प्रकार से फन्क्शन कर रहा है। मैं आपके सामने एक नमूना प्रस्तुत करूंगा। यह मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती है। सत्ता का दुरुपयोग केवल विरोधी दल को कुचलने के लिए करती है। इस सदन में यह इल्जाम लगाया था कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर लाखों रुपये लुटाये गये हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेम्बर्स हैं उन मेम्बर्स ने अपने परिवार वालों को नौकर रखकर एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है! मैं आपके सामने एक पुस्तक प्रस्तुत करता हूं, वह पुस्तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रकाशन विभाग, जिला बोर्ड, ने प्रकाशित कराई है। विधान सभा की कई पुस्तकें हमारे सामने आई हैं। हमने विधान सभा की रिपोर्ट देखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई पब्लिकेशन्स आते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के प्रकाशन विभाग के कई प्रकार के कई बार प्रकाशन निकलते हैं, लेकिन जयपुर जिला बोर्ड के प्रकाशन को देखेंगे तो पता लगेगा कि कितना सुन्दर कागज है, लेकिन अन्दर देखेंगे तो उसमें सिवाय बन्सी लालजी लुहाडिया के फोटो के और पहले वाले मंत्री हैं उनके फोटो हैं। कोई भी पेज ऐसा नहीं है कि जिस पेज पर किसी न किसी का फोटो न हो, यदि अपने फोटो छापने के लिए जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है तो निश्चित् रूप से ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को डिजाल्व कर देना चाहिए था। वह डिजाल्व नहीं होता है। वह इसलिए नहीं होता है कि उसमें सरकार के आदमी हैं, सत्तारूढ दल के आदमी हैं, उस पक्ष के आदमी हैं उसमें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अन्दर हमने एक धारा बनाई है जिस धारा के द्वारा १८० दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के देहात के गांव में नहीं रहता है तो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर नहीं हो सकता है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक उदाहरण पेश करूंगा, बाकी को नहीं लेना चाहता, उसमें आप देखेंगे कि सब शहर के रहने वाले हैं शिवकिशोर एडवोकेट, दौसा, दौसा में म्युनिसिपेलिटी है हनुमानशरण एडवोकेट, कोटपुतली, कोटपुतली में म्युनिसिपेलिटी है, रामचरन बेनीवाल, जयपुर, जयपुर में म्युनिसिपलिट है, बंसीलाल लुहाड़िया, एडवोकेट, जयपुर,. हंस. डी. राय, जयपुर। जयपुर में म्युनिसिपेलिटी है। यह कोई देहात नहीं है। देहात का रहने वाला ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर बनना चाहिए। वे देहाती नहीं हैं। जयपुर के रहने वाले हैं, दौसा के रहने वाले हैं। कोटपुतली के रहने वाले है। यह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मूल भावना है उसके प्रतिकूल काम करके यदि वहां के सदस्य रह सकते हैं और हमारी सरकार कहती है कि हम भंग नहीं कर सकते हैं। यदि उस जगह कोई जनसंघ के आदमी होते और रामराज्य का व्यक्ति होता तो

[श्री भैरोंसिंह]

निश्चित रूप से उसको कर देते, लेकिन हमारे मंत्रीजी केवल इतना सा कहकर संतोष करें कि नोटिस दे दिया है लेकिन नोटिस से क्या होगा ? नोटिस से यह होगा कि जनता की आवाज को बन्द कर दो। जनता जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आलोचना करती है उस आलोचना के काम को बन्द कर दें, यह कह कर कि नोटिस दे दिया। हम जुलाई के महीने में काम करवा रहे हैं, मई, जून और जुलाई इन तीन महीनों में नोटिस की तामील नहीं होगी। तीन में हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे और आयन्दा चुनाव होकर जो बोर्ड आयेगा तो वे आटोमेटिकली भंग हो जावेंगे। लेकिन अपने लोगों को बिठाये रखने के लिए, अपने लोगों के हाथों से जनता का खर्चा बरबाद हो उनके हित में, इस बात का खयाल रखने के लिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मूल भावनाओं के अगेन्स्ट में उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बनाये हुए बैठे हैं और यदि कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने पॉवर्स को, कोई भी लोकल बोडी अपने पावर्स को एब्यूज़ करती है तो एब्यूज़ होने की सूरत में उन चीजों को सुपरसीड करेंगे, लेकिन हमारी सरकार केवल विरोधी दलों को ही दबाने के लिए उस हथियार का दुरुपयोग करती है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष, कि हम इस सरकार को यह अधिकार देते हैं कि किसी नगरपालिका को भंग कर दे, किसी भी नगरपालिका को सरकार सुपरसीड कर दे, ऐसे अधिकार देने चाहिए या नहीं ? मैं ऐसा कहूंगा कि चाहिए तो यह कि नगरपालिका के सम्बन्ध में कांस्टिट्यूशन की धारायें प्रोवाइड करें और उनको प्रोवाइड करके उन धाराओं के अंतर्गत नगरपालिकाओं को कांस्टिट्यूशन के अन्तर्गत प्रोटेक्शन दें। हम नगरपालिका को प्रोटेक्शन देने के लिए कांस्टिट्यूशन की विशेष धाराओं की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये छोटी २ नगरपालिकायें, डेमोक्रेसी के जो मूल भूत सिद्धान्त हैं उनका प्रतिपादन करने वाली संस्थायें हैं और इन संस्थाओं को हर तरह से प्रोटेक्शन देना चाहिए। लेकिन ए. से लेकर जेड तक जिस प्रकार से अधिकार लेने नहीं चाहिए सब अधिकार सरकार ने ले लिये हैं। जहां चुनावों का सवाल आता है, सरकार ने अधिकार ले लिये हैं, वहां गवर्नमेन्ट को अधिकार दिये गये हैं। एक मेम्बर यदि म्युनिसिपल बोर्ड की मंशा के खिलाफ अपने पॉवर्स को एब्यूज़ करता है उसके लिए सरकार को उसको हटाने के लिए पावर्स दिये गये हैं, यदि नगरपालिका के बजट को पास करना है तो सरकार उसको पहले पास करेगी, यदि बजट में संशोधन करना है तो उसके लिए अधिकार भी सरकार ने अपने पास ले लिये हैं, यदि बजट में कोई किसी प्रकार का हेर फेर करना है उसके अधिकार भी नगरपालिका से सरकार ने अपने पास ले लिये हैं। जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड के लिए रूल्स बनाने का सवाल है वह अधिकार भी सरकार ने ले लिया है, जहां बाई क्लॉज़ बनाने की बात है वहां भी अपने हाथ में सरकार ने अधिकार ले लिये हैं। उनके बावजूद भी जब अधिकार लिये जा रहे हैं कि यदि सरकार चाहे तो उस म्युनिसिपल बोर्ड को हटा सकती है, सुपरसीड कर सकती है; किस आवश्यकता के लिए किस काम के लिए ? यदि कोई मेम्बर अनियमितायें बरते तो उसको इन्डीविजुअली हटा सकती है और उसको हटाने की व्यवस्था कर दी गई है। बजट में कोई गड़बड़ी है, घाटा है, काम को करवाने या न करवाने के बारे में कोई स्थिति पैदा हो जाती है, उसकी अलहदा व्यवस्था

[श्री भैरोसिंह]

कर दी है। कोई काम करना है, म्युनिसिपेलिटी पैसा लेती है और समयपर सरकारको वह पैसा नही देती हैं उसके खजाने पर डिग्री कर सकते हैं, मेम्बरों को हटा सकते हैं, ऐसी सूरत में हमें सोचना पड़ेगा कि इस धारा के द्वारा सामुहिक रूप से क्या अधिकार सरकार अपने पास लेना चाहती है ? में समझता हूँ कि इसकी कम से कम कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अपने अनुभव के आधार पर अपने एक्सपीरियेन्स के आधार पर इस प्रकार से उनको इनसे छूट दे तो मैं समझता हूँ कि वह लाभदायक सिद्ध होगा और ऐसी मेरी मान्यता है। मेरा अनुभव है, सरकार का भी हैं, अगर टेक्स लगाने के बारे में कोई नगर पालिका फैल होती है तो उसके साथ साथ सरकार भी टेक्स लगाने के बारे में फैल हुई है। दोनों एक ही पेरेलल पर काम कर रहे हैं फिर एक पर ही क्या इसका इल्जाम लगाया जाय ? इसके लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा...

(घंटी)

यह घंटी का संकेत किस बात का है उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष—रिपीटिशन हो रहा है।

श्री भैरूंसिंह—अच्छा साहब रिपीटिशन नहीं होगा।

तो इस क्लॉज़ में सुपरसीड करने के लिए, और नगरपालिका को डिज़ोल्व करने के लिए दो बातों का उल्लेख किया गया है। सुपरसीड करने में सरकार ने यह रक्खा है कि म्युनिसिपेलिटी को सुपसीड करना है और उसके लिए समय निर्धारित किया जावेगा कि कितने समय में म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड जिया जा सकता है। पहली मरतबा में वह समय छः महीने का हो सकता है और यदि सरकार यह चाहे कि छः महीने से काम नहीं चलने वाला है तो और छः महीने के लिए एक्स्टेन्ड कर सकती है तो इन दी एग्रीगेट १२ महीने तक सरकार किसी भी नगरपलिका को सुपरसीड कर सकती है। इसके पश्चात् उसमें भी एक चाल निकाली है कि यदि किसी नगरपालिका को सुपरसीड कर दिया गया और कोई उस सुपरसेशन के आदेशों के विरूद्ध हाईकोर्ट में अपनी ग्रीवन्सेज को अपने के लिये केसे चलाया जाता है जाता है, और उसकी वेलिडिटी के बारे में यदि हाईकोर्ट से स्टेओर्डर्स मिल जाता है तो जो पीरियड इस सम्बन्ध में स्टेओर्डस के लिए लगा किया तो पहला जो डिसिजन है छः महीने को सुपरसीड करने का और ६ महीने और सरकार समझे तो सुपरसीड कर सकती है उसको मिला कर १२ महीने का जो पीरियड हुआ स्टेओर्डर्स का जो परियड है वह उन बारह महीने में शामिल नहीं होगा बल्कि यह पीरियड उससे एक्सक्ल्यूड होगा और अलग गिना जावेगा। सरकार ने जो गलती की है उस नगरपालिका को सुपरसीड करने में उसके आदेश के विरूद्ध कोई व्यक्ति अपनी ग्रिवान्सेज को रिड्रेस करने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में जाता है और यदि उसको स्टे ओर्डस मिल गया तो सरकार उसके लिए कह रही है कि वह पीरियड एक साल की अवधि से एक्स्क्ल्यूड किया जावेगा। नगरपालिकाओं

[श्री भैरोंसिंह]

की अवधि चार साल ही होती है, अगर सरकार किसी नगरपालिका को परेशान करना चाहती है, उस नगरपालिका को सरकार छः महीने के लिये सुपरसीड करेगी, छः महिने की अवधि पूरी होने पर फिर कहेगी कि नगरपालिका इस स्थिति में नहीं है कि इसके चुनाव कराये जायं या नहीं, इसलिए छः महीने और सुपरसीड सरकार करेगी। चाहे वह वाजिब हो या नही, उसकी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल सरकार यह मानती है, केवल सरकार की यह इच्छा है कि म्युनिसिपेलिटी ठीक काम नहीं कर रही है तो इसके लिए छः महीने का एक्स्टेन्शन मिलेगा, वह सुपरसीड होगी बाद में चुनाव होगे और चुनाव किस तरह होंगे जिसका क्लॉज़ २२ में उल्लेख कर दिया गया है। जिस तरह की चुनाव की व्यवस्था रखी है उसके अनुसार चुनाव करा दिये जावेंगे। सुपर सीड करना और डिजोल्व करना दोनों प्रोवाइड किया हुआ है। सुपरसीड करने से डिज़ोल्व करने की हालत अच्छी है। अगर किसी भी म्युनिसिपेलिटी को डिजोल्व कर दिया तो चुनाव तो होंगे। लेकिन अगर सुपरसीड करेंगे तो १२ महीने तो वैसे निकलेंगे और ६ महिने का जो वह पीरियड रखा है उसके बाद कहीं जाकर चुनाव की व्यवस्था हो सकेगी। चार वर्ष में से १॥ वर्ष तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार परेशान करेगी और यह समय इस प्रकार से व्यतित हो जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष, जनता का सवाल है, जनता के अधिकारों का सवाल है, जनता नगरपालिका में किसी सदस्य को चुन कर भेजती है, जो सदस्य वहां के जनता के प्रति भी उत्तरदायी हैं, उनको हमारी सरकार को क्यो अधिकार होना चाहिए कि वह उन प्रतिनिधियों को हटा कर डिक्टेटर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रुप में अपने किसी अधिकारी को भेज दे। मैं निवेदन करूंगा कि इस जनतंत्र के युग में, प्रजातंत्र की भावना की कद्र करनी चाहिए, और कद्र करने के लिए जनतंत्र की इन बेसिक युनिट्स को जितना प्रोटेक्शन दे सके देना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि जिस धारा की व्यवस्था की गई है, म्युनिसिपल बोर्ड के कामों में जो हस्तक्षेप करने की चेष्टा की गई है, म्युनिसिपल बोर्ड को दबाने कीचेष्टा की है उस के द्वारा और जनतन्त्र की जो बेसिक युनिट्स हैं उनको कुचलने की जो चेष्टा की है वह अप्रजातान्त्रिक है। भले ही नगरपालिकायें वर्किंग मे गलतियां करें लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं कि सरकार को इस प्रकार से दखल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के लिए पाबन्दी सरकार ने अपने हाथ मेंकर ली है। सरकार को उनकी वृद्धावस्था में इस प्रकार से मारने का जो हक दिया जाय वह किसी भी सूरत में प्रजातान्त्रिक और न्यायसंगत नहीं होगा। मैं निहायत ही नम्रता पूर्वक निवेदन करूं कि जो इस प्रकार की धारा रखी गई है उसका खास कारण यही प्रतीत होता है कि म्युनिसिपेलिटी को डिजोल्व करके सरकार अवश्य ही अपनी पार्टी को प्रोटेक्शन देना चाहती है सरकार इस कारण से इस हथियार को अपने हाथ में लेना चाहती है कि जहां जहां उनकी पार्टी की म्युनिसिपेलिटीज़ होगी उनको वह आवश्यक प्रोटेक्शन देगी और यह कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। लेकिन जहां कहीं कांग्रेस दल की हार हो जाती है, यह अक्सर देखा गया है कि वहां के म्युनिसिपल इलेक्शन में मिनिस्टर अपनी आन बान शान दाव पर लगा देते हैं, यहां तक कि यह देखा गया है कि चीफ मिनिस्टर

Page No 45

[श्री भैरोंसिंह]

अपने आन शान को लगा कर इलेक्शन में उतर जाते हैं, लोगों को हर प्रकार के प्रलोभन दिये जाते हैं , लोगों को लालच दिये जाते हैं , लोगों को डरा धमका कर अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं और फिर भी अगर सत्तारूढ दल हार जाता है तो सरकार को ठेस पहुँचती है और सरकार कोशिश करेगी कि किसी न किसी प्रकार उस विपक्षी दल की म्युनिसिपेलिटी को समाप्त किया जाय और जब फिर इस बात पर आजायगी कि अमुक टैक्स लगाओ, नहीं तो इस नगरपालिका को फलां तारीख से सुपरसीड किया जायगा । सुपरसेशन के लिए सबसे पहले ६ महीने की अवधि निश्चित की और सरकार चाहेगी फिर उसको ६ महीने के लिए एक्सटेन्ड कर दे । उस नगरपालिका में इस तरह से १२ महीने वह एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा । १२ महीने में यह कोशिश रहेगी कि सत्तारूढ दल किस प्रकार से उस नगरपालिका में जा सकता है, अपनी स्थिति का अन्दाज लगायेगा । पावर में भी कब आयेगा ?सुपरसेशन की जो पहले ६ महीने की अवधि रखीहै उन छः महीनों में सत्तारूढ दल ने यह देखा कि वह पावर में आ सकता है, उसके पक्ष में हैं, तो वह फौरन चुनाव करायेगा और यदि सत्तारूढ दल यह समझेगा कि स्थिति ठीक नहीं है तो वह दल कहेगा कि स्थिति ठीक नहीं है और चुनाव न कराओ । इस तरह से फिर छः महीने का एक्स्टेन्शन होगा और अगर फिर भी पता चलेगा कि स्थिति ठीक नहीं है तो हाईकोर्ट में इसको लेजाने के लिए जो समय निकाला गया है उस हथियार के द्वारा वह छः महिने की अवधि और भी अधिक बढ़ा देगा । वैसी सूरत में अगर सत्ता का दुरूपयोग और अपने पक्ष को प्रबल बनाने में यह काम आता है तो सरकार को कम से कम इस प्रकार के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए ।

माननीय उपाध्यक्ष , इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (४) को पढ़ा जाय:

"when a board is dissolved under sub section (1) the foilowing consequences shall ensue—

(a) all members of the board including the Chairman and the Vice Chairman shall, on the date specfied in the order of dissolution under clause (a) of sub section (1) , vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility fot re-election."

अब प्रश्न यह आता है कि हम डिज़ोल्व भी कर रहे हैं, सुपरसीड भी कर रहे हैं लेकिन एक उनके साथ सुविधा है कि वे दुबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं । कोई मेम्बर या जिन मेम्बरों के समूह को डिज़ोल्व कर रहे हैं या सुपरसीड कर रहे हैं उनको ऐसा अधिकार दे रहे हैं कि वे दुबारा चुनाव लड़ कर आ सकते हैं तो इस चीज़ को मान कर चल रहे हैं कि उन्होने कोई भी गैर काम नहीं किया कि उस बोर्ड को डिजोल्व करें । डिजोल्व यों हुआ कि मेम्बरों के खिलाफ सीरियस चार्जेज़ हैं, पावर को एब्यूज करने के चार्जेज़ हैं, जिसके कारण से मिस्कंडकट साबित हो और यदि वह आगे के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता तो मै थोड़ासा मानता की इससे मंशा पूरी होती । इस कारण से हम

Page No 46

[श्री भैरोंसिंह]

किसी को हटाते हैं तो आयन्दा चुनाव लड़ने से भी रोकना चाहिये। यह प्रीविग्स चार्ज है। लेकिन यह व्यवस्था की है वह चुनाव में भाग ले सकता है कि म्युनिसिपल बोर्ड पर किसी प्रकार का विशेष चार्ज नहीं होगा केवल मन गढ़ंत बात के कारण अपने दल के लोगों को खुश करने के कारण डिजोल्व किया जाता है। डिजोल्व करने के बाद ६ महीनों के अंदर अंदर दुबारा चुनाव होगा और उस चुनाव में वे ही आदमी खड़े हो सकते हैं। तो मानलीजिये कि वे वापिस चुनाव लड़ कर जीत गये और उनमें से ही चुनाव हुआ। आदमी नगरपालिका का चेयरमैन बनता है तो वह फिर कहेगा कि हम तो टेक्स नहीं लगायेंगे। हमारा सरकार से मतभेद आज भी एग्जिस्ट करता है इसलिये सरकार के आदेश का पालन करने को तैयार नहीं है

आगे यह व्यवस्था है कि म्युनिसिपल बोर्ड की संपत्ति सरकार में निहित होगी और सरकार एक अधिकारी को नियुक्त करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगी। कल एक क्लॉज़ २६३ पास की है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसमें शायद यहां तक कर दिया गया है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी हो वह न तो टेक्स लगा सकता है, न टेक्स लगाने के प्रपोजल दे सकता है और न बाइ लॉज या रूल्स बना सकता है या उसके लिये प्रपोज़ल दे सकता है। तो ऐसी सूरत में एडमिनिस्ट्रेटर भी कोई काम नहीं कर सकेगा। काम तो जनता द्वारा चुना हुआ जो बोर्ड आयेगा वही कर सकेगा तो सरकार की वह मंशा इससे पूरी नहीं होती और उनका समाधान नहीं होता ऐसी सूरत में डिजोल्व का उपयोग रहता है तो वह उपयोग क्या होगा। वह उपयोग पार्टी के लोगों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता।

आगे आती है सुपरसीड करने की बात। उसका उल्लेख है सब क्लॉज (५) में;

"(5) When a board is superseded under sub-sections (1), the following consequences shall ensue:—

(a) all members of the board including the Chairman and the Vice-Chairman shall forthwith vacate their respective offices, but without prejudice to their eligibility for re-election;

(b) all powers and duties of the board shall, during the period of supersession specified under clause (b) of sub-section (1) or extended under sub-section (2), as calculated in accordance with sub-section (3), be exercised by such person or persons as the State Government may from time to time appoint in that behalf;

(c) all property vested in the board shall, during such period, vest in the State Government; and" अब आता है (डी)। इस (डी) को देखने से पता चलता है :

[श्री भैरोंसिंह]

"(d) the board shall be reconstituted in the manner laid down in clause (b) of sub-section (4) before the expiry of such period and shall start functioning immediately upon such expiry." अब वह क्या है ? क्लॉज (४) (बी) में क्लॉज़ २२ के अनुसार चुनाव करने का तरीका है वही होगा डिजोल्व करने में लोगों को पता लगता है कि सुपरसीड कर करने में दिया । सुपरसीड और सुपरसीड करने में शायद कम शक्ति है और डिजोल्व करने में ज्यादा लेकिन वास्तव में सुपरसीड करने की बात को ज्यादा घातक रखा है । डिजोल्व करने के बाद तो ६ महीनों के अन्दर अन्दर चुनाव करना पड़ेगा । लेकिन सुपरसीड करने के बाद ६ महीने भी निकल सकते हैं और २ साल भी निकल सकते हैं । यदि सुपर सीड करने के बाद उक्त म्युनिसिपेलिटी ने हाई कोर्ट में रिट पेश कर दी तो और भी ज्यादा समय लग सकता है । लेकिन जब हम किसी बोर्ड को डिजोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम बोर्ड को सुनने का मौका दें और फिर रीइन्स्टेट करने की व्यवस्था करें लेकिन इस सुपरसेशन में रीइन्सटेट करने की व्यवस्था करें लेकिन इस सुपरसेशन में रीइन्सटेट करने का कोई उल्लेख नही है । यह डिजोल्यूशन से भी ज्यादा घातक है । हमें यह सोचना पड़ेगा । जनता के नुमायन्दे चुने हुए व्यक्तियों को अधिकार दिये हैं उनको कैसे छीन सकते हैं इस सिद्धान्त का यहां उल्लेख आता है । विधान सभा के कोई सदस्य अनियमितता करते हैं तो उनको हटाने का अधिकार किसी को नहीं है । उसके लिये प्रिविलेज मोशन लाकर निष्कासित किया जा सकता है लेकिन एक सदस्य को हो । लेकिन सारे सदस्यों की विधान सभा को डिजोल्व करना है तो राष्ट्रपति ही विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं और वह भी विशेष परिस्थितियों के अंदर कर सकते हैं । स्वेच्छा से वे भी नहीं कर सकते । लेकिन किसी म्युनिसिपल बोर्ड को नहीं चाहेंगे तो उसको भंग करने की चेष्टा करेंगे । सरकार को ऐसे अधिकार नहीं देने चाहिये यदि ऐसे अधिकार मिले तो निश्चय क्या लाजमी तौर से उसका दुरुपयोग होगा । हमने कई बार जिक्र किया कि सरकार इस प्रजातन्त्र के आधार पर बनी हुई नगरपालिका पर ज्यादती करती है तो डेमोक्रेसी पर से लोगों का विश्वास ही उठ जायगा और जो विश्वास अभी डेमोक्रेसी में लोगों का है उसमें कमी करने की चेष्टा होगी । आज सब लोग कहते हैं कि हमको बड़े बड़े प्रोविन्सेज नहीं चाहिये । एस. आर. सी. की रिपोर्ट आने के बाद इस प्रकार का परिवर्तन लोगों की भावना में आया है और देशभक्ति की भावना पैदा हुई है । संकीर्ण भावना को त्याग करके विशेष दृष्टिकोण सम्पूर्ण देश के प्रति रखना चाहिये इस प्रकार की भावना लोगों की हो रही है । आगे चलकर यह भावना युनिट फोर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की तरफ बढ़ेगी । सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायतों की स्थापना की गई है, लोकल बोडीज़ को डेवलप करने की कोशिश भी इसलिए की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का निर्माण भी इसी वजह से किया जा रहा है । यदि आप इनको सत्ता नहीं देना चाहते हैं तो सत्ता को केंद्रीभूत करलें । यदि सरकार का अंकुश इन स्वायत्त संस्थाओं पर बना रहेगा तो वे सरकार के माउथ पीस बन कर काम कर सकेंगे । म्युनिसिपेलिटीज के चुने हुए सदस्य अपनी इच्छा से कोई काम कर सकेंगे, ऐसी बात नहीं होगी बल्कि सरकार के हुक्म की तामील करने के लिए जनता के चुने हुए आदमी होंगे । यहीं जनता के चुने हुए आदमियों को सही माने में जनता की सेवा करने का

[श्री भैरोंसिंह]

मौका मिलना चाहिये। जिस प्रकार का एक्ट पास हो रहा है और जिस प्रकार की धारा पास हो रही है उससे यह होगा कि चुने हुए आदमी सरकार के माउथपीस होकर, सरकार के मोस्ट ओबिडियेन्ट सरवेन्ट होकर रहेंगे और उसकी आज्ञा मानते रहेंगे और सरकार उनकी मरजी आवे जैसा उपयोग करती रहेगी। यह समयानुकूल बात नहीं है बल्कि समय के विपरीत बात है। मैं कहूंगा कि नगरपालिकाओं को हम ऐसे अधिकार दें, ऐसा एक्सपीरियेन्स करने का मौका दें और इन संस्थाओं के लिए एक विशेष परिस्थिति का निर्माण कर और दें जिससे किसी भी सूरत में इसको भंग नहीं कर सकें।

मैं एक बात अन्त में और कहूंगा। नगरपालिका को भंग करने की जो बात कही गई है या उसको सुपरसीड करने की जो बात पैदा हुई उसका मूल कारण क्या है? किन परिस्थितियों में सुपरसीड हो सकती है। हमने इन मंत्रीजी के पहले जो स्वायत्त शासन मंत्रीजी थे उनके कार्यकाल को देखा है! उनकी कार्य प्रणाली का अनुभव किया है। उन्होंने पंचायतों के चुनाव कराये थे, तहसील पंचायतों का निर्माण कराया था। तो जो सरकार आज दावा करती है कि डेमोक्रेसी में सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता उसको मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव हुए, रूल्स बने हैं उसमें इस सरकार के एक स्वायत्त शासन मंत्री का किस प्रकार हाथ रहा है, ये चीजें देखें। ईमानदारी के साथ देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में विशेष नहीं कहना चाहता क्यों कि यह सरकार के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मन्त्रीजी के एक सहयोगी द्वारा पहले के मन्त्रीजी के द्वारा जो जो बातें की गई उसका कई बार जिक्र आया, पंचायतों के सर्कल बने, पंचायतों के चुनाव हुए, गांवों को इधर उधर मिलाया गया...

श्री उपाध्यक्ष—इस क्लॉज़ के बारे में ही कहिये।

श्री भैरोंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं उदाहरण नहीं प्रस्तुत करूंगा तो क्लॉज तो ५ लाइन का ही है। मैं डेमोक्रेसी के मूलभूत जितने उसूल हैं उनके साथ सरकार ज्यादती कर रही है, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यदि इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा तो सदन यह कहेगा कि सारी चीजें महत्व नहीं रखती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जनरल भाषण की शक्ल बन रही है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और पंचायतों का जिक्र क्या आ रहा है?

श्री भैरूंसिंह—यह तो लाजमी तौर से आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—यों तो कोई काम खत्म नहीं होगा।

श्री भैरूं सिंह—इनको यदि प्रजातंत्र की तराजू के एक तरफ रखें और सारे म्युनिसिपल बिल को एक बाजू रखें तो यही पलड़ा भारी रहेगा।

उस पलड़े को बिलकुल खत्म करने के लिए जो बातें न्यायसंगत हैं रिलेवेन्ट हैं वे सदन में पेश करनी चाहिये, इसीलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और पंचायतों और तहसील पंचायतों की बातें रखी है।...

श्री उपाध्यक्ष—स्ट्रिक्टली रिलेवेन्ट ही कहिये।

श्री भैरूं सिंह—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि म्युनिसिपैलिटीज़ के उदाहरण इस सदन में पेश करूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा। आज एक म्युनिसिपैलिटी को भंग करने के लिए जिस समय निर्णय लिया जाता है तो दो परिस्थितियों में लिया जाता है। एक तो यह कि सरकार के पक्ष की वह म्युनिसिपैलिटी है कि नहीं, सरकार के पक्ष की भी है तो उनके दल की है कि नहीं। आज हमारी खुशकिस्मती से यहां दो प्रकार के दो विरोधी दल हैं। एक तो सैद्धांतिक दृष्टि से और दूसरा एक ही पार्टी का विरोधी दल। ऐसी सूरतों में हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार के अधिकारों का कहीं भी दुरूपयोग होता हो तो उसे रोकना चाहिये।

मैं कोटा की म्युनिसिपैलिटी का हाल आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोटा में कई दिनों से चुनाव नहीं हुए, हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ, आधे वार्ड्स का चुनाव हुआ आधे वार्ड्स का चुनाव नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर वहां काम कर रहा है। सरकार ने देखा कि विरोधी दल ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का फायदा उठा कर कहीं चुनाव जीत नहीं जाय इसलिये सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर को कहा कि एक विशेष प्रकार का, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के बारे में, ऑर्डर दो। उसने सरकार की आज्ञानुसार ऐसा ही किया। इस पर वहां की जनता ने रिप्रेजेन्टेशन किया, उस रिप्रेजेन्टेशन को सरकार ने मान लिया, सरकार ने उसे मानने में बड़ी सहनशीलता और सहानुभूति का प्रदर्शन किया पर, इसके पीछे एक बात छुपी हुई थी वह यह कि उनके रिप्रेजेन्टेशन को मान कर सरकार उन पर अहसान थोप दे कि तुम्हारे कहने से हमने इसे नहीं लगाया ताकि सारे के सारे लोग सरकार के पक्ष में हो जांय। जहां एडमिनिस्ट्रेटर रख कर सरकार इस तरह के काम करा सकती है वहां हमें सोचना चाहिये कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर से फायदा होगा या नुकसान?

चुने हुए आदमी काम करते हैं तो उन्हें हटाने का अधिकार जनता को होना चाहिये। यदि एक मेम्बर गलती करता है तो उसको हटाने का अधिकार जनता को होना चाहिये। ऐसी सूरत में म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने और डिज़ोल्व करने का कोई अधिकार सरकार को देगें तो वह डेमोक्रेसी के अनुकूल नहीं हो कर प्रतिकूल होगा और उसको खड्डे में डालने वाला होगा।

[श्री भैरू सिंह]

मैंने फोरेन कन्ट्रीज़ की भी इस विषय की पुस्तकें पढ़ी हैं और यदि आवश्यकता हुई तो मैं उनके उद्धरण सदन के सामने रखूंगा, कहीं किसी भी कन्ट्री में डिज़ोल्व करने का या सुपरसीड का प्रोविजन नहीं है। अमेरिका में म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें स्पष्ट संकेत है कि सरकार के अधिकार इन चीजों में कम से कम होने चाहिये। वहां तो यह होता है, पर यहां जहां कि डेमोक्रेसी को शिशु अवस्था में हैं, उसका शिशु अवस्था में ही गला घोंटना कहां तक उचित है? इसलिये मैं मा० सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सुपरसीड करने के और डिज़ोल्व करने के अधिकार सरकार के हाथ में न दें।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा — माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ को डिलीट करने के सिलसिले में तकरीर की गई है, पर इस तकरीर में कहा क्या गया है, यह कुछ समझ में नहीं आया। दोनों तरीकों से मेरे लायक दोस्त ने बोलने में वे बातें भी बोलीं जो इस दफा को सपोर्ट करती हैं और उनके कहने का मतलब यही निकलता है कि इसी हालत में यह दफा रहना जरूरी है। उन्होंने ऐसी मिसालें बताई जिनसे यह रहनी चाहिये। लेकिन इस दफा को डिलीट करने के सिल-सिले में जो उन्होने बातें बताई उनके सारे भाषण का सार इस बात पर मबनी है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया; उन्होंने यही बात रखी कि सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग करने की ज्यादा पोसिबिलिटीज़ हैं, सरकार इसको बहुत गलत तरीके से काम में ले सकती है और एक म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करके या भंग करके अपने दल की इमदाद कर सकती है। पर उन्होंने ये सारी बातें इसलिये कही कि वे सरकार की तरफ से प्रेजुडिस्ड हैं। अगर सरकार को आप ओनेस्ट समझते तो यही कहते कि यह दफा रहनी चाहिये। लोकल बोडीज़ को कन्ट्रोल करने के लिये इस प्रकार की दफा जरूरी है। मान लीजिये एक म्युनिसिपेलिटी की ऐसी अवस्था हो सकती है कि वह म्युनिसिपैलिटी गडबड कर देवे, अपने फरायज का अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे रही है या उसके जो अधिकार हैं उनमें एक्सटेन्ड करती है, तो उस सिलसिले में क्या होना चाहिये? ऐसी सूरत में क्या किया जाना चाहिये, इसके लिये आपने कुछ नहीं बताया। इस तरह की गडबडी हो और सरकार ईमानदारी से उस हालत को सुधारना चाहती हो तो उसे क्या करना चाहिये, इस मामले का आपने अपने इतने लम्बे भाषण में कुछ नहीं बताया। आपने यह बताया कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की गडबडियों को देखते हुए भी सरकार ने अभी तक उसे डिजोल्व नहीं किया, सुपरसीड नहीं किया। इसके साफ माने हैं कि सुपरसीड करने के और डिजोल्व करने के अधिकार तो सरकार को देना वे चाहते हैं। जयपुर डिस्ट्रीक्ट बोर्ड अगर गड़बड़ी करता है तो उनको सुपरसीड करने अथवा डिजोल्व करने का अधिकार वे सरकार के हाथ में देना चाहते हैं, पर यह सरकार तब तक कैसे कर सकेगी, जब तक कि सरकार के हाथ में ये पावर न दिये जायं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपका भाषण सेल्फ कन्ट्राडिक्ट्री है, एक तरफ तो आप यह चाहते हैं कि बोर्ड अगर गडबडी करे तो उसको डिज़ोल्व या सुपरसीड किया जाना चाहिए और दूसरी तरफ सरकार को ऐसे पावर देने का विरोध करते हैं। जयपुर, जोधपुर

[श्री त्रिवेणीश्याम]

म्युनिसिपलिटियों के जो उदाहरण दिये तो यह सारी बातें सोच कर दिये कि सरकार बेईमान है, ईमानदार नहीं, आपके दिमाग में यह बात घुसी हुई है। अपोजिशन को तो ऐसी बातें बोलनी चाहिये। सरकार को तो ईमानदार मानना चाहिये, क्योंकि सरकार एक बोड़ी है, हां आप इन्डिविज्युअल के लिये कुछ भी कह सकते हैं। किसी बात को लेते हैं तो उसूलन हमें यह देखना चाहिये कि हम शुरू से आखिर तक उसूलन एक अच्छी चीज रखें। तो इसलिये इस क्लॉज का रहना जरूरी है और जरूर ही नहीं मैं तो यह कहूंगा कि इसका रहना निहायत जरूरी है। आपने सरकार की बद्दियान्ती के बारे में बताया तो इसके संबन्ध में आप २६३ का रेफरेन्स देते हैं तो उससे आपका यह कहना गलत हो जाता है। आपने कहा है कि पोवर को एब्यूज़ करेंगे। इसके लिये मैं यह कहूँगा कि इसका प्रश्न नहीं है कि इसका रहना जरूरी है या नहीं। आपने अपने लम्बे भाषण में कोई सुझाव नहीं बताया और न यह बताया कि यह क्यों नहीं रहना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अधिकार सरकार के हाथ में होना बहुत जरूरी है ताकि वह सारी मशीनरी को कन्ट्रोल कर सके। अगर मिनिस्टर इस बात को पसन्द करें कि म्युनिसिपेलिटी के नागरिकों की राय मालूम की जाय तो मैं समझता हूँ कि वह ज्यादा अच्छा हो। अगर वे भी इस बात को चाहते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। सरकार का इम्प्रेशन और पब्लिक भी सेटिसफाइड हो। अगर आप पोवर को एब्यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में सरकार के पास ऐसी ताकत रहनी चाहिये कि वह पोवर को एब्यूज़ करने वालों को रोक सके। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से यह क्लॉज है उसी रूप में रहना चाहिये with my proposal of amendment.

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, गवर्नमेंट इस क्लॉज़ के द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड को सस्पेन्ड या डिज़ोल्व कर सकती है और इसके वास्ते उसको इनकोम्पीटेन्ट और डिसएबल टू वर्क साबित करके फिर सस्पेन्ड करने का पोवर गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसको एक अप्रजातान्त्रिक बात समझता हूँ। हम देखते हैं कि हमारे यह म्युनिसिपल बोर्ड इस प्रकार के बनाये गये हैं जिस प्रकार सरकार चाहे हथकन्डे करके जिधर उसको ले जाना चाहे ले जा सकती है और जिस तरह उनसे काम कराना चाहे उसी प्रकार काम करा सकती है। उसी प्रकार सरकार म्युनिसिपल बोर्ड से जिस प्रकार की ड्यूटीज़ लेना चाहती है, जिस प्रकार के टैक्स इम्पोज़ करना चाहती है, फिर भी मैं समझ नहीं सका कि उसको सस्पेन्ड या डिज़ोल्व करने का पोवर लेने से सरकार की क्या मंशा है? मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कहीं उसके लिये यह कहा जावे कि यह विरोध करने के लिये ऐसा किया जा रहा है तो मैं यह कहूंगा कि ऐसी बात नहीं हैं। आप देखेंगे कि जयपुर की म्युनिसिपल कमेटी को सरकार ने सस्पेन्ड किया और उस पर यह आरोप लगाया कि वह ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाई और उसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। जो काम उसको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये करना चाहिये था नहीं किया, यह आरोप लगा कर म्युनिसिपल कमेटी को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उसको सस्पेन्ड कर दिया। लेकिन अब सरकार ने पोवर अपने हाथ में रखने के बावजूद

[श्री शंभुसिंह]

भी बोर्ड की स्थिति एक सूत भी आगे नहीं बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि जो स्थिति म्युनिसिपल बोर्ड की उसको सस्पेन्ड करते समय और सरकार के हाथ में लेते समय थी वही आज भी हैं। सरकार ने कौनसा टैक्स इम्पोज कर लिया जो करना चाहती थी या कौनसी और ड्यूटीज जो म्युनिसिपल बोर्ड नहीं कर पाया था वह कर ली। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि म्युनिसिपल बोर्ड को केवल विरोध होने के नाते ही सस्पेन्ड किया गया था। यदि कुछ काम करने की सरकार की मंशा होती तो कुछ काम कर पाती, लेकिन हम देखते हैं कि जो हालत म्युनिसिपल बोर्ड के चुने हुए सदस्यों के समय थी वहीं हालत आज भी है बल्कि जहां तक तक म्युनिसिपल बोर्ड के कर्तव्य पालन का प्रश्न है, हम तो समझते हैं कि जिस प्रकार से आज सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है उससे ज्यादा संतोषजनक तरीकों से म्युनिसिपल बोर्ड काम रहा था।

आप जयपुर की गन्दगी को लेकर चलिये तो आप को मालूम होगा कि वही गन्दगी जो पहले थी आज भी है। जयपुर में पानी के अभाव की स्थिति को देखिये पानी की दिक्कत को अभी तक दूर नहीं किया जा सकता है। हालां कि गर्मी का मौसम अभी शुरू होने वाला है फिर भी पब्लिक को पानी के लिये काफी कष्ट उठाना पडता है। तक इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड को सस्पेन्ड करने के लिये जो सरकार ने कारण बताये हैं वे खयाली हो सकते है और इन कारणों का मौजूद रहना उस वक्त तक जरूरी हो जाता है जब कि म्युनिसिपल बोर्ड के बहुत से आय के साधन सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं और सरकार उनसाधनों को म्युनिसिपल बोर्ड को देना नहीं चाहती। तो आप खयाल फरमा सकते हैं, माननीय उपाध्यक्ष, कि जब म्युनिसिपेलटी के पास आय के साधन नहीं और जो आय म्युनिसिपल बोर्ड को होनी चाहिये वह सरकार अपने कब्जे में रखे तो ऐसीहालत में म्युनिसिपल बोर्ड कहां तक सफलता पूर्वक काम कर सकता है। जब आय कम हो हालत में कर्जा हो जावे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

म्युनिसिपेल्टी के आय के बडे साधन वाटर वर्कस् और पावरहाउस हैं जो म्युनिसिपल बोर्ड के पासर होने चाहिये मगर उनको सरकार ने अपने पास ले रखा है। सरकार ने उनको हतिया रखा है और जबतक सरकार इन विभागों को म्युनिसिपल बोर्ड को नहीं दे सकती हैं तबतक म्युनिसिपल बोर्ड स्वालम्बी नहीं हो सकते। और तमाशा यह देखिये कि ये विभाग देना तो दूर रहा उनके जरिये जो सार्वजनिक स्थानों में पानी और बिजली सप्लाई होती है उसके लाखों रुपये बाकी निकाल कर म्युनिसिपेल्टी से वसूल करने की बात की जा रही है। सरकार म्युनिसिपल बोर्ड के आय के साधन तो अपने हाथ में रखें और उस पर सरकारी बाकी निकाल कर उस बोर्ड को इन्कोम्पीटेन्ट साबित करने की कोशिश करें तो माननीय उपाध्यक्ष, ऐसी सूरत में जब आय के साधन सरकार उनको नहीं दे सकती तब तक वह स्वालम्बी नहीं हो सकती। उनको ठीक तरह से काम अन्जाम देने के लिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी आय के साधन उसको मिलते रहें और उसकी आय के साधन उसको उपलब्ध हों।

[श्री शंभुसिंह]

अब रहा टैक्स इम्पोज़ करने का प्रश्न । अगर वह चाहे तो टैक्स इम्पोज़ कर सकती है। मगर जब तक उसके वाजिब आय के साधन हैं वे उसको नहीं मिलते तब तक वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि आया टैक्स लगाया जा सकता है या नहीं। अगर उसकी वाजिब आय के साधन उसको मिल जाते हैं और फिर भी टैक्स लगाने की आवश्यकता हो तो फिर वह लगाएगी। अगर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं हो तो फिर वह पब्लिक से टंटा क्यों मोल लेवे और पब्लिक की नजरों में अनपोपुलर क्यों बने । इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अधिकार सरकार को नहीं देने चाहिये । जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड की भी राय ओक्ट्रोय ड्यूटी लगाने की नहीं थी और उसके पास इसके लिये यही आरग्युमेंट था कि जो बोर्ड के साधन हैं उनको पहले उन्हें दे दिये जावें और उसके बाद वह इस पर विचार करेगा कि टैक्स लगाया जाना चाहिये या नहीं ।

परन्तु सरकार उसमें मनमाना ढंग अपना कर उस बोर्ड को सुपरसीड कर देती है । नतीजा यह होता है कि जो हालत बोर्ड की उस समय थी, जो टैक्सेज़ उस वक्त थे आज भी वही टैक्सेज़ हैं । सरकार न तो उनमें तरमीम ही कर सकी और न नये टैक्स ही इम्पोज़ कर सकी, क्योंकि सरकार इस तरह से अन पोपुलर नहीं बनना चाहती । सरकार खुद इस बात से डरती है कि अगर उसने ओक्ट्रोय आदि इम्पोज़ किया तो वह अनपोपुलर हो जायगी, वह इस बात को जानती है कि जनता के चुने हुए आदमी जनता पर उनकी इच्छा के विपरीत टैक्स इम्पोज़ नहीं कर सकेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि जिस प्रकार का यह अप्रजातान्त्रिक प्रावधान हम इस बिल में करने जा रहे हैं यह एक प्रकार से अनावश्यक क्लॉज़ है । म्युनिसिपल बोर्ड पर कन्ट्रोल रखने के वास्ते यहां चेप्टर बनाया गया है इस प्रकार का प्रावधान पहले से मौजूद है, यह एक सुपरफ्लुअस प्रावधान है इसकी, मैं समझता हूं, इस कानून में आवश्यकता नहीं । अगर इस प्रकार के प्रावधान रखे गये तो म्युनिसिपल बोर्ड्स को कायम करने की आवश्यकता क्या है ? सरकार अपने विभिन्न विभागों द्वारा सोशियल सर्विसेज़ हैं उनका जितना भी निर्माण कराये, करा सकती है । लेकिन अगर सरकार को सही मायने में जनता को स्वायत्त शासन देना है तो उसको अधिकार भी देने चाहिये और उसके ऊपर इस प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाई जानी चाहिये कि सरकार जब चाहे ऐसे बोर्ड को चुने हुए बोर्ड को, जो जनता के प्रति जिम्मेदार है सरकार सुपरसीड कर दे या डिजोल्व कर दे, यह अप्रजातान्त्रिक बात होगी । इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा इस क्लॉज़ को जैसा दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो तजवीज पेश की है कि इसको डिलीट कर दिया जाय और मैं सदन के सदस्यों से आशा रखता हूं कि और उनसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के अप्रजातान्त्रिक क्लॉज़ को रख कर हम जो स्वायत्त शासन संस्थाओं को स्वायत्त शासन देने जा रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से वापिस ले जाने का प्रावधान कर रहे हैं, यह कदापि उचित नहीं है । इस वास्ते मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय दांता रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह एक मत से स्वीकार होना चाहिये ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक महत्वपूर्ण मसला है जिस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना आवश्यक समझता हूँ। हमारे कोन्स्टीट्यूशन के फाउण्डर फादर्स हैं उन्होंने तीन गवर्नमेन्ट्स को बेस बनाकर के डेमोक्रेसी का ढांचा तैयार किया है। (१) लोकल गवर्नमेंट (२) सेन्ट्रल गवर्नमेंट (३) स्टेट गवर्नमेंट। इन तीनों का इस प्रकार से रिलेशन कायम करने की कोशिश की है कि तीनों एक दूसरे पर मुनस्सर रहते हुए स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य कर सकें। इसलिये इस ढांचे को हमारे फाउन्डर फादर्स ने हमको दिया है उन निगाहों से अगर हम इस क्लॉज को देखें तो हमें वह सोचना होगा कि आया यह क्लॉज़ जरूरी है या इसको निकालना जरूरी है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां स्टेट गवर्नमेंट डील किया गया है विधान के अन्दर वहां ऐसी अवस्था में जब कोई इमरजेन्सी केओटिक कन्डीशन्स पैदा हो जाती हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में शक्ति ले सकती है। जिस वक्त चाहे नोटिफिकेशन्स के जरिये इमरजेन्सी डिक्लेअर करके प्रेसीडेन्ट का रूल कायम कर सकते हैं। इस तरह से हम यह नहीं कह सकते कि जिन कन्डीशन्स में इस प्रकार के अधिकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने रखे हैं अगर उसी प्रकार की स्थिति म्युनिसिपल बोर्ड में हो जाती है, उसको भंग करने के अधिकार लोकल गवर्नमेंट का क्या फर्ज होना चाहिये उसको देखना निहायत जरूरी है। मैं यह समझता हूँ दांता रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो सदन के समक्ष निवेदन किया वह इस आधार पर कि उनको जो इस चार साल के समय में जो तजुर्बा हुआ है उसके आधार पर उन्होंने शंकायें प्रगट की हैं। मैंने भी यह देखा कि हमारी चुनी हुई सरकार द्वारा किस प्रकार से म्युनिसिपल बोर्ड के साथ बरताव किया गया। कई जगह जानकर के भी धान्धलेबाजी की गई और धान्धले बाजी करने वाले व्यक्ति कौन थे सरकार के समर्थक थे, फिर भी सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इस प्रकार की मिसालें भी मौजूद हैं जिन म्युनिसिपल बोर्ड में अपोजिशन के मेम्बर्स थे उनको कभी भी म्युनिसिपल मीटिंग के लिये कभी भी निमन्त्रण नहीं दिया और उनकी अनुपस्थिति में ही मीटिंग कर ली गई और मीटिंग में शरीक न होने के कारण उनको म्युनिसिपल सदस्यता से अलग करने का नोटिस देने तक के लिये रिकमन्ड किया गया कि ये सदस्य अमुक मीटिंग में नहीं आये इसलिये इन्हें फलां फलां क्लॉज़ के तहत अलग क्यों न किया जाय। जब सरकार के सामने उन्होंने इस प्रकार के केस को रिप्रेज़ेन्ट किया तो गवर्नमेन्ट ने यह आज्ञा दी कि जब कभी मीटिंग बुलाई जाय इन सदस्य को को भी इत्तला दी जाय, उसके बाद भी यह मालूम हुआ कि उनको मीटिंग का नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस न देने की वजह से उनको डिसक्वालिफाई करने के लिये रिकमन्ड किया गया। जब कि माननीय मंत्री महोदय ने यह हुक्म दिया था कि उनको भी नोटिस दिया जाय उसके बावजूद भी उस हुक्म की तामील नहीं कि गई और उस सदस्य को सूचना तक नहीं दी गई। इन तीन सालों के अन्दर एक दफा भी इस बात का भी मौका नहीं दिया गया कि वे मीटिंग अटेन्ड कर सके। इतनी गडबडी होने के बावजूद मैं कह सकता हूँ कि चेयरमेन ने जानबूझ कर गवर्नमेन्ट के आर्डर की अवहेलना की और वे चेयरमेन कर रहे है जिनको जनता ने चुना है, वे ही जनता के चुने हुए एक

[श्री वेदपाल त्यागी]

मेम्बर्स के हक को खत्म कर रहे हैं वहां पर भी ऐसी धारा का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन उस जगह इस क्लॉज़ का प्रयोग नहीं किया गया जहां करना चाहिये था। मैं कोटा म्युनसिपेलिटी का उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वहां पर जिस व्यक्ति को सेक्रेट्री बनाकर यहां से भेजा गया था उसको लेने से वहां के सब सदस्यों ने इन्कार कर दिया जो सेक्रेटरी भेजा गया है वह हमें मान्य नहीं। इस पर क्या हुआ कि उस बोर्ड को डिज़ोल्व करने की नौबत आगई तो उसके अधिकारी स्वायत्त शासन मंत्रीजी से मिले और कहा कि जिस व्यक्ति को आपने भेजा है हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं, ऐसी कई मिसालें हैं जहां इस धारा का प्रयोग नहीं किया गया। अगर इस प्रकार की शक्ति को गवर्नमेंट के हाथ में दे दें तो उसका दुरुपयोग होता है और हो रहा है। अब मैं आपके सामने एक थोड़े से समय पहले जो उदाहरण हुआ वह पेश करना चाहता हूं। एक म्युनिसिपल बोर्ड की अवधि ३० मार्च को समाप्त होने वाली थी, २० मार्च को हुक्म दिया जाता है उसकी अवधि ३० जून तक बढाई जाती है। हालांकि वह आर्डर गजट में शाया नहीं हुआ पता लगा कि वहां के जो एम. एल. ए. हैं उनको पता लगा कि गवर्नमेंट ने उसकी अवधि बढा दी और वह अवधि नेचरल कोर्स में बढायी गई थी, क्यों कि उसके इलेक्शन समय पर नहीं हो सके थे। जिस म्युनिसिपलिटी के इलेक्शन समय पर नहीं हो सकते उसकी अवधि बढ़ाने का हक सरकार को है और उसी तरह से उस केस में उनकी अवधि बढा दी गई। अभी पता लगा कि वे माननीय सदस्य स्वायत्त शासन मन्त्री पर दबाव डाल रहे हैं, मैं जहां तक वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री को समझा हूं वे ऐसी बातों का शक करते हैं, वे कानून के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने में हिचकिचाते हैं लेकिन दबाव में आकर उन्होंने ६ अप्रेल को यह आर्डर दिया इस बोर्ड को सुपर-सीड किया जाता है, उसके इलेक्शन नहीं हो सकते। मैं यह निवेदन करूं एक म्युनिसिपल बोर्ड की अवधि ३० मार्च को खत्म हो जाती है उसकी अवधि बढाने के आर्डर हो गये और वे आर्डर सर्व कर दिये गये। लेकिन उसके बाद ही यह कार्यवाही हो जाती है कि उसको डिजोल्व कर दिया जाता है। और उस पर एडमिनिस्ट्रेटर मनोनीत कर दिया जाता है। इस धारा के उपयोग से दुरुपयोग ज्यादा होगा, मैं यह महसूस करता हूं कि गवर्नमेंट का कन्ट्रोल म्युनिसिपल बोर्ड पर होना चाहिये वह भी उसी हालत में जब कि केऑटिक कन्डीशन्स पैदा हों, उस समय गवर्नमेंट को इस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी महसूस करता हूं इस धारा का उपयोग न होकर दुरुपयोग ज्यादा किया जाता है और उस जगह दुरुपयोग किया जाता है जहां पर वे लोग काम कर रहे हैं वे, आज किसी वजह से आपके मत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आपका सपोर्ट करने को तैयार नहीं हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां हम यह पॉवर देते हैं वहां इस पर कन्ट्रोल रखने की भी जरूरत है कि इसका कोई दुरुपयोग न हो जावे। मैं यह मानता हूं कि जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था कि हमारी इन तीनों सरकारों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राज्य सरकार, और केन्द्रीय सरकार को स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने का मौका मिलना चाहिये। जहां तक हो सके इसमें इन्टर-

[श्री वेदपाल त्यागी]

फियरेंन्स नहीं होना चाहिये। पर इमर्जेंसी की हालत में कन्ट्रोल अवश्य होना चाहिये.पर यह भी मैं जानता हूं कि कन्ट्रोल इस प्रकार का रख दिया जावे कि जिसका बुरी तरह से दुरुपयोग किया जावे तो यह भी अनुचित है, जैसे कि क्योंकि तुमने हमारे मनोनीत सेक्रेटरी को रखने से इन्कार करने की गुस्ताखी की इसलिए तुम्हें सुपरसीड किया जाता है। या तो इसे रक्खो नहीं तो तुम सुपरसीड कर दिये जाओगे। मैं कहता हूं कि यह खिलवाड होगा डेमोक्रेसी के साथ और लोकल बोडीज़ के साथ। इसलिये इस प्रकार के पॉवर देने की मुझे कतई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि हम सरकार को सुपरसेशन का पावर दें। सिर्फ उसे डिजोल्व करने का पावर देना चाहिये। और वह भी ऐसी सूरत में जब कि वहां का काम ठप्प होने की सम्भवना हो, झगड़े आपस में ज्यादा हो गये हों, म्यू० की प्रोग्रेस बन्द होने वाली हो, स्वायत्त शासन खतम होने जा रहा हो और आगे चलने की उसकी कुछ भी गुंजाइश नहीं बाकी रह गई हो। अगर इस प्रकार डिजोल्व करने का पॉवर हम सरकार को देते हैं और इन सूरतों में देते हैं तो वह ठीक भी है और इसका दुरुपयोग भी नहीं होगा। पर इसके साथ ही एक यह भी पाबन्दी लगा दी जानी चाहिए कि डिजोल्यूशन के तुरन्त बाद इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए। अधिक से अधिक ६ महीनों में हो जाना चाहिये यह बन्दिश हो जानी चाहिये, नहीं तो डिजोल्यूशन का आर्डर ६ महीने के बाद अपने आप खत्म हो जावेगा और वही पुराना बोर्ड अपने आप फिर कायम हो जावेगा, तो मैं निवेदन करूं कि इस क्लॉज की अगर कोई आवश्यकता मैं समानता हूं तो केवल इस सीमा तक। और यह चैक लगाना भी मैं निहायत जरूरी समझता हूं कि डिजोल्यूशन का ही सिर्फ अधिकार हो और उसका भी सरकार द्वारा दुरुपयोग न हो इसकेलिये उस पर भी इस तरह का चैक लगाया जाना जरूरी ही नहीं इसे भी निहायत जरूरी समझता हूं ताकि सरकार इसका दुरुपयोग नहीं करे। जैसा आज तक वह करती आ रही है। इसलिये जहां सुपरसीड करने का पॉवर रक्खा गया है वहां मैं उसको डिलीट करने के पक्ष में हूं। इसकी कतई कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अगर कोई बोर्ड काम करने और ठीक तरह से चलाने काबलि नहीं है तो उसे एक साथ ही आप बरखास्त कर दीजिये और इलेक्टोरल को आप तुरन्त कहिये कि वह दूसरा बोर्ड चुने। यह सुपरसेशन का पावर जो है इसमें इसका दुरुपयोग होना इसी में इनहेरेन्ट (निहित) सा है। निश्चय ही इसका तो दुरुपयोग ही होगा। एक को आज आप अयोग्यता का सरटीफिकेट देते हैं और कल ही वह फिर योग्य आपकी निगाहों में हो जाता है जब कि वह काम नहीं कर रहा है। एक काम करता हुआ भी अयोग्य आपकी निगाहों में जंच जाता है। तो इससे मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर कोई अपनी योग्यता को कैसे साबित करेगा? इसलिये ऐसी हालत में डिजोल्यूशन का पॉवर रक्खा जाना और वह भी इस बन्दिश के साथ कि तुरन्त पश्चात् अधिक से अधिक ६ महीने में चुनाव हो जाय और सुपरसीड करने का पॉवर बिलकुल ही हटा दिया जाय, यह जरूरी है।

(श्री बद्रीलाल, सभापति, पदासीन)

[श्री वेदपाल त्यागी]

आज कई बोर्ड हैं जिनका दो दो सालों से चुनाव नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कायम हुए। किसी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जहां लोग कहते हैं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं का संचालन जनता के लोगों के द्वारा चलाया जाना चाहिये न कि सरकार के मनोनीत लोगों के द्वारा। पर क्यों कि सरकार के पास पॉवर है इसलिये उनको काम में लाना वह अपना कर्त्तव्य समझती है। जहां कोई कहता सुनता नहीं और कोई कहता है तो सुनाई नहीं और जहां राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता सामने आती है वहां उनका वह खुलकर दुरुपयोग करती है। ऐसी हालत में लेजिस्लेचर का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो लोग आज सरकार में बैठे हैं और जो वहां अपना इन्फ्लुएन्स जमा कर सरकार की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनको ऐसी शक्ति न दें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे और वे भी शायद इस बात के लिये बहुत कीन नहीं हैं कि यह शक्ति उनके हाथों में दी जावे जिसका कि वे मनचाहा दुरुपयोग कर सकें और उस शक्ति के साथ खिलवाड कर सकें, स्वायत शासन के साथ। इसलिये निवेदन करूंगा कि उनको केवल कुछ शर्तों के साथ डिजोल्यूशन का पावर हो।

इन शब्दों के साथ मैं दुबारा जोर देते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुनर्विचार करें और अभी कोई जल्दी में डिसीज़न न लें।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, इस एक्ट में एक क्लॉज़ ४५ रिमूवल आफ मेम्बर्स की रक्खी गई है। जिस पर इस सदन में बड़ी बहस हुई। सिलेक्ट कमेटी में भी हुई। ओरिजनल बिल में यह रक्खा गया था कि रिमूवल गवर्नमेन्ट करे। सिलेक्ट कमेटी में यह राय रही कि गवर्नमेन्ट एक पार्टी भी हो सकती है इसलिये कमिश्नर और कलेक्टर को यह पॉवर होना चाहिये। हाउस में जब यह फिर आया तो यह चर्चा हुई कि कमिश्नर और कलेक्टर सरकार के नौकर हैं, उनके अन्डर में रहते हैं, वे तो जैसा ऊपर से आदेश होगा या इशारा होगा उसके विपरीत कुछ कर नहीं सकेंगे इसलिये उनको भी नहीं दिया जाना चाहिये आखिर नतीजा यह हुआ कि कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और वह क्लॉज़ और सोच विचार के लिये डेफर किया गया। इसमें एक मेम्बर को हटाने का सवाल था। अगर कोई सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करे तो उसको सरकार हटावे या और कोई इससे भी बडी शक्ति हटावे जिसके ऊपर किसी को शुबाह न हो। तो यह तो एक मेम्बर को हटाने का सवाल है और यह सवाल है एक बोर्ड को हटाने का तो सारे बोर्ड को हटाना तो एक मेम्बर के हटाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिये स्वाभाविक ही इसका नतीजा यह होता है कि जब इसको डेफर किया गया है तो उसको निश्चित ही डेफर किया जावे और उसके साथ इसको भी तै किया जावे। एक को हटाने के लिये हम क्या मशीनरी बनाने जा रहे हैं और अगर हमें सारों को हटाना पड़े तो क्या मशीनरी बनावें और किस तरह से से उसको हटावेंगे, क्योंकि यह वाकई महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह और भी ज्यादा महत्व पूर्ण इसलिये भी बन जाता है कि पिछले पांच छः वर्षों का हमारा तजुर्बा रहा है कि गवर्नमेन्ट ने निश्चित रूप से ऐसे मामलों में अपने पॉवर को एब्यूज़ किया है इसमें किसी को कोई शुबाह नहीं है। कोई

[श्री गोपीलाल यादव]

डिस्प्यूट नहीं है । ट्रेजरी बैंचों वाले भी इसको मानते हैं और सदन में भी ऐसा कहते रहे हैं और आज भी कहेंगे और इसकी इन्स्टान्सेज़ आपके सामने हैं । तो हमें इस चीज को सेफ गार्ड करना है । यहां यह शुबाह है कि गवर्नमेंट करेगी पावर को एब्यूज़ क्यों कि वह इनफेलिएबल नहीं है ।

यह भी सोचने का है कि गवर्नमेंट तो इनफेलीएबल नहीं है । कोई भी पावर्स किसी आदमी के हाथ में दे दें तो वह कर ही सकता है तो बोर्ड का रिमूवल ठीक दिया है, अच्छी से अच्छी मशीनरी प्रोवाइड की जाय तो इसमें निश्चित ही यह है । इसके अलावा जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने एक बात कही कि सुपरसेशन बिल्कुल ही अनकोन्स्टीट्यूशनल है । सुपरसेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता, अगर कोई बोर्ड अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है तो आप डिज़ोल्व कर सकते हैं और फौरन ही महीने दो महीने में या ६ महीने में तो निश्चित ही अगर कोई खास हालत हो, वर्ना एक महीने, दो महीने या तीन महीने के अन्दर आप इलेक्शन्स करा सकते हैं । इसलिए सुपरसेशन के पावर्स नहीं होने चाहिये और डिज़ोल्युशन के पावर्स होने चाहिए और डिज़ोल्युशन किस तरह से किया जाय, किस तरह की एन्क्वायरी के बाद डिक्लेयर किया जाय, कौन करे; गवर्नमेंट कर दे या ट्रिब्यूनल करे इन सारी हालतों के सुपुर्द करें । इस चीज पर पूरा विचार करने की जरूरत है । तो जैसे कि ४५ वीं क्लॉज़ डेफर की हुई है और यह महत्वपूर्ण क्लॉज़ है इसलिए इसको भी विचार करने के लिए डेफर कर दिया जाय ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय सभापति महोदय, सदन के अन्दर क्लॉज़ ३०१ के ऊपर बहस चल रही है । यह क्लॉज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे पहले जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं उनकी यह राय है कि यह क्लॉज़ महत्वपूर्ण होने की वजह से इसके ऊपर आज निर्णय नहीं लिया जाय और सदस्यों के विचार सुन कर इसको डेफर कर दिया जाय, और बाद में सोच विचार कर फिर इसको सदन के सामने लाया जाय और पास किया जाय ।

अब इसके सिलसिले में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ । इस क्लॉज़ के द्वारा हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अगर कोई नगरपालिका ठीक ढंग से काम नहीं करे, अगर कोई नगरपालिका सरकार के कोई आदेश हैं, उनका पालन नही करती है, या नगरपालिका जिस तरह से काम कर रही है उससे जनता के अन्दर असंतोष है और नगरपालिका के जो फन्ड्स हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसी हालत में इस क्लॉज़ के जरिये सरकार को यह शक्ति दे रहे हैं कि सरकार उस नगरपालिका को सुपरसीड कर दे या डिज़ोल्व कर दे । मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो नगरपालिका को डिज़ोल्व कर दिया जाय या सुपरसीड कर दिया जाय । मेरा सवाल यह है कि इस काम को करने के लिए कौनसा तरीका अपनाया जाय ? इसके ऊपर सोच विचार करने की आवश्यकता है । इस क्लॉज़ के अन्दर, इस क्लॉज़ को लागू करने के

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

लिए एक प्रोसीजर प्रेस्काइब किया गया है, इसके अन्दर एक तरीका बतलाया है कि सुपरसीड करे या डिजाल्व करे, तो सरकार यह तरीका काम में लेगी। अब यह सोचने की बात है कि जो तरीका बताया गया है वह न्यायसंगत है या नहीं? मैं समझता हूं कि इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती कि जो तरीका इसके अन्दर बताया गया है वह न्यायसंगत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि इसके अन्दर वही तरीका अपनाया गया है कि किसी शख्स के खिलाफ मैं इल्जाम लगाता हूं और उसके बाद में ही निर्णय दे देता हूं कि वह दोषी है। उसी तरह से इस क्लॉज के अन्दर व्यवस्था की है। सरकार इल्जाम लगायेगी कि आप दोषी हैं और सरकार ही निर्णय करेगी कि आप दोषी हैं। मैं समझता हूं कि यह बात खटकने वाली है। यह बात जल्दी में नहीं तय हो सकती है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिसके अन्दर सब को न्याय मिले।

जहां तक इस क्लॉज के उपयोग का सवाल है इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि इसका दुरुपयोग आज तक हुआ है और आगे चल कर भी यदि हम इस क्लॉज को इसी रूप में पास कर देंगे तो दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए जो कानून हम बना रहे हैं उसके अन्दर ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिस से सबको उचित रूप से न्याय मिल सके। इसलिए मैं सदन के सामने एक सुझाव पेश करता हूं। मैं इस बात को मानता हूँ कि जिन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, उन परिस्थितियों के अन्दर सरकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट न किया जाय, और इसके अन्दर यह व्यवस्था कर दें कि जब सरकार यह महसूस करती है कि नगरपालिका ठीक काम नहीं कर रही है, नगरपालिका के प्रबन्ध में अव्यवस्था है जिससे जनता के अन्दर असन्तोष है, नगरपालिका में फन्ड का दुरुपयोग हो रहा है तो सरकार ऐसा करे कि हरेक डिस्ट्रिक्ट के लिए या राजस्थान भर के लिए एक म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल बना दे और म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल को ऐसे मामले सुपुर्द कर दें। म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल के सामने जो एलिगेशन्स (allegati cns) हैं उनकी सूची पेश कर दें। उसके बाद में म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल को फैसला करने का अधिकार दिया जाय कि आया जो भी इल्जाम लगाये गये हैं वे सही हैं या नहीं। म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल एक जुडीशियल बोडी होगी। वह अच्छी तरह से हर बात पर सोच विचार करेगी, नगरपालिका को भी कहने सुनने का मौका अच्छी तरह से मिल जायगा। उस हालत में जो न्याय होगा वह अच्छा न्याय होगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप न्याय के पक्षपाती हैं तो इस व्यवस्था को अपना लें। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसको हरेक न्यायप्रिय आदमी मानने को तैयार होगा। इस धारा के अन्दर सरकार अपने आपको यह महसूस करती है, कि इस धारा के जरिये जो एक्शन लिया जायगा और जिन नगरपालिकाओं पर इस धारा का असर पड़ेगा वे लॉ-कोर्ट्स में डिज़ोल्यूशन या सुपरशेसन को चेलेन्ज कर सकती हैं। उसके सिलसिले में बोर्ड का रिकोस्टीट्यूशन हो जाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे मामले लॉ कोर्ट्स के अन्दर बहुत दिनों तक पड़े

Page No 60

[श्री अवनि कुमार मुकर्जी]

रहते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि जब आप जानते हैं कि सुपरसेशन और डिज़ोल्युशन के आर्डर्स जब आप निकालते है तो लॉ कोर्ट में उनके चेलेन्ज होने की संभावना है तो ऐसी हालत में आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि वे चेलेन्ज न हों और इस धारा के अन्दर जो कुछ भी एक्शन लिया जाय वह न्यायसंगत हो, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ के अन्दर ऐसी व्यवस्था हो कि जिसके जरिये से सब को न्याय मिल सके। उसका बेहतर तरीका यह होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जजेज़ हैं उनको यह जिम्मेदारी देदें। नहीं तो सब से अच्छा यह होगा कि तमाम राजस्थान के लिए एक म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल बना दें और उस म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल के सामने ऐसे मामले पेश कर दिये जांय और जो कुछ निर्णय हो वह सरकार के ऊपर और म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर, और सब के ऊपर लागू हो। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे तब तक राजस्थान में स्वायत्त शासन संस्थाएं नहीं पनप सकेंगी। इसके लिए कई मिसालें आपके सामने पेश की जा चुकी हैं जो मिसालें पेश की गई हैं, उनका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला है, उससे मैं समझता हूँ कि प्रजातन्त्र के अन्दर हमको यह व्यवस्था न्यायसंगत करनी पड़ेगी, आज के इस युग के अन्दर यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सबको सच्चे मुआयने में न्याय मिल सके। इस पर जल्दबाजी से निर्णय नहीं लिया जायेगा और अच्छी तरह से सोच विचार कर के गम्भीरता से मनन करके निर्णय लिया जायेगा तो यह क्लॉज़ ठीक तौर से पास हो सकेगी।

श्री श्रीमानसिंह—Mr. Chairman, Sir, One of the Hon'ble members who spoke in support of section 3o1 said that the criticism of this section is due to because we have a proverbial mis-trust of the Government. But while I speak against this section I would like to assure the Hon'ble member that I regard the Government like Ceasor's wife above all suspicions. But in my humble opinion I would like that the power of supersession must go Lock-Stock and quite Barrel like the local representatives after the Municipal Board is dissolved. There may be sentimental fears of the Government or the imaginary ghost which has led to the incorporation of this section into this Bill. But, Sir, the incorporation of sections through fear means that fear is parent of irrational thought and action, and at least to my mind there is no support authentic where any authority whichever supported the power of superssion. These sentimental fears have led the Government to incorporate the power of supersession. But while we go back we find that the Government already exercises wide powers of control over the Municipal Boards. They are through the Legislature and through the Judiciary the law makers and law interpreters and also have administrative and financial control. These four powers I need not recount the different sections which embody these powers, but they are sufficient to counter-act the incompetence and the abuse of the powers either by the Municipal Board or by the local representatives. WhileI am

[श्री श्री मानसिंह]

aware of the organic nature of relationship between the State Government and the Municipal Board both are working ofr the organised life of the community, yet, Sir, we should not have powers which will under-mine this organic nature of relationship. If we go back to history, we will find that during the British Imperialism such powers were incorporated into the acts and history provides enough testa mony that they were mis-used. They were used either to suppress the natioeal upsearge or to do away with local representatives when the Imperialist Government feared them. We had no such reason to fear the local representatives. We should encourage the local representatives rather than use these drastic powers. Therefore, historically the incorporation of these powers is detrimental to the efficiency and Smooth working of the Municipal Board. These powers will reduce the local self-Government to a mere farce. There are dangers when these powers will be utilised as they had been utilised either from personal or partisan view, and this has then separate danger. This will not only strifle local initiatives, enterprise and local knowledge but will undermine the very basis of local institutions.

Therefore we should have those powers that will not reduce the municipal boards to mere cells of the Government appartus or we should not have such powers which will result in the saying that there is Apaplaxy at the brain &paralyse in the other, I have no doubt and I support to give those powers to Government which are helpful and giving them advice which work for both in co-operatiol and coordination. But those powers which undermine the very basis of the locas instutions and prevent them from rightful constitutional thinges, such powers of suspensi on must be deleted from the Clause.

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, धारा ३०१ के बारे में मेरा भी मत यह है कि इस धारा को डिलीट कर दिया जावे। चेयरमेन महोदय, मैं यह मानता हूँ कि जनतंत्र के युग में सरकार को जनता द्वारा चुनी हुई म्युनिसिपेलिटी को डिजोल्व करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। आज के युग में इस प्रकार के अख्तियारात देना एक प्रकार से सरकार द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड्स को इमानदारी से और सही तरीके से काम करने से चित्त रखने का एक हथियार देना है। मैं यह समझता हूँ कि आज अगर हम लोग यह महसूस करें चेयरमेन महोदय, कि म्युनिसिपल बोर्ड्स में किसी प्रकार की बहुत ही भारी अनियमिततायें हैं या इस प्रकार की कोई कार्यवाहियो करती हैं तो उनका प्रभाव जिन व्यक्तियों पर पडेगा उन्हीं को हम इस प्रकार का हक देते तो कुछ हद तक वाजिब होता। म्युनिसिपल बोर्ड किसी खास शहर के लिए बनता है। अगर कोई इनकोम्पिटेन्ट होता है या उसके खिलाफ और कोई प्रकार की शिकायत हो तो वे शिकायतें मैं यह समझता हूँ चेयरमेन महोदय, कि उन शिकायतों से जितना नुक्सान उस कस्बे या शहर के नागरिकों को होता है उतना सरकार को या और किसी पार्टी को नहीं होता है।

[श्री मानसिंह महार]

इसलिए मैं यह मानता हूं कि पहली चीज़ तो यह है कि सरकार को ये सुपरसेशन के अख्तियारात किसी लिए भी नहीं रखने चाहिये, लेकिन फिर भी अगर सरकार इसको बहुत ही उचित समझती है कि इस प्रकार की चीज़ रखी जाय तो सरकार को इस प्रकार का अपनी तरफ से कोई क्लॉज रखना चाहिए कि उस म्युनिसिपल बोर्ड के वोटर्स को यह अधिकार होना चाहिए कि बोर्ड के मेम्बर यदि इस प्रकार की कार्यवाही करें तो उनको वहां से रिकॉल कर सके। मैं यह समझता हूं कि अगर यह पॉवर ऑफ रिकॉल दिया जावेगा तो वह बेटर रहेगा। आज फ्रान्स के अन्दर इस प्रकार के पॉवर्स मौजूद हैं। तो अगर हम ये रिकाल के अख्तियार देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। सरकार को यह अख्तियार दिया जाय कि सरकार उस बोर्ड को डिजोल्व कर दे या सुपरसीड कर दे, इस बात को चेयरमेन महोदय, मैं कतई न्यायोचित नहीं मानता। अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने फरमाया कि कुछ लोगों की यह धारणा है कि हम सरकार को शंका की निगाह से देखते हैं। उन्होंने यह भी फरमाया कि मैं तो शंका की निगाह से नहीं देखता हूं किंतु मैं चेयरमेन महोदय, मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि मैं उन व्यक्तियों में हूँ कि जो सरकार के अधिकतर एक्शन्स को शंका की निगाह से ही नहीं देखता हूं बल्कि उनके एक्सशन्स से मेरी जो शंकायें होती हैं उनको साबित तक करने के लिए तैयार रहता हूं। मैं मानता हूँ कि आज की सरकारें इस प्रकार की कार्यवाहियां करती हैं वे किसी खास कारण के वश ही की जाती है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे कारण कभी भी इस प्रकार के नहीं होते हैं कि जिससे यह झलके कि ये जनता के हित के लिए होते हैं। वे कारण तो अपनी गुटपरस्ती या पर्टी को प्रोत्साहन देने के लिए होते हैं। कुछ मित्रों ने इस प्रकार की, चेयरमेन महोदय, मिसालें दी हैं कि किस मौके पर इस प्रकार से म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड किया गया। और इसके लिए मैं यह समझता हूं कि सबसे ताजा और सबसे अद्भुद मिसाल थी वह जयपुर के पिछले म्युनिसिपल बोर्ड को डिजोल्व करना। मैं यह समझता हूं कि वह एक कहानी है और एक ऐतिहासिक बात है जो यह सिद्ध करती है कि हमें इस प्रकार के अनलिमिटेड पॉवर्स किसी भी सरकार को नहीं देना चाहिये। यह चेयरमेन महोदय, मेरी मान्यता है कि जयपुर के उस समय के म्युनिसिपल बोर्ड को डिजोल्व किया गया था वह बहुत ही गलत तरीका था। पहले चुने हुए बोर्ड को मजबूर किया गया कि तुम जयपुर शहर में ओक्ट्राय लगाओ। उनके बहुत इनकार करने के बावजूद भी उनको बाध्य किया गया कि ओक्ट्राय ड्यूटी लगाओ उन्होंने ओक्ट्राय ड्यूटी लगाई तो जयपुर की जनता ने उसका विरोध किया और उन म्युनिसिपल कौंसिलर्स को अपनी अपनी जिम्मेदरी कुछ हद तक महसूस हुई। उन्होंने यह बात देखी कि हम जयपुर के नागरिकों के साथ जिन्होंने हमको चुन कर इन कुर्सियों पर बिठाया है उनके साथ बडा भारी अन्याय कर रहे हैं और उस अन्याय को रिसेन्ट करने के लिए उन्होंने उस ओक्ट्रोय ड्यूटी को हटाने के लिए प्रस्ताव किया। प्रस्ताव करते ही जनतंत्र के युग में डेमोक्रेटिक कही जाने वाली सरकार ने उस बोर्ड को डिजोल्व कर दिया। चेयरमेन महोदय, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के डिस्सोल्यूशन को, इस प्रकार के सुपरसेशन को न्यायोचित माना जायगा। यह कहां तक कॉम्पीटेन्सी है कि जनता जनार्दन की मांगों को ठुकराया और उनका स्वागत नहीं किया जाय और उस सूरत में इस प्रकार की बातों का

[श्री मानसिंह महार]

सामना करना पड़ा। मैं यह समझता हूँ कि यह बहुत ही अन्याय पूर्ण बात थी। चेयरमेन महोदय, मैंने जो दूसरा सुझाव दिया इस आवाज को रखने के लिए मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्रीजी को उस पर भी गौर फरमाना चाहिए। अगर आप यह पॉवर वोटर्स को देदेते हैं कि वे किसी अपने चुने हुए नुमाइन्दे को रिकॉल कर सकें तो चेयरमेन महोदय, मैं यह समझता हूं कि इतना जबरदस्त अंकुश होगा म्युनिसिपल बोर्डस के ऊपर कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो यहां तक मानता हूँ चेयरमेन महोदय, कि इस प्रकार का रिकॉल का हक पार्लियामेन्ट के खिलाफ उनके वोटर्स को और एसेम्बली के खिलाफ भी उनके वोटर्स को होना चाहिए।

श्री सभापति (श्री बद्रीलाल)—यहां तो म्युनिपेलिटी का सवाल है।

श्री मानसिंह महार—मैं उसी पर आ रहा हूँ।

तो मैं यह समझता हूं कि उस सूरत में हम यदि म्युनिसिपेलिटी से ही यह एक्सपेरिमेंट शुरू करें तो बहुत ही उचित बात होगी। मैं यह समझता हूँ कि म्युनिसिपेलिटी के चुनावों के अन्दर गड़बड़ियां होती हैं और कई बार इस प्रकार के आदमी चुन कर आ जाते हैं कि वास्तविकता में वे लायक नहीं होते हैं कि वे म्युनिसिपेलिटी के सदस्य रहें। इस सूरत में यदि इस बोर्ड के वोटर्स को यह अख्त्यार होता है कि इस पर्टिकुलर वार्ड के वोटर्स चाहें तो मेजोरिटी से अपने नुमायन्दा को रिकॉल कर सकते हैं, यह अधिकार दिया जाय तो सारी बीमारियें दूर हो जायेंगी और सरकार के ऊपर भी लान्छन कोई नहीं लगा सकेगा। चेयरमेन महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज जो लान्छन जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल को सुपरसीड करने के बारे में सरकार पर लगाते हैं वह नहीं लगा सकते थे यदि रिकॉल का प्रोविजन होता। म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा ओक्ट्रोय लगाने के तीन दिन के अन्दर ही प्रत्येक सदस्य को वोटर्स रिकॉल करते और सरकार पर इतनी नौबत नहीं आती। इस पोवर का नहीं होना उचित बात नहीं है।

यदि इस पर भी राजी नहीं हैं तो तीसरा सुझाव मेरा यह है कि सरकार कहती है कि म्युनिसिपल बोर्ड इन्कोम्पिटेन्ट हैं हालां कि वह हैं नहीं। म्युनिसिपल बोर्ड अपनी तरफ से सफाई पेश करता है कि यह बात गलत है और यह पार्टी बाजी की बात पर यह चार्ज हम पर थोपा जाता है। सरकार और बोर्ड दोनों ही इस केस में पार्टी हैं। अब इसका फैसला करने के लिये तीसरे आदमी को बिठलाना चाहिये। यह क्या बात हुई कि जो सरकार अपने जबान से कहे कि म्युनिसिपल बोर्ड नाकाबिल है वही सरकार फैसला करे। यदि सरकार किसी बोर्ड को सुपरसीड या डिजोल्व करना चाहती है तो म्युनिसिपल बोर्ड को अपनी पोज़िशन क्लीयर करने का अधिकार है। यह अधिकार तो दे दिया गया लेकिन देखने की बात यह है कि वह बोर्ड किससे जाकर कहेगा? वह कहेगा तो उसी आदमी को जिसने पहले ही से धारणा बनाली है कि म्युनिसिपल बोर्ड इन्कोंपिटेन्ट है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये यह बहुत अहम मसला है। तीसरा इन्डिपेन्डेन्ट

Page No 64

[श्री मानसिंह महार]

आदमी होना चाहिये जो दोनों की सुने। सरकार ने जो आरोप लगाया है उसको सुने और बोर्ड को डिफेन्स का मौका दे और बोर्ड डिफेन्स में जो बात कहे उसको भी सुने और फिर वह जो फैसला देदे उस पर अमल किया जाय। यदि यह चीज हो तो कुछ हद तक न्यायोचित मानी जा सकती है। लेकिन इस धारा में वैसी कोई चीज नहीं रखी गई है। इसमें सीधी सी बात यह रखी है कि सरकार आदेश देगी सुपरसीड करने का और उससे पहले कहेगी कि तुम्हारे खिलाफ ये ये शिकायतें हैं तुम क्या कहते हो ? मैं कहूँगा कि यदि लांछन लगानेवाला इस प्रकार की बात पूछे तो मुझ जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति कहेगा कि मुझे आपको जवाब नहीं देना है क्यों कि मैं आपसे न्याय की आशा नहीं करता। मैं आशा करता हूँ कि जनता द्वारा चुने हुए म्युनिसिपल बोर्ड जिन पर लान्छन लगाते हैं वे उनको जवाब देने के लिये तैयार नहीं होंगे। वे म्युनिसिपल बोर्ड कहेंगे कि आपको क्या जवाब दें, आपने तो पहले ही फैसला कर दिया है कि तुम इन्कोम्पीटेन्ट हो, यह हो, वह हो। यदि किसी थर्ड आदमी को जज बनाते हैं तो दूसरी बात है। यह दुर्भाग्य की बात है चेयरमेन महोदय, कि न तो इस में किसी को जज रखा है और न किसी को वोटर को अधिकार दिया है कि वह चुने हुए नुमायन्दों को रिकॉल करलें और न इस धारा में ऐसी कोई खास बात रखी है। यह धारा तो महज इस प्रकार रखी है कि सरकार एक अंकुश प्रत्येक म्युनिसिपल बोर्ड पर रख सके और सदस्य डरते रहें, जरा भी गडबड की या सरकार की अदलहुकमी की तो तुरन्त हटा दिये जायेंगे। गडबड से मेरा मतलब और कोई नहीं है, इससे मतलब मेरा केवल यह है कि जरा भी अदलहुक्मी की तो यह हथियार काम में लाया जायगा कि बोर्ड को सुपरसीड करदें। मैं यह कहूँगा कि यह डेमोक्रेसी की हत्या होगी। यह मैं मानता हूँ कि आज के युग में इस प्रकार के अख्त्यार देना राजाओं के जमाने को भी मात करना है। इस कानून को शुरू से आखिर तक देखलीजिये, यह कानून बनाया ही इसलिये गया है कि सरकार को अधिक से अधिक अधिकार दिये जांय। हम को यह ताईद करनी पडेगी कि आज हम इस ओर ज्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं कि प्रत्येक काम में यह कोशिश की जारही है कि सरकार को इतने अधिकार दिये जांय कि उनके नीचे लोकल बोडिज़ जो काम करती हैं वे किसी प्रकार से काम नहीं कर सकें अपनी स्वतंत्र राय जाहिर नहीं कर सकें। उन पर ऐसे ऐसे हथियार लगा रहे हैं कि वे इनके डर से हम कहें जैसा करते रहें।

एक तरफ तो कहते हैं कि पोवर को डीसेन्ट्रेलाइज़ करना चाहिये लेकिन जब वास्तविकता की ओर जायेंगे तो देखेंगे कि हमने पिछले २-३ वर्ष में सेन्ट्रेलाइज़ेशन ज्यादा किया है न कि डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन। इसलिये मैं समझता हूँ यह धारा बहुत ही अनुपयुक्त है।

मैं एक मुद्दा और बताना चाहता हूँ। किस तरह से अनुपयुक्त है वह भी निवेदन करूं। सरकार की ओर से यह बडे जोरों से कहा जाता है कि हम हमारे अख्त्यारात का दुरुपयोग नहीं करते, करते हैं तो सदुपयोग ही करते हैं। हम को पिछली सरकार का यहां रेकार्ड देखना है कि उन्हों ने दुरुपयोग किया है या सदुपयोग किया है। जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड के मसले में दुरुपयोग हुआ है। मैं दूसरी मिसाल पेश करूंगा वह है जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में। इस सरकार को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को डिजोल्व करने की पोवर शुरू से है...

श्री सभापति (श्री बद्रीलाल)—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर आप कहां जारहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं मिसाल दे रहा हूं कि लोकल बोडिज पर किस तरह से अन्याय करते हैं।

श्री चेयरमेन—आप इसी क्लॉज़ पर चलिये।

श्री मानसिंह महार—(जारी): मैं इसी पर चल रहा हूं। यह सर्व विदित है कि हमारे यहां तीन मिनिस्टरीज़ बदलीं और जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को तीन बार नया बनाया गया। यह फेक्ट है। पहले बोर्ड के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी लेकिन महज पार्टी बाजी के कारण उसको डिज़ोल्व किया गया। आखिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नोमिनेट किया गया। उस बोर्ड के चेयरमेन के खिलाफ ऐसे गंभीर अरोप लगाये गये कि जिसके कारण यदि उस बोर्ड को डिज़ोल्व या सुपरसीड करके नया बोर्ड कायम करते तो एक नजीर होती। लेकिन जिनके खलाफ किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी उसको तो डिज़ोल्व किया गया। यहां इस विधेयक में क्लॉज़ ३०९ के अंतर्गत म्युनिसिपल बोर्ड को डिजोल्व करने के लिये सरकार को अख्तयार दिया जा रहा है वैसा ही अख्त्यार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में भी दिया गया था, उसका दुरुपयोग किया गया और बिना शिकायत के बोर्ड को डिज़ोल्व किया गया। लेकिन जहां लाखों रुपयों का गबन हुआ वहां हमारी सरकार ने जो अपने आपको सतर्क कहती है, चुप्पी साधली और चुप बैठी रही। उसने यह भी नहीं किया कि उस बोर्ड को सुपरसीड करती। जब उक्त चेयरमेन ने रिज़ाइन कर दिया और वह चला गया तो नये चेयरमेन को पूछा जाता है कि कारण बताओ कि क्यों नहीं इस बोर्ड को डिज़ोल्व किया जाय। उसने कहा कि क्या मैंने डाका डाला है जो कहते हो कि डिज़ोल्व क्यों नहीं किया जाय ? यह सवाल तो पहलेवाले चेयरमेन से पूछना था। उस समय यदि इसको डिज़ोल्व करते तो कोई बात भी रहती लेकिन इस समय पूछने से कोई मतलब नहीं निकलता। जिसतरह का क्लॉज़ ३०९ में अख्त्यार दिया है उसका सदुपयोग करने की बात तो बहुत दूर है। उसमें तो पार्टीबाजी का बोलबाला होगा। मैं यह कहूंगा कि क्लॉज़ ३०९ चाहे हमने किसी भी नीयत से सरकार के हाथ में पोवर देने के लिये बनाई है लेकिन वास्तविकता यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड के साथ किसी तरह का पक्षपात या और किसी प्रकार की कार्यवाही करने के काम में इसका ज्यादा उपयोग नहीं भी किया जायगा लेकिन पार्टीबाजी के आधार पर यदि कोई बोर्ड विरोध करता होगा तो उसके खिलाफ जरूर इस हथियार को अपनाया जायगा।

इस लिए मैं सदन से और चेअरमेन महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ के ऊपर भी हमें बहुत सोच विचार कर काम करना है। जो डिलिशन का सुझाव मेरे मित्र ने दिया है उसे मैं उचित नहीं समझता।

श्री सभापति (श्री बद्रीलाल)—कितना टाइम और लेंगे ?

श्री मानसिंह महार—२ मिनट।

(श्री मानसिंह महार)

मैं यह समझता हूं कि हमें इसमें कोई ऐसा वाया मीडिया निकालना चाहिये कि जिसकी वजह से कोई एग्रीड सजेशन निकल सके जिससे जनता के हितों पर, जनता के अधिकारों पर कुठाराघात न हो और म्युनिसिपल बोर्ड्स ईमानदारी से काम कर सकें।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि या तो इस क्लॉज को डेफर कर दिया जाय, नहीं तो सदन के सदस्यों को चाहिये कि इस क्लॉज को है उसी हालत में पास करना चाहे तो ठुकरा दें।

श्री द्वारकादास पुरोहित—माननीय चेयरमेन, आम तौर से म्युनिसिपेलिटीज़ के कानूनों में, जो हमारे यहां यह क्लॉज़ ३०१ रखा गया है, उसका रखना निहायत ही जरूरी होता है। सरकार म्युनिसिपैलिटियों और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको जितने ज्यादा पावर दे उतने ही दिये जाने चाहिये और मेरे ख्याल से इस सदन में कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इसमें रोड़ा बने और यह न सोचे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इन्स्टीट्यूशन्स को जितने अधिकार, उनको अपना काम ठीक तरह से चलाने के लिये ही नहीं बल्कि इन डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स को आगे बढाने के लिये जितने अधिकार आवश्यक हों उतने अधिकार होने चाहिये। पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि सरकार इन इन्स्टीट्यूशन्स पर निगाह नहीं रखे, ठीक सलाह व मदद न दे, ये इन्स्टीट्यूशन्स बिगड जायं, ये काम करना बन्द कर दें, इनमें आपस में झगड़े बढ जांय, इनमें करप्शन और दूसरी प्रकार की खराबियां बढ जायं तो भी सरकार इनको डिज़ोल्व करके या सुपरसीड करके इनका सुधार नहीं करे तो यह गलत तरीका हो जायगा, अगर हम इस तरह के प्रोविजन्स इस कानून में से निकाल देंगे। डिजोल्युशन और सुपरसेशन के बारे में मेरी राय है कि ये दोनों ही जरूरी प्रोविजन्स हैं हालांकि डिजोल्युशन दूसरी सूरतों में होता है और सुपरसेशन दूसरी सूरतों में होता है, सुपरसेशन को अगर ठीक तरीके से काम में लें और सरकार जस्टिस का एटीट्यूड बनाये रखे तो सुपरसेशन से मेम्बर अपने आपको ठीक कर लेते हैं और कई बिगडने वाले काम इससे सुधर जाते हैं। इसलिए मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि ये दोनों प्रोविजन उचित हैं। न तो ये अन्कान्स्टीट्यूशनल हैं और न ऐसी ही बात है कि राजस्थान के इसी एक्ट में हों, बल्कि इस तरह के प्रोविजन्स सब जगह हैं, कन्ट्रोल और सुपरविजन के प्रोविजन्स सब जगह मिलेंगे। लेकिन इस बिल में ये प्रोविजन्स रखते हुए यह नहीं भूल सकते कि राजस्थान बनने के बाद लोकल इन्स्टीट्यूशन्स और म्युनिसिपैलिटीज़ में जो दखल हुए हैं, वे एक तरह से घातक सिद्ध हुए हैं, वह म्युनिसिपैलिटीज़ और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में नहीं बल्कि उनमें ज्यादातर षड्यन्त्र की भावना से बने हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊं, जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड की यह हालत थी कि उसके सदर को इसलिये हटना पड़ा कि कि वह वहां की हालत को देखते हुए टैक्सेज़ लगाने को तैयार नहीं था। जो शिड्यूल उसके पहले के म्यु० बोर्ड ने स्वीकार किया था, मन्जूर किया था, उसके अनुसार वह वहां की हालत को देखते हुए टैक्सेज लगाने के लिये तय्यार नहीं था। उस चेयरमेन की जगह दूसरा इसलिये आ गया कि मंत्रीजी के आधार पर उसको सपोर्ट किया गया।

Page No 67

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

और उसने वैसे ही कह दिया कि मैं इन टैक्सेज़ को लगा दूंगा। यहां के इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों के प्रभाव से वे बोर्ड के सदर चुन लिये गये और बाद में मैं नहीं समझता क्यों लगातार अपने कार्य काल में टैक्सेज़ की बात को आगे बढ़ाते रहे, कभी नोटिस दिया, कभी नोटिस नहीं दिया। आखिर में जब इनके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया और आम लोग इसके खिलाफ हुए तो वे घबराये।

(सभापति, श्री जवानसिंह, पदासीन)

उनके खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव की तैयारियां हुईं तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे हट जाना चाहिये और सरकार ने चाहा कि वे आगे कन्टिन्यू करें, पर उन्होंने खुद ने आगे कन्टिन्यू करने से इन्कार कर दिया। तो उस बोर्ड को डिजोल्व करके एडमिनिस्ट्रेटर बना कर उस एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये टैक्सेज़ लगाये, ये टैक्सेज़ इतने हाई थे कि जिसके लिये जनता को प्रोटेस्ट करना पडा।

इसलिये मैं आपसे कहूं कि सरकार के पास यह पॉवर होने से एवं इनका उपयोग ठीक नहीं होने से म्युनिसिपल बोर्ड्स की प्रगति रुकती है, वहां षड्यन्त्र ज्यादा बढ़ते हैं, गड़बड़ियां, दिक्कतें ज्यादा पैदा होती हैं और उनकी वजह से हर जगह मामले बिगड़ते हैं। कोई भी मिसाल सरकार आज आपके सामने इस बात को प्रस्तुत नहीं कर सकती कि जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड, किसी एक भी म्युनिसिपल बोर्ड को इसलिये डिजोल्व किया गया हो कि वह अच्छा इन्तजाम करने में, गंदगी मिटाने में नाकामयाब रहा हो, आज शहरों में कन्जेशन के कारण लोगों को बडी मुसीबतों का, बीमारियों का सामना करना पडता है, उसको दूर करने की दृष्टि से नये प्लाट्स, नये एरिया बना कर नये मकान बनाने की व्यवस्था में नाकामयाब रहा है, इसलिये किसी भी बोर्ड को सरकार ने आज तक डिजोल्व नहीं किया, सरकार ने मामलों को सुधारने के लिये कभी म्यु० बोर्ड को डिज़ोल्व नहीं किया। अगर ऐसा किया जाता तो आज सभी इस प्रोविजन का स्वागत करते, इतनी सिटीज़ में कन्जेस्टेड लोकेलिटीज हैं, उनको हटा कर दूसरी जगह अच्छी बसाने में आज तक म्युनिसिपैलिटीज़ ने क्या कदम उठाया और सरकार ने क्या मदद दी? म्युनिसिपल बोर्ड की कमेटीज़ कई बार बिल्डिंग्स बाईलाज़ को इन्फ्रिन्ज करती हैं, वायोलेट करती हैं और कई प्रकार की गडबडियां करती हैं, यह आज के युग में नहीं होना चाहिये, पर सरकार ने इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिये, इन गलतियों और खराबियों के लिये आज तक किसी भी म्यु० बोर्ड को डिज़ोल्व नहीं किया। सरकार के ऐसे कारण तो बोर्ड्स के डिजोल्युशन के मिल जायंगे कि अगर किसी म्युनिसिपल बोर्ड ने चीफ मिनिस्टर को मानपत्र देना स्वीकार किया है तो उसकी अवधि बढ़ा दी जाती है, दुबारा वही अगर शिकायतपत्र पेश करने का तय करें और शिकायत पेश कर दे तो फौरन ही उसके खिलाफ कार्यवाही कर के, डिजोल्युशन ऑफ दी बोर्ड की कार्यवाही होती है। इस प्रकार की तो डिजोल्यूशन की मिसालें मिलेंगी। आज जो वातावरण इन प्रोविजन्स के खिलाफ बना है उसकी खास वजह यही है, अगर ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार की बहस नहीं होती। चूंके इसका दुरुपयोग किया गया है इसलिये

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

इस प्रोविजन को ही हटा दिया जाय, यह तो बहुत गलत चीज होगी, इससे तो निस्संकोच और स्वेच्छाचारिता बढ़ सकती है, जिससे इतनी गड़बड़ी हो जायगी कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता।

जो सुझाव दिया गया है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के सदस्यों को निकालने का अधिकार भी जनता के हाथ में होना चाहिये, यह तो अगर पार्लियामेंट में और हमारे सदन में भी होता तो इसका स्वागत किया जाता। और यह एक प्रकार का चुने हुए सदस्यों के काम करने और उसके काम करने के तरीके पर चेक करने के लिये एक बहुत बडा अंकुश होता। लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान में ऐसी प्रथा किसी भी प्रान्त में अभी तक शुरु नहीं की गई है। यह यदि यहां से शुरु कर दी जावे तो इसमें बहुत हिम्मत और एकता की जरूरत है और मैं समझता हूं कि इसको यहां पर से ही चालू करना संभव नहीं मालूम होता। इसलिये इस प्रकार का सुझाव, जिसमें ऐसी चीज हो जिसको इम्पलीमेंट नहीं कर सकें, रखना महेज बेकार और बेमतलब का रहजाता हैं। मैं यह कहूंगा कि इसमें विधान की कोई जरूरत नहीं है। लोकल सेल्फ के सिलसिले में आप अपने कानून बना सकते हैं और अपनी चीज को लोगों के सामने रख सकते हैं। यदि एसेम्बली और पार्लियामेंट की तरफ हम किसी प्रकार का कदम उठाते हैं तो वहां विधान का प्रश्न रहता है। यदि हम जनता के सदस्यों को रीकॉल करने का पावर दें तो कोई विधान से खिलाफ बात नहीं होगी। अगर नहीं देना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी मगर विधान की ओट लेना उचित नहीं। अगर यह होता है तो एक बहुत जरुरी चीज होगी, मगर हम इस प्रकार का प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर इन्ट्रोडयूस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हिम्मत और एकता की जरूरत है जो हमारे पास दोनों ही की कमी है और यों कहना चाहिये कि दोनों ही चीजें हमारे यहां गायब हैं, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट इस प्रकार का प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर की तरफ कदम बढ़ा सके और जिसमें लोगों को रिकॉल करने का पोवर दे सके क्योंकि इसमें उनको वापिस लेने की तरफ कदम बढ़ाने का बहुत हिम्मत का काम होता है। पब्लिक के हाथ में एक बार अधिकार आने के बाद में उनसे उनको वापिस छीनना या लेना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिये मैं इस बात को जानता हूँ और मुझे इसके लिये पूरी तसल्ली है कि गवर्नमेंट इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाएगी और न उठानेवाली है। इसलिये इस प्रकार के सुझाव देने से कोई मतलब नहीं होता।

दूसरा यह सुझाव दिया गया है कि एक ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दी जावे। यह एक सोचने की बात है क्योंकि यदि कोई अपने पोवर का दुरुपयोग करता है तो इस प्रकार का राइडर लगना आवश्यक है। राइडर अनुमन होना तो नहीं चाहिये मगर फिर भी मजबूरी हालत में अगर कोई पर्टीकुलर जगह अपने पोवर का दुरुपयोग होता है तो राइडर लगाया जाना वाजिब है। चूंकि सरकार ने आज तक तो उनका दुरूपयोग किया है और दुरुपयोग हो नहीं, इसके रखने के कारण

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

से म्युनिसिपल बोर्ड ठीक तरह से फंक्शन कर सके हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की तो कमी नहीं वे तो हर जगह मिल सकते हैं कि जो लोगों के खिलाफ सरकार के इयर पोइज़न करते रहते हैं और इस पर हमारे ऊपर एक प्रकार की नंगी तलवार लटकती रह जाती है कि यदि सरकार की यह मंशा पूरी नहीं करेंगे तो सरकार बोर्ड को डिज़ोल्व कर देगी। इसलिए अब तक के जो सुझाव आये हैं उसमें यह ठीक है। लेकिन अब यह देखना है कि जहां पर चुने हुए लोग आवें उनके लिए ट्रिब्यूनल में हाई जुडिशियल पोजीशन के लोगों का होना जरूरी है ताकि वह किसी प्रकार की शिकायत आने पर उसकी जांच करके सलाह दे सके। लेकिन क्या यह वाजिब होगा या नहीं ? लेकिन इस बात में तो मैं अपना सुझाव रखता हूँ कि आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राइडर का होना जरूरी है और मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके जरिये दरख्वास्त करूंगा कि फिलहाल इसको डेफर कर दिया जाए और सब से इस पर सलाह करके और अपने कानूनी सलाहकारों से भी सलाह करके कोई ऐसा फोर्मूला निकालें जिससे कि लोगों के दिमाग में जिस प्रकार के सस्पेन्शन आज घर कर गये हैं, निकल सकें। और कभी स्टेट ऐसी पोजिशन में हो जावेगी जहां इस प्रकार की गड़बड़ियें नहीं होंगी तो सदन भी आगे कदम उठा सकेगा और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई रुकावट नहीं होगी।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, प्रजातन्त्र की सरकार एक प्रकार की चैक की सरकार होती है। इसका यह मतलब नहीं कि स्वतन्त्रता से कोई भी काम होता है उसको इस प्रकार से चैक लगा कर रोका जावे। यह क्लॉज़ ३०१ लोकल बॅडीज़ की तहत में रखी गई है वह प्रजातन्त्र को कायम रखने के लिये बहुत ही आवश्यक है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा ही प्रोवीज़न यू. पी. और बम्बई में भी मौजूद है और हमने तो उनसे भी कुछ कदम आगे ही रखा है और वह इसलिए कि पोवर का दुरुपयोग नहीं हो। कई सदस्यों ने यह कहा कि सरकार स्वच्छन्दता से इसका उपयोग करेगी और इसका दुरुपयोग होगा। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके सब क्लॉज़ (१) में जो कारण दिये गये हैं उसके लिए रीजन्स देना जरूरी होगा और जो आर्डर देंगे उसमें रीजन्स का बताना बहुत आवश्यक होगा। यह पहली बात है और यह यू. पी. में नहीं है। दूसरी बात, एक नया प्रोवीज़न एड करने के लिए कहा गया है, जिसको डिज़ोल्व किया जावे उसका कारण बताया जावेगा। यह भी एक नई चीज है। इसके बाद टैक्सों की जो बात है और सीमा है उसको भी लिमिटेड बना दिया गया है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कानून बनाते हैं वे लोग जनरल पब्लिक के हित के लिए बनाते हैं और गड़बड़ियों को रोकने के लिये बनाये जाते हैं इसलिये उनको रखना बहुत ही आवश्यक होता है। हो सकता है कि किसी एक बात में कहीं गड़बड़ हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो कानून है, वे ठीक नहीं हैं और नहीं होने चाहिये। इसलिए लोकल बोडीज़ की स्वस्थ परम्परा के लिये ऐसे नियम का रखना बहुत ही आवश्यक है।

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ३०१ पर वाद विवाद चल रहा है और खास कर भैरोंसिंहजी ने जो एमेन्डमेंट दिया है कि इसको डिलीट कर दिया जावे, उन्होंने इसके बहुत सारे कारण बताये और दूसरे भी बहुत से व्यक्तियों ने इसके लिये कई कारण बताये। वैसे तो मैं एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं और शहर की कठिनाइयों का अनुभव कमती है लेकिन जो बातें यहां सुनी जाती है और अखबारों में समाचार पढ़े जाते हैं और शिकायतें आती हैं उनको देखते हुए एक बात का विश्वास होता है कि म्युनिसिपेल्टीज़ का कार्य जैसा चलना चाहिये नहीं चलता है और नहीं चलने का कोई कारण हो सकता है तो यही हो सकता है। वैसे तो आशा यह की जाती है कि म्युनिसिपेल्टीज़ में प्रायः सभी सज्जन बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति होते हैं। कोई डाक्टर होता हैं तो कोई वकील होता है जो म्युनिनिसिपेल्टी का काम चलाते हैं लेकिन लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसे आला दिमाग के आदमियों के होते हुए भी गडबडियें क्यों पैदा हो जाती है और सरकार को बार बार जैसा हमने सुना है कि म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करने की नौबत आ जाती है, जैसे कोटा, जोधपुर और जयपुर में किये हैं। इसलिये ३०१ का अख्त्यार सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है यह ठीक है, सरकार रखना चाहती है रखे क्योंकि यदि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो जावे इसके लिये कोई न कोई ऐसा प्रोविज़न जरूर होना चाहिये जिससे कि सरकार उसका इन्तजाम कर सके क्योंकि उस समय सरकार को इन्तजाम करना लाजमी हो जाता है। हमने हाउस में सुना कि मामूली सी बात में म्युनिसिपल बोर्ड को भंग कर दिया जाता है यह तो एक दुःख प्रद बात है, यदि इस तरह का गवर्नमेंट पोवर एक्सरसाइज करती है तो गवर्नमेंट अपने पॉवर का मिसयूज़ करती है।

जैसी इसकी उपयोगिता होनी चाहिये वैसी उपयोगिता होती ही नहीं, दुरुपयोग ही होता है। इससे मैं यह नतीजा निकालता हूं या तो गवर्नमेंट समझिये इनकोम्पीटेन्ट है जो अपने पॉवर्स को ठीक प्रकार से एक्सरसाइज नहीं कर रही है या यों कहना चाहिये इस प्रकार का क्लॉज़ ही नहीं रखना चाहिये। दोनों में से एक बात होनी चाहिये चाहे गवर्नमेंट रहे या यह क्लॉज़ रहे दो में से एक बात रहे। सदन की भावना का नतीजा यही है। मैं यह नहिं चाहता कि गवर्नमेन्ट डिज़ोल्व हो जाय, क्लॉज़ भी न रखा जावे, यह भी बात नहीं हो सकती इसलिये इन दोनों के बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिये। मैं जहां तक समझा हूं माननीय मंत्री महोदय, खुद इस बात के लिये चिन्तित हैं। गवर्नमेन्ट को ऐसे पावर एक्सरसाइज़ करते वक्त गलत व्यू न ले वहां की प्रजा की भावना को मालूम करके कि दर असल म्युनिसिपल बोर्ड चाहता है या नहीं, उसके बाद अगर पॉवर का इस्तेमाल करते हैं तो काम ठीक प्रकार से हो सकता है। वैसी हालत में यह क्लॉज़ एबोलिश करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, अगर वैसे ही गवर्नमेंट 'पोकमपाल' करने के बाद गवर्नमेन्ट इस क्लॉज़ को पास करती है तो गवर्नमेन्ट अयोग्य है। दोनों में से एक निर्णय कर लेना चाहिये और माननीय मंत्री महोदय से यह विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि इसका कोई वायामीडिया अवश्य निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री गौरीशंकर आचार्य—चैयरमेन महोदय, माननीय सदस्यों ने इस क्लॉज़ में जो गवर्नमेंट को अधिकार दिया जा रहा है उस पर आपत्ति की। मैं नहीं समझ सकता कि आपत्ति का आधार उनका क्या है, मेरा जहां तक ख़याल है जिन सदस्यों ने इस पर आपत्ति की वह मनोवृत्ति जो आंग्रेजों के समय थी उसी मनोवृत्ति का परिचायक थी। माननीय चेयरमेन, आज जो हुकूमत काम कर रही है वह प्रजा द्वारा चुनी हुई है इसलिए जो सरकार प्रजा द्वारा चुनी हुई, है और जो वह कानून बना रही है प्रजा की भलाई के लिए बना रही है और जिसका उद्देश्य ही प्रजा का हित है और उसी हित के लिए अगर किसी प्रकार के अधिकार हम सरकार को सौंप रहे हैं तो उस वक्त यह कहना कि यह प्रजातंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की उपेक्षा हो रही है, मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण में वही पुराना दृष्टिकोण आ जाता है अंग्रेजों के समय का, हमें उस दृष्टिकोण को और भावना को बदलना चाहिये। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह न्याय के विरुद्ध है, मेरी समझ में नहीं आया जो विधान सभा कानून बनाती है और उस विधान सभा में जिस चीज को बहुमत प्राप्त है फिर भी जो सरकार कदम उटाती है उसको न्याय विरुद्ध कैसे कहा जाता है ? हो सकता है, कुछ व्यक्तियों ने इस प्रकार के अधिकार का दुरूपयोग किया हो। मैं नहीं समझ सका कि दुरूपयोग किसी ने किया, किसी सरकार ने किया उसका नुकसान उठाये दूसरी सरकार। सरकारें बदलती रहती हैं, जो अधिकारों का दुरूपयोग करती है वह बदली जानी चाहिये। अगर एक सरकार किसी अधिकार का दुरूपयोग करती है तो उससे राजनैतिक उसूलों का निर्माण नहीं हो सकता। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं जहां अधिकार देने की बात आती है वहां राजनैतिक उसूलों को आधार क्यों बनाया जाता है ?

हमारे संविधान में भी जब केंद्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर सकती है तो फिर क्या बात है कि राजस्थान सरकार म्युनिसिपल बोर्ड्स को क्यों न भंग कर सके? इस प्रजातंत्र के खिलाफ कैसे कहा जा सकता है, जो विरोधी सदस्यों ने बातें कही उनसे केवल एक ही मनोवृत्ति का परिचय मिलता है, जो अंग्रेजों के समय में प्रयोग में लायी जाती थी, जिस समय कि सरकार को अधिकार देना बुरा समझा जाता था। लेकिन माननीय सदस्यों को यह विदित होना चाहिए कि आज की जो सरकारें हैं वे प्रजातंत्र के आधार पर बनी हुई हैं और प्रजा के नुमायन्दों द्वारा चलाई जा रही हैं।

दूसरी बात यह है कि प्रजातंत्र में म्युनिसिपल बोर्ड और राज्य सरकारों में मौलिक मतभेद रहता है। स्वायत्त शासन संस्थाओं का संकुचित दायरा होता है और राज्य सरकार का उनसे कुछ अधिक व्यापक दायरा रहता है। कभी कभी यह देखा गया है कि व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए संकुचित हित के लिए म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करना जरूरी होता है, ऐसा हर जगह होता आ रहा है। आज इस कानून द्वारा जो राजस्थान सरकार अधिकार लेने जा रही है वह भारत की अन्य राज्य सरकारों को प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि अन्य सरकारों को जो अधिकार प्राप्त है वह यहां के लिए क्यों न प्राप्त हो ? आज जिस प्रकार स्वायत्त शासन संस्थाओं के ऊपर राज्य सरकार का और राज्य सरकारों के ऊपर केंद्रीय सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है, तब मैं यह नहीं समझ सकता कि यह हमारे राज्य सरकार को प्राप्त क्यों न हो, इसमें क्या अनुचित है।

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

एक बात पर विशेष जोर दिया गया वह यह कि इस अधिकार का दुरुपयोग होता है। अधिकार देने में तो उनको कोई आपत्ति नहीं, यह कहा जाता है कि सरकार के कुछ व्यक्तियों ने, मन्त्रियों ने इन अधिकारों का दुरुपयोग किया, हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो। लेकिन यह मानी हुई बात है कि सरकार कोई काम करती है तो उसे हर जगह और हर समय पसन्द नहीं किया जाता। आज जब कि प्रजातन्त्र की शुरुआत है और प्रजातन्त्र का परीक्षा काल है वैसी स्थिति में हमारे लिए इसके प्रारम्भिक काल में कुछ अधिकार सरकार के हाथ में रखने बहुत जरूरी हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने यह कहा कि म्युनिसिपल सदस्यों को वापिस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिये, मैं मानता हूं ऐसी स्थिति कुछ यूरोप के मुल्कों में है, वहां के नागरिकों का स्तर हमारे यहां से ऊंचा है, वहां का शिक्षा का स्तर भी हमारे से काफी ऊंचा है। हम उनके स्तर से काफी नीचे हैं, वैसी हालत में अगर म्युनिसिपल बोर्ड को अधिकार दिये जायेंगे तो आये दिन जो लड़ाई झगड़े हमें देखने को मिलते हैं वे शान्त होने वाले नहीं, उत्तरोत्तर उनमें वृद्धि ही होती जायगी। इसलिए प्रजातन्त्र के प्रारम्भिक काल में हमें राज्य सरकार को ये अधिकार देने चाहिये। मैं विरोधी सदस्यों से निवेदन करूंगा, उन्हें राज्य सरकार को अधिकार देते वक्त संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये बल्कि अधिकार देने में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, जितने अधिकार चाहें वे देने चाहिये। उन अधिकारों पर नियन्त्रण रखना हम विधान सभा के सदस्यों का कर्तव्य हो जाता है। अगर हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो हम कर्तव्य च्युत होजाते हैं, उससे सरकार को भय नहीं रहता सरकार यदि अधिकारों का दुरुपयोग करती है तो उस ओर ध्यान दिलाने का भार हमारे कन्धों पर है, उस जिम्मेवारी को निभा कर हमें संकुचित दृष्टिकोण को त्यागना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ इस क्लॉज़ का समर्थन करता हूं।

(रावराजा श्री सरदारसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति—Now Minister-in-charge to reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ के संबन्ध में जो खास आपत्ति की गई वह यह है कि इस क्लॉज़ का मिसयूज़ होता है। लेकिन जहां तक इसके क्लॉज़ के उपयोग का सवाल है मैं इस सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा, अगर आप इसको डिटेल में एक्ज़ामिन करें तो आपको पता चलेगा कि इसका कहीं भी दुरुपयोग की नहीं किया गया। यह देखने से आपको पता चलेगा कि एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिसमें कि इस क्लॉज़ का दुरुपयोग किया हो।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—कोटा म्युनिसिपेलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता —(जारी) आप तसल्ली रखिये मैं उसी पर आता हूँ। यह मुझे अच्छी तरह से याद है। से जब से यह विभाग मेरे पास आया उस समय के अन्दर ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई। खास तौर से जो जो बातें कही जाती हैं कि मेरे पहले जो इस विधान के मन्त्री थे उनके कार्यकाल में इस धारा के अन्तर्गत कई म्युनिसिपल बोर्डस को डिजोल्व और सुपरसीड करने की आज्ञा दी गई; मेरी जहां तक जानकारी है मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं उनके समय में भी किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड को डिजोल्व या सुपरसीड करने की आज्ञा नहीं दी गई। यह मेरी जानकारी है और मैंने अभी अभी विभाग से भी जानकारी प्राप्त की है और अगर आप डिटेल में इस बात को एक्ज़ामिन करें तो यही नतीजा सामने आयेगा। राजस्थान में यदि कोई बोर्ड डिजोल्व हुआ है तो वह है जयपुर का म्युनिसिपल बोर्ड। इसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है कि किन परिस्थितियों में आज से करीब तीन या ढाई साल पहले जयपुर के म्युनिसिपल बोर्ड को गवर्नमेंट को सुपरसीड करना पड़ा। मैं समझता हूं, उस समय जो कदम लिया गया वह उचित था और जनता के हित में था। बोर्ड ने पहले निश्चय किया और बोर्ड ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया कि जयपुर के अन्दर अमुक अमुक टेक्स लगाये जायं उसको गवर्नमेंट की स्वीकृति के लिये भेजा कि ये ये टेक्स हम जयपुर की जनता पर लगाना चाहते हैं। गवर्नमेन्ट ने उसकी स्वीकृति दे दी लेकिन फिर क्या हुआ कि बोर्ड के खुद के प्रस्ताव के खिलाफ दुबारा निश्चय किया कि जनता इन टैक्सों का विरोध करेगी इसलिये ये टेक्स न लगाये जायं। जब कि पहले एक दफा म्युनिसिपल बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास कर दिया और गवर्नमेन्ट से स्वीकृति ली गई उसके बाद में कमजोरी की वजह से कि लोगबाग यह कहते हैं कि टेक्स न लगाया जाय दुबारा उसको लागू न करने का निश्चय करना, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा, यह बोर्ड की इन्कोम्पीटेन्सी है और उस सूरत में अगर काम नहीं करता है तो उसका हटाया जाना, यह तो जनता, के हित में है। जयपुर शहर में टैक्स नहीं लगे हैं, जनता ने विरोध किया उनका। यह यहां की जनता सख्त गलती कर रही है। इनका विरोध करती, है यही कारण है कि आज उनका शहर गन्दा बन गया है और बनता जा रहा है। आज इससे ज्यादा गन्दा शहर हिन्दुस्तान में नहीं है। आप इसको पिंक सिटी कहते हैं और बाहर वाले देखने को आते हैं पर अगर वे अन्दर की गलियों को देखें तो वे पावेंगे कि वे नर्क से भी बदतर हैं। अगर दुनियां में कोई नरक देखना है तो वह यहां इस पिंक सिटी की गलियों में देख लीजिये। आप गलियां गन्दी करते हैं, सडकों को मैला करते हैं, नालियों पर और सड़कों पर आपके बच्चे टट्टी जाते हैं और इसकी सफाई करने के लिये टैक्सों के द्वारा पैसा देने के लिये कहते हैं तो आप कहते हैं कि हम यह तो देने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका अन्जाम यही होने वाला है जो आपके सामने है। जिनके यहां टैक्स लगे हैं उनके शहरों को आप जाकर देखो। वे आपके से तो हैं हीं, पर हिन्दुस्तान के कई शहरों के मुकाबले में कहीं अधिक अच्छे हैं। मैं कोटा और अलवर की मिसाल आपके सामने पेश कर सकता हूं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। वहां की जनता टैक्स देती है अपने फायदे के लिये। तो फिर यह कह देना कि जयपुर की म्यु० को डिजोल्व करके सरकार ने कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है यह कोई माने नहीं रखता। माननीय चैयरमैन, मैं आपके जरिये सदन को यह कहूंगा कि यह पैसा, टैक्सों की आमदनी से कोई सरकार के फायदे के लिये नहीं है, सरकार के काम में नहीं आने वाली नहीं है, वह तो यहां की जनता के हित में ही होती, यहां की म्यू० के

[श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता]

लिये ही जनता के उन प्रतिनिधियों के हित में ही होतीं। पर फिर भी वे नहीं लगाने को तैयार थे उनको हम इन्कोम्पीटेन्ट नहीं कहें, तो और क्या कहें। उनको इन्कोम्पीटेन्ट कहने में क्या बात है, क्या हर्ज है किसी को?

साथ ही जोधपुर के बोर्ड के बारे में कहा गया कि उसे भी सुपरसीड किया गया, पर उसे न सुपरसीड किया गया,न कि डिजोल्व किया गया।उसकी मियाद समाप्त हो गई थी। हम उसकी मियाद आगे बढ़ने को तैयार थे। हमने कहा, हम मियाद बढ़ा देते हैं। पर वहां के लोगों ने कहा कि हम आगे चलाने के लिये तैयार नहीं। टर्म एक्स्पायर होने पर मैंने वहां के चेयरमेन को परसनली बुलाकर कहा कि मैं टर्म बढ़ा देता हूं, पर उन्होंने इन्कार कर दिया। तो इसकी मियाद समाप्त होने से और आगे बढ़ाये जाने के लिये सहमत नहीं होने से उस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ा, यह नहीं कि वहां के बोर्ड के खिलाफ कोई चार्ज लगाकर उसे हटाया गया हो।

कोटा के बारे में कहूं कि वहां की डिटेल की जानकारी मुझे नहीं है। पर यह निश्चित है कि मेरे पहले के मन्त्री की आज्ञा नहीं है...

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अगर आप चाहें तो मैं जानकारी दे दूं। वहां के सुपर्सेशन को हाइकोर्ट ने अलट्रावयर्स करार दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हो सकता है। पर मेरे पहले के मन्त्री की आज्ञा नहीं है। इससे पहले किसी ने आज्ञा दी हो तो मेरी जानकारी में नहीं है।

अब सारे इलेक्शन वहां के कम्पलीट हो गये हैं और जयपुर के बारे में आपको मालूम है, मैंने निवेदन किया था कि तीन जून को यहां इलेक्शन शुरू होने वाला है। सारा प्रोग्राम आउट हो गया है और सारी बातें कम्पलीट हैं।

एक बात और कही गई बारां के बारे में। वहां का कार्यकाल समाप्त हो गया था और इसके बाद गवर्नमेन्ट की मंशा थी कि और एक्सटेन्शन उनको मिल जावे। जाब्ते में वह परमिशन एक्सटेन्शन कीदे दी गई, पर इसके बाद वहां चूंकि सदस्यों में आपस में झगडा था इसलिये बहुतों ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिये कठिन परिस्थिति बन गई थी तो सुपरसीडकरना पडा कार्यकाल बढ़ाने की बात गजट में पब्लिश नहीं हुई थी। तो सुपरसीडकरके वहां का इन्तजाम किसी के हाथ में चूंकि देना ही था तो दिया गया और मैं समझता हूँ कि और कई बोर्ड हैं, पर उनमें कहीं दुरुपयोग हुआ हो ऐसी कोई मिसाल मेरी जानकारी में नहीं है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इसके अलावा और भी बहुत सी बातें यहां कही गई हैं जिनको मैं नहीं समझता कि उनका इस क्लॉज़ से कोई सम्बन्ध है। इसलिए उनका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ।

एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि ज्यादातर सदन के सदस्यों ने इस बात को माना है कि बोर्ड को ठीक तरह से चलाने के लिए सरकार और स्वायत्त शासन संस्थाओं में सम्पर्क और सहयोग का होना जरूरी है। मैं यह कतई नहीं चाहता कि कभी कोई ऐसा मौका आवे कि बोर्ड को सुपरसीड किया जावे। पर बोर्ड के सदस्यों को यह मालूम रहना चाहिये कि कानून में ऐसा प्रोवीजन है कि यदि वे इन्कोम्पीटेन्ट हैं या पोवर को एब्यूज़ करते हैं तो उनसे भी कोई जवाब तलब करने वाला है। जनता से जो टैक्स वे वसूल करते हैं उसका अगर वे दुरुपयोग करते हैं तो उनको जानना चाहिये कि उनके ऊपर एक ओथोरिटी ऐसी जरूर है कि जो उनके खिलाफ इसके लिये सख्त कार्यवाही कर सकती है। अगर पर्सनली कोई डिफाल्ट करता है तो किसी केस में कार्यवाही होनी भी चाहिये। तो इस तरह की बातें इस क्लॉज़ में नहीं होंगी तो फिर जनता ने जो अधिकार उनको दिये हैं उनका अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उनको रोकने की किसी में शक्ति नहीं। फिर तो यह स्थिति होगी कि जैसे आज कई लोग पंचायतों के बारे में शिकायतें ले लेकर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि उनको आपने चुना है, वे आपके चुने हुए सदस्य हैं अगर गलती करते हैं और गलत आदमी को आपने चुना है तो तीन साल तक बरदाश्त करो, आइन्दा उनको मत चुनना। वही स्थिति आपकी होगी, यहां के बारे में होगी। पर साथ ही यह भी कह दूं कि अगर इस तरह से कोई पावर का दुरुपयोग करता है, जनता को परेशान करता है, जनता के फण्ड का दुरुपयोग करता है तो उसके लिये इस तरह का प्रोवीज़न जरूर रहना चाहिये। यह मैं जरूर मानता हूं कि ऐसे पोवर्स को स्पेअरिंगली यूज़ कराना चाहिये और ऐसा ही यूज किया जावेगा।

ऐसी स्थिति में यह निवेदन करूंगा कि यह जो क्लॉज़ है इस पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें और बहुत से क्लॉज़ों के बारे में हमारी जो नीति चल रही है उसके हिसाब से इस पर भी दुबारा विचार कर लेंगे। इसलिये इसको डेफर कर दें और इसके बाद जो और क्लॉज़ आवेंगे तो यह भी आ जावेगा।

श्री सभापति (श्रीजवानसिंह)—क्या सदन की यह राय है कि इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाय ?

(स्वीकृत)

बस, इस क्लॉज़ को डेफर किया जाता है।

(विराम)

Page No 76

[श्री सभापति]

(विराम)

इस पर किसी का संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३०२ को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३०२ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३०३

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय सभापति, इस पर मुझे थोड़ा कहना है । म्यू० सर्विसेज़ के फंक्शन और सर्विसेज़ के रूल्स भी इसके सम्बन्ध में बनाने पड़ेंगे और अगर म्युनिसिपल कमिश्नरी अपोइन्ट करने की व्यवस्था विचाराधीन है इसलिये इसको भी डेफर कर दिया जावे तो अच्छा होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रूल्स के बनाने में दिक्कत नहीं है । सर्विसेज़ के बारे में तो ये रूल्स सरकार ही बनाती है । इससे इस के प्रोविजन में कोई रुकावट नहीं आने वाली है इसलिये इसको डेफर करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अगर कानूनी अड़चन नहीं है तो फिर ले लीजिये ।

मुझे फिर कोई एतराज नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्लॉज़ ३०३ के अन्तर्गत सरकार को रूल मेकिंग पोवर दिये गये हैं, जिसके लिये युनीफोर्म रूल्स बनाने आवश्यक हैं, इसलिये मैंने निवेदन कियाकि संशोधन के द्वारा इन बातों को और बढ़ा दिया जावे ।

"In sub-clause (2), after part (b), insert the following new parts:-

"(bb) for prescribing the manner in which the obligatory taxes mentioned in section 87 shall be levied;

(bbb) as to the system under which and the conditions on which refunds on account of such taxes are to be made and as to the minimum amount for which and the period within which claima for such refund may be made,

[श्री सोहनलाल भटनागर]

तीसरा है:

"(bbbb) for regulating by licences

(i) the sale of articlecs liable to octroi, and

(ii) the use of the municipal limits of vehilces or animals kept or plying on hire or of hand carts employed for transport or of animals for riding, driving, draught or burden; "

चौथा है :

"(bbbb) for prescribing the fees payable for such liceneces and the condition on or subject to which such licenses may be granted, refused, suspended, revoked or withdrawn; "

पांचवां है:

"(bbbbbb) for prescribing the form and mode of preparation of assessment list by assessor; "

इस तरह से पहले वाला जो क्लॉज़ है उसके लिए बोर्ड को अलग से बाई क्लॉज़ बनाने के पॉवर्स दिये थे उनको डिलीट कर देंगे इसलिए कि गवर्नमेंट युनिफॉर्म रूल्स सब म्युनिसिपेलिटीज़ के लिए बना दे तो यह काफी अच्छा रहेगा। इसलिए उसके लिए गवर्नमेंट को पॉवर देने के लिए मैंने प्रार्थना की है।

श्री भैरोंसिंह—३०२ पर है या ३०३ पर है ?

श्री सभापति—३०३ पर है।

श्री भैरोंसिंह—३०२ का क्या हुआ ?

एक माननीय सदस्य—वह पास हो गया ?

श्री सभापति (स्वा० शासन मंत्री से)—आप को संशोधन मन्जूर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३०३ पर श्री सोहनलाल के संशोधन स्वीकार किये जायं।

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

श्री सोहनलाल के संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३०३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३०३ संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३०४, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)— माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ ३०४ के लिए मेरा संशोधन है कि इस क्लॉज़ को लोप कर दिया जाय।

माननीय चेयरमेन, वैसे तो इन सब क्लॉजेज का संबंध क्लॉज़ ३०१ से है और क्लॉज़ ३०१ में यदि हम सरकार को अधिकार देते हैं सुपरसीड करने का या डिजोल्व करने का तो उस सूरत में इस क्लॉज़ के ऊपर ठीक ढंग से सोचा जा सकता है, लेकिन चूंकि वह क्लॉज़ डेफर कर दिया गया है इसलिए अब इस स्थिति में नहीं हैं कि इस क्लॉज़ के द्वारा सरकार को कितना अधिकार मिलेगा और कितना मिलना चाहिए, यह कह सकें। जहां तक क्लॉज़ ३०४ का प्रश्न है स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा अधिकार दिया जा रहा है कि वह राजस्थान गजट में छपा करवाकर किसी रूल या बाइलॉ को पूरे के पूरे को रिपील कर दे या उसमें जो संशोधन चाहे वह संशोधन भी कर दे। उसमें एक थोड़ा सा प्रोवीज़ो एड करके यह व्यवस्था भी की गई है कि सरकार इस क्लॉज़ के ऊपर अमल करने से पहले उस बोर्ड को भी सूचना देगी जिस बोर्ड के रूल या बाइलॉ में हेरफेर करने की इच्छा करती है और साथ ही साथ वह ग्राउन्ड्स भी उल्लेख करेगी कि जिन ग्राउन्ड्स को लेकर इस प्रकार की आवश्यकता महसूस की गई है। जहां तक सब क्लॉज़ (२) में लिखा है कि :

"The repeal or modification of any rule or bye-law shall take effect from the date of publication of the notification in the Rajasthan gazette if no date is specified therein and shall not affect anything done, ommted before suh date यह, उसमें बताया गया है कि किस तारीख से वह लागू होगी।

अभी तक इस क्लॉज़ के विषय में कोई बात कहूं उसके पहले मेरे सामने वही दिक्कत आ रही है जो दिक्कत ३०१ के विषय में थी, और मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय चेयरमेन, कि यह दोनों क्लॉज़ इतने इन्टरलिन्क्ड हैं कि एक तरफ तो सुपरसीड करने के और डिज़ोल्व करने के अधिकार हैं और दूसरी तरफ इस क्लॉज़ के द्वारा म्युनिसिपेलिटी द्वारा बनाये गये नियमों में किस प्रकार से हेरफेर करें, इस बात का अधिकार सरकार को है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि यदि क्लॉज़

Page No 79

[श्री भैरूसिंह]

३०१ पास हो जाता है उसके बाद में रूल्स में और बाई लॉज़ में किसी प्रकार का कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो वह आवश्यकता किस हद तक पूरी की जा सकती है, उसका उस समय निर्णय किया जा सकता है जब कि क्लॉज़ ३०१ के बारे में स्पष्ट मालूम हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर इस समय बहस न की जाकर वह बहस उस क्लॉज़ का आवश्यक नतीजा मालूम हो जाय, उसके बाद हो तो बहुत अच्छा है। इस समय इसको डेफर करदिया जाय और इस पर डिस्कशन भी बाद में हो जिस समय कि क्लॉज़ ३०१ के बारे में निर्णय ले लें। मैंने जो यह निवेदन किया है उसको निश्चित तौर से माननीय मंत्रीजी स्वीकार कर लेगें।

माननीय चेयरमेन, इसमें जरा सी गलती है "and' बकी गलत जगह है। इसको इस तरह से कर लिया जाय।

"(2) The repeal of modification of any rule or bye-law shall take effect from the date of publication of the noti-fication in the Rajasthan Gazette, and, if no date is herein specified, shall not affect anything done; omitted or suffered before such date."

इसलिये यह 'and' इधर आयेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन,....

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय शम्भूसिंहजी का भी संशोधन है।

श्री सभापति— नहीं, मेरे पास नहीं है।

श्री अवनि कुमार मुकर्जी—लिस्ट नं० ८ को मुलाहिजा करें।

श्रीगोपीलाल यादव— नहीं, उसमें नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ३०४ के संबंध में जिक्र करते हुए माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ३०१ के संबंध में कुछ आपत्ति जाहिर की। मैं निवेदन करूंगा कि ३०१ और ३०४ में कोई विशेष संबंध नजर नहीं आता है। ३०१ में गवर्ममेंन्ट को पोवर देने की बात है, सुपरसेशन या डिजोल्व करने की। अगर बोर्ड सुपरसीड या डिजोल्व हो जाय तो रूल्स मेकिंग पॉवर्स का उससे कोई संबंध नहीं है। ३०४ में यह रखा है कि बोर्ड कुछ रूल्स बनाये, ऑक्ट्राय के बनाये, और उसमें कोई अगर बात गलत हो गई तो फिर बोर्ड से जवाब लिया जायगा, पूछा जायगा, कहा जायगा, और पूछने के बाद में गलती होगी तो ठीक कर ली जायगी। तो उसमें पार्टली उनको रिपील कर रक्खा है। यह क्लॉज रिपील करते हैं तो सारा क्लॉज रिपील हो जायगा। बोर्ड खुद कर देगा तो कोई

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

दिक्कत की बात नहीं है। रूल बनाने के पावर्स बोर्ड को भी हैं और गवर्नमेंन्ट को भी हैं। हम चाहते हैं, कि बहुत अच्छे रूल्स बनें मोडल रूल्स बनें। इसमें संघर्ष या आपत्ति की बात नजर नहीं आती। इस लिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जैसा यह क्लॉज़ है वैसा ही पास कर दिया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न पूछा जाय संशोधन के लिये ?

श्री गोपीलाल यादव—हां जी।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३०४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३०४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३०५। इसमें किसी का संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३०५ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३०५ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ ३०६, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूं सिंह—माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ ३०६ पर मेरा संशोधन यह है कि इस क्लॉज़ को विलुप्त किया जाय।

यह भी उसी प्रकार का एक क्लॉज़ है कि जिस क्लॉज़ को लेकर इस सदन में काफी बहस हुई थी, जिसके द्वारा सदन में माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि यदि सरकार को नगरपालिकाओं को सुपरसीड करने या डिज़ाल्व करने संबंधी अधिकार दे देंगे तो उनका दुरुपयोग होगा। उसी के समानान्तर यह क्लॉज़ है। यदि कोई अधिकारी सरकार द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड के स्थान पर नियुक्त किया जाय, म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित कामों को एक्जीक्यूट करने के लिए नियुक्त किया जाय म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित कामों को एग्ज़ीक्यूट करने के लिये नियुक्त किया जाय और उस अधिकारी के ध्यान में यह बात आ जाय कि नगरपालिकाएं किसी प्रकार की कोई गलती कर रही है तो वह अधिकारी अपनी इच्छा से उन कामों को एक्जीक्यूट करवाने के लिए कॉन्ट्रेक्ट कर सकता है।

जैसी कि इसकी भाषा है : "when any officer of the Government appointed in this behalf by the State Government lawfully takes action on behalf of or in default of the board under this Act, he shall have power to make such contracts as are necessary, for the purpose, and shall be entitled to the same protection under this Act as the municipal authority whose powers he is exercising and compensation shall be recoverable from the municipal fund by any person suffering damage from the exercise of such powers to the same extent as if the action had been taken by such municipal authority."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय चेयरमेन, इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति (श्री जवान सिंह)—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूं सिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३०६ को डिलीट किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३०६ विधेयक में से पृथक किया गया।

(विराम)

[श्री सभापति]

क्लॉज़ ३०७ इस पर कोई संशोधन नहीं है। यह तो प्रवर समिति द्वारा विधेयक में से पृथक किया गया है।

क्लॉज़ ३०८, श्री भैंरू सिंह।

श्री भैंरू सिंह—माननीय चेयरमेन, मैं इस सम्बन्ध में थोड़ी आपकी मदद चाहूंगा। मेरे संशोधन का कागज नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इसको पढ़ दें।

श्री सभापति—You should be more Careful.

("डिलीट करने के लिए" ऐसी आवाज)

श्री भैंरू सिंह—क्लॉज़ ३०८ में मेरा संशोधन है कि इस क्लॉज़ को डिलीट किया जाय। इस क्लॉज़ के द्वारा सरकार को ऐसे अधिकार दे रहे हैं कि सरकार म्युनिसिपल बोर्ड के रेकर्ड को जब चाहे तब मंगवाने का अधिकार रखती है। "(1) In the case of a City the State Government and in the case of any other municipality the Commissioner may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or . propriety of any order passed under this Act respectively by a Commissioner or a Collector or other officer appointed by the State Government in that behalf, call for the relevant records and may, in doing so, direct that, pending the examination of the records, such order shall be held in abeyance.

(2) on examining the records the State Government or the Commissioner may reverse or modify such order.—"

माननीय चेयरमेन, कहां तक इन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराया जाय कि हम जो नगरपालिका का विधेयक बना रहे हैं वह नगरपालिका का विधेयक, नगरपालिका को आजादी से काम करने के लिए नहीं बल्कि सरकार के इशारे पर नाचने के लिए हम ऐसा कानून बना रहे हैं। जहां तक डिजोल्व और सुपरसीड करने का प्रश्न है वह विचाराधीन है, सदस्यों का हटाने का प्रश्न है वह अब तक विचाराधीन है, उनके कामों में सरकारी हस्तक्षेप था, वह भी कुछ सीमा तक विचाराधीन है। उन पर पूर्णतया निर्णय नहीं कर सके हैं, उसके बीच में ही क्लॉज़ ३०८ विशेष प्रकार का और लाकर क्लॉज़ ३०८ के अनुसार कलेक्टर और कमीशनर को पॉवर दे रहे हैं और वे पावर्स किस प्रकार की हैं? म्युनिसिपल बोर्ड ने निर्णय लिया किसी काम को करने के लिए, यदि कलेक्टर और कमिश्नर यह समझते हैं कि यह काम उचित नहीं है उनकी दृष्टि से, उस काम को वे रोक दें और रोकें ही नहीं, आगे उस काम का बिलकुल बन्द कर देंगे।

[श्री भैरोंसिंह]

सरकार की जो इस प्रकार के हस्तक्षेप से मानोवृत्ति है वह स्पष्ट झलकती है, उसकी मनोवृत्ति क्या काम करती है, इन सारी बातों पर सोचना है कि नगरपालिका के हक किस काम के हैं, उनका निर्माण ही फिर क्यों किया, ए. से लेकर जेड तक सारे के सारे जो काम नगरपालिका को करने चाहिए उन कामों के लिए नगरपालिका को एक भी काम अपने दिमाग से करने की इजाजत नहीं है। कलेक्टर और कमिश्नर जबरदस्ती से काम करा सकते हैं, सरकार जबरदस्ती काम करा सकती है, सरकार जबरदस्ती कानून बना सकती है, सरकार जबरदस्ती बने हुए कानूनों में ज्यादा हेरफेर कर सकती है, सरकार चाहे तो म्युनिसिपेलिटी को डिज़ोल्व कर सकती है, सरकार चाहे तो म्युनिसिपलिटी को सुपरसीड कर सकती है, जबरदस्ती बजट में हेरफेर कर सकती हैं, म्युनिसिपेलिटी पर डिक्री लाकर जबरदस्ती रुपया वसूल कर सकती है, इस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड्स के सारे के सारे जो फन्क्शन्स हैं वे सब सरकार के हाथ में चले गये हैं, जो थोडा बहुत काम बचता है, सरकार और उनके बीच का था उसके लिए भी सरकार नहीं चाहती है और सरकार चाहती है कि उसके लिए कलेक्टर और कमिश्नर को पॉवर्स दे दें। कोई भी आजादी से म्युनिसिपेलिटी को स्वतन्त्रता से काम करने की छूट नहीं है। एक थोड़ी सी मिसाल आयी। कुछ धारायें हमने कल पास की थीं। कलेक्टर से इमरजेन्सी में काम कराने के सम्बन्ध में म्युनिसिपेलिटी को खर्चा देना पड़ेगा। माननीय मंत्रीजी ने बताया था कि इमरजेन्सी कोई काम करने की आवश्यकता महसूस की जा सकती है, इमरजेन्सी के समय नगरपालिका लाजमी तौर पर काम करे, कलेक्टर लाजमी तौर पर काम कराये। मंत्रीजी के इस विश्वास पर कि इमरजेन्सी में इस प्रकार के पावर्स कलेक्टर को दिये जा रहे हैं कि कोई काम कराये, आगे इसकी नौबत नहीं आयगी, उस क्लॉज़ को पास किया। हमने सरकार को पहले के क्लॉजेज़ में यह भी अधिकार दिया कि किसी भी काम को कराने के लिए सरकार म्युनिसिपेलिटी को आदेश दे सकती है, वह म्युनिसिपेलिटी अगर नहीं करती है तो अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, उस नगरपालिका को सारा खर्चा देना पड़ेगा। फिर किस कारण से कलेक्टर और कमिश्नर को ये पावर्स देते हैं कि वे जिस तरह से चाहे म्युनिसिपेलिटी के कामों में दखल करें। इसका मतलब तो यही होगा कि नगरपालिका बराये नाम मात्र की है, कलेक्टर और कमिश्नर का हुक्म सर्वोपरी होगा, कलेक्टर और कमिश्नर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा।

जयपुर नगरपालिका का प्रश्न हमारे सामने रखा है। जयपुर की ४ लाख जनता चाहे जो कार्य उनकी भलाई का हो करें, उनके सदस्यों को छूट है, चुने हुए सदस्य कोई डिसिज़न लेते हैं। कमिश्नर और कलेक्टर का निर्णय जयपुर नगर के सारे निवासियों के विरुद्ध है, लेकिन कलेक्टर चाहेगा जो होगा, वह कह देगा कि यह काम नगरपालिका को करना चाहिए, जो नगरपालिका कर रही है वह किसी सूरत में नहीं हो सकता है और अव्वल तो हुक्म देगा कि निर्णय कमिश्नर कर रहे हैं, एक्जीक्युशन का सस्पेन्शन कर दो। कागजों को देखने की बात है, यह काम नहीं होना चाहिए, दुबारा हुक्म आयगा कि काम को रोक दीजिये। तो फिर यही क्यों नहीं कहा जाय कि कमिश्नर और कलेक्टर ही सब कुछ हैं, नगरपालिका बराये नाम की है। जब बराये नाम बताते हैं

[श्री भैरूं सिंह]

तो लोकल बोडीज् को पावर्स देते हैं, इस प्रकार का ढोंग मत रचो। स्पष्ट रूप से कह दें कि पॉवर्स नहीं देते हैं। अगर नगरपालिका को अधिकार नहीं दिया जाता है तो उनका क्या हाल होगा? अगर आपको एक्सपीरियेन्स करना है तो एक मामूली दो-तीन डिस्ट्रिक्ट बनाइये, एक्सपीरियेन्स हो जायगा। राजस्थान के अन्दर आज से नहीं किन्तु बीस बीस बर्षों से नगरपालिकायें काम कर रही हैं। एक्सपीरियेन्स तकाजा करता है कि म्युनिसिपेलिटी की रोज मर्रा के कामों में इस प्रकार से कलेक्टर और कमिश्नर को दखल करने के अधिकार नहीं दे। लोकल बोडीज् को ज्यादा से ज्यादा पॉवर्स दें, हमारा यह एक्सपीरियेन्स है और पावर्स जो इस प्रकार से अपना रहे हैं, उनका डिसेन्ट्रेलाइज् करें, उस समय जब कि पॉवर्स को डिसेन्ट्रेलाइज् करने की आवश्यकता है और अधिक पावर्स सेन्ट्रेलाइज् करने की चेष्टा न होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इर क्लॉज़ द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि नगरपालिकाओं को नाम मात्र की कठपुतली कर दी जाय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कठपुतलियां कोई काम कर सकेंगी, यह संभव नहीं है। यदि आपको इस तरह से बनाना है तो इस सब को हटा दें। इससे जनता पर एक प्रकार का बोझा आयेगा। इलेक्शन में खर्चा करना पड़ेगा, कई प्रकार के झगड़े होंगे, इलेक्शन पिटीशन कोई करेगा तो उस पर खर्चा आयेगा, चेयरमैन को तनख्वाह देनी पड़ेगी। म्युनिसिपल फंकशन्स को पूरा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर कुछ खर्चा करना होगा और वह सारा का सारा खर्चा मिलाकर जनता पर भारस्वरूप होगा और उस भार को वहन करने के लिए टेक्स लागू करने पड़ेंगे। इस सारे झंझट को दूर करने के लिए सरकार किसी प्रकार काम करने की व्यवस्था कर दे, तो ये सारी बातें निरर्थक हैं। तो आप इनको भंग कर दें और आयन्दा इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इनकी आवश्यकता समझती है तो इसको काम करने की पूरी छूट दें, ताकि वह जैसा चाहे वैसा करे। सरकार यदि उचित समझे तो काम करने दे और अनुचित समझे तो आज्ञा देकर भंग कर दे, लेकिन हम कलेक्टर और कमिश्नर को किसी प्रकार का अधिकार नही देंगे कि हमारे रोजमर्रा के काम में एग्जीक्युशन को रोक दे और उसके पीछे हम वकालत करते फिरें। एक तरफ उनके आदमी खड़े हों और दूसरी तरफ बोर्ड के मेम्बर खड़े हों और कमिश्नर या कलेक्टर के कटहरे के सामने खड़े रह कर कमिश्नर को कहें कि जो फैसला किया है वह ठीक है। मैं समझता हूँ कमिश्नर या कलेक्टर नगरपालिका के सम्मुख खड़े रहने चाहिये और उनकी अपील म्युनिसिपेलिटी के सामने होनी चाहिये कि आपने जो फैसला किया है वह ठीक है या गलत। डेढ़ लाख जनता के चुने हुए नुमायन्दे कमिश्नर और कलेक्टर के सामने जाकर खड़े होंगे और कमिश्नर फैसला देगा कि तुमने जो फैसला दिया है वह गलत है...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कहां लिखा है?

श्री भैरूं सिंह (जारी)—आप शंका करते हैं, मैं बता दूंगा। "करेक्टनेस, लीगेलिटी और प्रोप्राइटी-' ये तीन शब्द ऐसे हैं कि कोई भी काम इन तीन शब्दों से बच कर नहीं निकल सकता।

[श्री भैरोंसिंह]

किसी को कह सकते हैं कि यह रूल्स के अगेन्स्ट है, किसी को कह सकते हैं कि यह बदनीयती से किया गया है, करेक्टनेस, जिसमें लीगल भाषा को गलत समझ कर लागू किया, इस प्रकार की कई बातें होंगी जिनमें गलती निकाल सकते हैं। जहां इस प्रकार का उपयोग होगा वहां यह मान कर चलना चाहिये कि इस प्रकार के जनरल पोवर्स हमें कलेक्टर को देने हैं या नहीं। आगे ये शब्द लिखे हैं :

"In the case of a city the State Government and in the case of any other municipality the Commissioner may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety... of any order passed under this Act respectively by a Commissioner or a Collector or other officer appointed by the State Government in that behalf........"

यह कलेक्टर शब्द इस जगह आया है, फिर भी सरकार द्वारा कोई मनोनीत अधिकारी का भी हवाला इसमें आया है। मतलब यह कि कलेक्टर के नीचे का आदमी तहसीलदार भी नियुक्त किया जा सकता है। कलेक्टर से नीचे का अधिकारी एग्जीक्युटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी भी है, उसको भी पोवर दिया जा सकता है कि वह नगरपालिका के काम को ठीक समझता है, तब तो ठीक है और यदि उस काम को वह गलत समझता है तो उस काम को बंद कर दे या बंद करने का स्टे ऑर्डर दे दे। जिस तरह से तुम चाहो वैसा करो। ऐसा करने से एग्जीक्युटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी या कमिश्नर और दूसरी तरफ नगरपालिका के चुने हुए मेम्बर्स के बीच आपस में संघर्ष होगा। आज हम यह चाहते हैं कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, जनता की सेवा करने में एक दूसरे का ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। लेकिन यदि हमने नगरपालिका के काम में दखल करने का अधिकार उनको दे दिया तो मैं कहूंगा कि इन चीजों को लेकर संघर्ष होगा। मैं निवेदन करूंगा चेयरमेन महोदय, कि आज-कल कलेक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं ? मैं एक उदाहरण देता हूं और वह उदाहरण है झुन्झुनू का। वहां अभी नगरपालिका के चुनाव होने वाले है।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—अप्रासंगिक नहीं बनें।

श्री भैरूंसिंह—ईर्रेलेवेन्ट इसलिये नहीं है कि जिस चीज का मैं विरोध कर रहा हूँ वह झुन्झुनू में घटी है। यदि आप चाहें तो मैं आपके सामने उदाहरण पेश करूं कि आजकल के कलेक्टर्स का स्टेन्डर्ड कैसा है ?

श्री कंवरलाल जेलिया—हर बार झुन्झुनू का नाम क्यों आता है ?

श्री भैरोंसिंह— कोटा का नाम भी आता है हर बार।

[श्री भैरोंसिंह]

मैं निवेदन कर रहा था कि झुन्झुनू में चुनाव होने वाले हैं। कलेक्टर साहब ने वोटर्स की लिस्ट प्रकाशित की। उसमें कुछ आदमियों के नाम नहीं आये क्योंकि वे आदमी उस जगह के रहने वाले नहीं हैं। सत्तारूढ़ दल के आदमी यह चाहते हैं कि उनके नाम उसमें आ जायं इसलिये नोटिफिकेशन इश्यु होने के बाद कलेक्टर से दूसरा नोटिफिकेशन निकाला कि इसके खिलाफ कोई क्लेम्स या ओब्जेक्शन्स हो तो फाइल करिये। कलेक्टर ने राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट की एक धारा के अंतर्गत एक रिवाइजिंग कमेटी बनाई लेकिन रिवाइजिंग कमेटी में म्यूनिसिपल बोर्ड के जो दो सदस्य लिये जानेवाले थे वे नहीं लिये गये बल्कि सत्तारूढ़ पक्ष के २ आदमी ले लिये गये और वे जैसा चाहें वैसा कर रहे है। मेरे पास झुन्झुनू के ५ व्यक्ति आये हैं, जो बाहर बैठे हैं। यदि मंत्री महोदय चाहें तो मैं उनसे मिलाऊंगा और बताऊंगा कि वहां पर किस प्रकार की खिलवाड हो रही है...

श्री सभापति—इसलिदे तो रिवीजन के पोवर्स रखे हैं। इसमें म्युनिसिपेलिटी का सवाल नहीं हैं, कमिश्नर या कलेक्टर के ओर्डर को रिवाइज़ करने का सवाल है।

श्री भैरूंसिंह—मतलब यह है "In the case of a city the State Government and in the case of any other municipality the Commissionrr may, for the purpose of being satisiied as to the correctness, legality or propriety of any order passed under this Act respectively by a Commissioner or a Collector or other officer appointed by the State Government in that behalf, call for the relevant records and may, in doing so, direct that, pending the examination of the records, such order shall be held In abeyance."

अब आपका प्रश्न या यादवजी का प्रश्न यह आता है कि नगरपालिका के काम मे दखल नहीं होगी, बल्कि कमिश्नर या कलेक्टर कोई ओर्डर देगा उसमें दखल होगी। लेकिन कमिश्नर या कलेक्टर जो ओर्डर देगा वह ओर्डर किस बारे में होगा ? वह मूल में म्युनिसिपेलिटी के काम के बारे में ही होगा और मूल में जिस काम के लिये होता है वहां ही दखल होगी और मैं पैरवी करता आया हूं कि कलेक्टर और कमिश्नर को बिल्कुल हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। ये वे अधिकार हैं जिनका संबंध इमरजेन्सी की हालत से है। कलेक्टर और कमिश्नर को जो पोवर दिये हैं उससे संबंधित हैं। मैंने जब इमरजेन्सी पोवर्स का विरोध किया उस समय इस क्लॉज़ के लिये भी कहा था। सरकार गलत हुक्म देती है तो हस्तक्षेप करेगी, उनके लिये पोवर देने में कोई बात नहीं। जो विरोध किया था वह लीगेलाइज होता है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की सूरत बनती है, यह कांसिक्वेन्शियल सेक्शन हैं। इमरजेन्सी पोवर के विरोध में होने के कारण मैं चाहता हूं कि इसको हटाया जाय। जो इमरजेन्सी पोवर्स कलेक्टर को दिये हैं वे ओटोमेटिकली हट जायेंगे। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। मैं समझता हूं, मंत्रीजी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—चेयरमेन महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी तक क्लॉज़ ४५ पर निर्णय नहीं हुआ है और क्लॉज़ ४५ जिस तरह का है उसके माफिक यदि मेम्बर्स को हटाना है तो वह अधिकार किसी सिटी म्युनिसिपेलिटी में कमिश्नर के पास और दूसरी म्युनिसिपेलिटीज में कलेक्टर के पास होगा। मैं समझता हूं क्लॉज़ेज़ ४५ और ३०८ एक दूसरे से सम्बन्धित हैं इसलिये मैं समझता हूं जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस पर भी निर्णय नहीं होना चाहिये।

श्री सभापति—संबंधित मन्त्रीजी उत्तर के समय इसका भी उत्तर देंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर—सेक्शन ३०८ के अंतर्गत 'पोवर टू कॉल फोर रेकॉर्ड' के प्रोवीजन को सिलेक्ट कमेटी ने रीड्राफ्ट किया है। उसमें सिटी म्युनिसिपेलिटी के बारे में स्टेट को और टाउन म्युनिसिपेलटीज़ के बारे में कमिश्नर को अधिकार दिया है। ओरिजिनल में यह पोवर दोनों के लिये स्टेट गवर्नमेंट को था :

"The Committee is of the opinion that the revisional powers of the State Government contemplated in this clause would burden the State Government unnecessarily"

तो दोनों को स्लिप्ट करने का तात्पर्य यह था कि स्टेट गवर्नमेंट पर ज्यादा बर्डन नहीं पडे। लेकिन सिटी म्युनिसिपेलिटीज के लिये पोवर रखने में भी बरडन बढ़ता है इसलिये मैंने प्रस्ताव रखा है कि : Insubclause (1) for the words 'State Government' occuring first substitute 'officer or authority authorized in that behalf by the State Government"

और इसके कोन्सीक्वेन्शियल सब क्लॉज़ (२) में आता है:

"In sub-clause (2) for 'the State Government' substitute the officer or authority authorized as aforesaid."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा, चेयरमेन महोदय, कि क्लाज़ ३०८ में यह बात समझना कि बोर्ड के किसी कार्य में कमिश्नर या गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी, यह ठीक नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि कलेक्टर, कमिश्नर या गवर्नमेंट द्वारा मुकर्रर किया हुआ अधिकारी जिनको इस कानून के अन्तर्गत अधिकार दिये हुए हैं उन अधिकारों के अन्तर्गत अगर गलत आज्ञा देगा तो गवर्नमेंट को इतना अधिकार होगा कि उसकी आज्ञा को गवर्नमेंट मोडिफाई कर सकेगी।

क्लॉज़ २४५ के बारे में आपने कहा कलेक्टर, कमिश्नर को अधिकार जो क्लॉज़ ४५ देता है वह तो उसी में प्रोवाइडेड है, उसका इससे सम्बन्ध नहीं। उसकी अपील उसी के सब क्लॉज(६)में प्रोवाइडेड है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मान लीजिए कि ड्यूरिंग दी पेंडिंग कलेक्टर कमिश्नर क्लॉज़ ४५ के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथेरिटी होगी कि रेकार्ड अपने पास मंगाये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अपील प्रोवाइड कर दी है।

"And where the appeal is maintainable revision does not lie" ये तो रिविज़नल पावर्स हैं, मौजूदा एक्ट में इस प्रकार के पावर्स हैं, हाईकोर्ट में हैं, और दूसरी सब जगह हैं। अपील प्रोवाइड होती है तो बोर्ड की किसी आज्ञा के अन्दर इन्टरफीअर करने का अधिकार इसके अन्दर नहीं है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिनको इस कानून के मातेहत पहले अधिकार दे चुके हैं वे अगर उन अधिकारों का गलत उपयोग करते हैं तो उनकी आज्ञा को मोडिफाई करने के लिए सरकार को इस क्लॉज़ में रिविज़नल पावर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं आप से निवेदन करूं कि अभी झुन्झुनू के कलेक्टर ने जो कुछ किया उसके बारे में कहा गया, अगर यह क्लॉज़ नहीं रखेंगे तो झुन्झुनूं कलेक्टर ने जो कुछ किया उसके लिए आप गवर्नमेंट को नहीं कह सकेंगे! आप जो डिफेक्ट बता रहे हैं उस ही को ठीक करने के लिए यह रिविज़नल पॉवर रखा गया है। ऐसे केसेज़ में तीन चार आदमियों की एक ऑथेरिटी कायम का करने जो सुझाव रख गया है उसपर विचार कियाजायगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति प्रकट की है, वह इसकी मंशा नहीं है, उन्होंने जो डिफेक्ट बताये हैं उनको दूर करने के लिए यह रिविज़न पॉवर रखा गया है। अतः मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री सोहनलाल जी भटनागर ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३०८ में श्री भैरूंसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३०८, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३०८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३०९, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ३०९ ट्रांज़िटरी पीरियड के लिये रखा गया था। और सिलेक्ट कमेटी ने इसे निकाल दिया। ट्रान्जिशन पीरियड में जब तक कि नई म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव नहीं हो जायं, क्लॉज टू के अन्तर्गत रिपील हों तो ट्रान्जिशन पीरियड में बड़ी विषमता हो जायगी। इसलिए यह बिलकुल इन्नोसेन्ट प्रोविज़न है, इसे रखना उचित है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३०९ के बाबत श्री सोहनलाल भटनागर ने जो प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। पूर्व खण्ड रेस्टोर किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३१०

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष, चूंकि यह चेप्टर म्युनिसिपल कमिश्नर्स से सम्बन्ध रखता है इसलिये इसे डेफर कर दिया जाय। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि इसे फिलहाल डेफर कर दिया जाय।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज ३१० में मैंने ३ संशोधन उपस्थित किये हैं। पहला संशोधन तो यह है कि इसके मार्जिनल नोट में एग्ज़ीक्युटिव ऑफीसर के पहले "म्युनिसिपल कमिश्नर और" और बढा दिया जाय।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि क्लॉज़ एक के अन्त में यह जोड़ा जाय कि "और हर एक कौंसिल एक म्युनिसिपल कमिश्नर को अपोइन्ट करेगी, यह लाजिमी होगा और आवश्यकता हो तो एक सेक्रेटरी भी रख सकती है।"

मेरा तीसरा संशोधन "यह है कि इस धारा के सब क्लॉज (२) में एक एग्ज़ीक्युटिव ओफीसर और सेक्रेटरी से पहले एक म्युनिसिल कमिश्नर और' बढा दिया जाय।" यह मेरे पहले अमेंडमेंट का कोन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट होगा। इससे पहले मैंने धारा ४७ और ५५ में इस सम्बन्ध में सुभाव प्रस्तुत किया था और उनको सदन ने स्वीकार किया था कि हर नगर पालिका को म्युनिसिपल कौन्सिल कहा जाय और नगरपालिका के हर मेम्बर को कौन्सिलर कहा जायगा।

मैंने जो यह दूसरा अमेंडमेंट रखा है इसके स्वीकार हो जाने हर म्युनिसिपल कौंसिल को लाजमी होगा कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर अपोइन्ट करे, इसमें कोई दलील की आवश्यकता नहीं, किसी नगरपालिका का काम एग्ज़ीक्युटिव ओफिसर के बगैर नहीं चल सकता इसलिए यहां इसके लिये ओब्लीगेटरी कर दिया गया है कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर रखेगी और आवश्यकता होगी तो सेक्रेटरी भी रख सकती है। मेरे ये तीनों संशोधन मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इन्हें स्वीकार करेगा।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहूंगा कि इस सारे चेप्टर को ही डेफर कर दिया जाये तो अच्छा होगा, यदि डेफर नहीं किया जाता तो मैं एक एक धारा का नहीं सारे चेप्टर का ही विरोध करूंगा। यदि मन्त्री महोदय इसे डेफर करते हैं तो ठीक है नहीं तो मैं अपना भाषण शुरू करूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें क्लॉज़ेज़ ३१०, ३११, ३१३,३१६, ३२० क्लॉज़ेज़ सर्विसेज़ से डील करती हैं इसलिए इनको डेफर किया जाय। जिन क्लॉज़ेज़ पर कोई दिक्कत नहीं वे पास कर दिये जावें और दूसरों को डेफर कर दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह—पूरे चेप्टर को ही डेफर कर दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि दो-तीन क्लॉज़ेज़ हैं मगर उनका भी थोडा बहुत संबन्ध दूसरे डेफर्ड क्लॉज़ेज़ से है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ ३१५ है इसमें कोई प्रश्न नहीं है। इसको पास कर दिया जावे और ३१६ को डेफर कर दिया जावे और फिर ३१७ और ३२८ में कोई दिक्कत नहीं है इनको पास कर दिया जावे।

श्री भैरूंसिंह—इस चेप्टर को पूरा ही दूसरे ढंग से ड्राफ्ट किया जाए। जब इसको दूसरे ढंग से ड्राफ्ट करेंगे तो यदि इस समय कोई धारा पास करदी जावेगी तो उसका असर दूसरी धाराओं पर पड़ने से दिक्कत आवेगी। इसलिए अच्छा तो यही है कि इस पूरे के पूरे चेप्टर को डेफर कर दिया जाए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बहुत से क्लॉज़ेज़ ऐसे हैं जिनमें बहुत मामूली सी बातें हैं, ३२१, ३२२ में कुछ नहीं है। ३२० को डेफर कर दिया जाए।

श्री भैरूंसिंह—मामूली बातें तो हैं मगर उनका सम्बन्ध दूसरे क्लॉज़ेज़ से है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ ३२३ है इसमें कोई दिक्कत नहीं। ३२४ में कोई दिक्कत नहीं, ३२५ में भी कोई दिक्कत नहीं। इनको तो पास कर दिया जाय।

श्री भैरूंसिंह—एग्ज़िक्युटिव ओफीसर और सेक्रेटरी का स्टेटस क्या होगा यह तय करना है और उनको क्या क्या अधिकार होंगे यह तय करना है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि दूसरा ही ड्राफ्ट बना कर यदि पेश किया जायगा तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, इस चेप्टर को डेफर कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि चेप्टर १३ को फिलहाल डेफर किया जावे।

(स्वीकृत)

चेप्टर १३ डेफर किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, अब डेफर्ड क्लॉज़ में से क्लॉज़ (४) पर जो एमेंडमेंट है उसको ले लिया जावे तो ठीक होगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ४ में मैंने एक एमेंडमेंट प्रस्तुत किया है कि राजस्थान में तीन या ६ शहरों के लिये गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया है कि उनमें म्युनिसिपेल्टीज़ कायम की जा सके। तो मैंने क्लॉज़ ४७ और ५५ के द्वारा संशोधन उपस्थित किया है उसको सदन ने मंजूर कर लिया, उसके अनुरूप मेरा इस क्लॉज़ चार में संशोधन यह है कि इसमें म्युनिसिपल कौंसिल की डेफिनेशन जोड दी जावे और वह यह है :

"After sub clause (6) insert the following new sub-cluase:—

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

"(6.A)—'Council' means a municipal council established under this Act in a city and includes."

श्री उपाध्यक्ष—कौन से क्लॉज़ पर है ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्लॉज़ ४ के सबक्लॉज़ (६) के आगे ६ ए । नंबर तो दफ्तर में हो जाएगा । मेरा तो यह प्रस्ताव है कि कौंसिल की डेफिनिशन है उसको मैंने इस तरह से प्रस्तुत किया है :

'Council' means a municipal council established or deemed to be established under this Act in a city and includes, in any case where a power is expressed as being conferred or a duty as being imposed on a council, a Committee appointed by a council and any councillor, officer or servant of a Council authorised or required by or under this Act to exrcise the power or perform the duty, and 'Councillor' means any person who is lawfully a member of a council.

Explanation- -References in any provision of this Act other than clauses [2] and [3] of this Section, sub-sectionsd [1], [2] and [3] of Section 47, Section 55 and sub.Section [1] and [2] of Section 310 to a board or municipal board or to a mem. ber, officer or servant of a board or a municipal board or to the chairman, Vicechairman or Excutive officer of a board or a municipal board shall in the case of a city, be construed as being references respectively to a council or a municipal council or to a councillor, officer or servant of a council or a municipal council or to the President, Vice.President or municipal commissioner of a council or a Municipal council unless such constmction isrepugnant to the subject or context.

इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कौंसिल शब्द जहां जहां आया है इसके अनुसार कौंसिल कहलावेगा और जो नौकर हैं वे म्यूनिसिपल कौंसिल के नौकर कहलावेंगे । जब तक कि कोई दूसरा अभिप्राय उससे नहीं निकलता हो । यह मैंने क्लीअर किया है और जब धारा ४७ और ५५ पर जो संशोधन पेश हुए उनको मान लिया गया और वे धाराएं पास हो चुकी हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को भी स्वीकार कर लिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष, यह तो नाम चेन्ज करने की बात है । इसमें कोई दिक्कत नहीं है। युनिसिपलबोर्ड के बजाय म्युनसिपल कौंसिल किया जावे, इसको मंजूरकरने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ।

Page No 93

श्री हिम्मतसिंह—यह किस जगह जोड़ा जावेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—६ के आगे ६ ए नया जोड़ा जावेगा ।

श्री हिम्मतसिंह—यह ठीक नहीं रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—इसको सारे को एडजस्ट किया जावेगा ।

(अनौपचारिक चर्चा के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ को, संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

श्री हिम्मतसिंह—अब समय हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष—आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल सुबह ८ बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होगी ।

(सदन की कार्यवाही १२ बजकर ३० मिनिट पर दिनांक ४ मई, १९५६ के प्रातःकाल ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
नक-३ मई, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ७७७ का उत्तर देखिये)

गंगापुर सब डिविजन में जिला सवाई माधोपुर में कुल मुहाफिजों की संख्या व परीक्षा में उत्तीर्ण होने का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	नाम मुहाफिजान	परीक्षा में उत्तीर्ण होने का परीक्षा-फल	मुहाफिजों के सेवा काल की संख्या	मुहाफिज के पद पर कार्य करने के वर्ष	परीक्षा के पश्चात जयपुर में ओन ड्यूटी रहे।	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१.	श्री अब्दल हमीद खां	..	३ साल	३ साल		
२.	श्री अब्दुल अजीज खां	..	११ साल	११ साल		
३.	श्री गिलन सहाय	..	११ साल	११ साल		
४.	श्री अब्दुल अजीज खां	उत्तीर्ण	२० साल	२० साल		
५.	श्री मजहर ऊद्दीन खां	उत्तीर्ण	१२ साल	१२ साल		
६.	श्री घासीलाल	उत्तीर्ण	७ साल	७ साल		
७.	श्री सूरज मल	..	६ साल	६ साल		
८.	श्री गोविन्द सिंह	उत्तीर्ण	७ साल	७ साल		
९.	श्री भैरूं सहाय	उत्तीर्ण	७ साल	७ साल		

१	२	३	४	५
१०. श्री मोती लाल	उत्तीर्ण	१० साल	१० साल	३:१०.५५ से कस्टम से तबादला हो कर आया
११. श्री जगदीश प्रसाद	,,	८ साल	८ साल	
१२. श्री अहमद खां	,,	३१ साल	६ मास	१.७.५५ से कस्टम से तबादला हो कर आया
१३. श्री मोहम्मद सफीक खां	,,	७ साल	९ मास	
१४. श्री राधेश्याम	,,	८ साल	८ साल	
१५. श्री रामस्वरूप	,,	८ साल	८ साल	
१६. श्री कजोड मल	,,	१२ साल	१२ साल	
१७. श्री सूवालाल	,,	८ साल	८ साल	
१८. श्री बद्रीनारायण	,,	१३ साल	१३ साल	
१९. श्री रामांओतार	,,	१० साल	१० साल	
२०. श्री रेवती प्रसाद	,,	२ साल	२ साल	
२१. श्री कजोड़सिंह	,,	१० साल	१० साल	
२२. श्री गफूर खां	,,	७ साल	७ साल	

१	२	३	४	५
२३. श्री राम किशोर	..	६ साल	६ साल	
२४. श्री भोलानाथ	..	१० साल	१० साल	
२५. श्री अब्दुल बाकी	..	६ साल	४ साल	
२६. श्री इन्द्रलाल	उत्तीर्ण	३ साल	३ साल	
२७. श्री कपूर चन्द	..	२ साल	२ साल	
२८. श्री रणधीर सिंह	..	२ साल	२ साल	
२९. श्री नसीर मोहम्मद खां	..	२ साल	२ साल	
३०. श्री मिश्रीलाल	..	२ साल	२ साल	
३१. श्री अब्दुल खालिक खां	उत्तीर्ण	३ साल	३ साल	
३२. श्री ज्ञानसिंह	उत्तीर्ण	७ साल	६ साल	ज्ञानसिंह १ साल तक मेट रहा। सन् ३३ से ३७ तक राजपूताना-पंजाब राइफल सिपाही रहा। सन् २६ से ४३ तक जयपुर में इन्फेन्टरी में सिपाही रहा।
३३. श्री भादर सिंह	उतीर्ण	१० साल	१० साल	

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ७८३ का उत्तर देखिये)

दुर्गापुरा प्रयोगिक कृषिक क्षेत्र का वार्षिक आय व्यय विवरण पत्र

क्रमांक	वर्ष	आय	व्यय	विशेष विवरण
१	१९५०-५१	१२,९८६ ६३	४०,१४३ ४६	
२	१९५१-५२	६,९२८ १४६	२४,४७० १२३	
३	१९५२-५३	१२,१३६ ११९	२३,२०३ ६०	
४	१९५३-५४	२०,००२ १४९	२२,६३१ ६०	
५	१९५४-५५	११,४१४ ४९	३३,७३१ १३९	
६	१९५५-५६	१६,४३८ १२०	३३,७८२ २६	

७, ३२५ रु० सिंचाई के साधनों पर खर्च किया गया वह भी इसमें शामिल है। ६,८३५ कु० की मरम्मत और होज बनाने भूमि को बुलडोजर द्वारा समतल बनाने और यात्रा व्यय भीसम्मिलित है।

नोट—१९५५-५६ के आय वाले खाने में वर्ष की फसल जो खाते में पड़ी है उसकी आमद भी शामिल है।

२. फार्म की आय १९५४-५५ और १९५५-५६ में ५० प्रतिशत बढ़ गई है लेकिन दो सालों में बाजार में कीमत ६० प्रतिशत घट गई है।

जैसे गेहूं की दर १९५३-५४ में २० मन थी लेकिन गई २ सालों में गेहूं १३ रु० मन ही बिका, इसी तरह से गुड १९५३-५४ में १८ रु० मन था किन्तु गये सालों में ११ से १३ रु० मन ही बिका।

फलों की दरों का विवरण पत्र

क्रमांक	नाम पौधे	दर प्रति पौधा			विशेष विवरण
		रु०	आ०	पा०	
१	आम की कलमें	२	४	०	
२	अमरूद	०	५	०	
३	नीबू कागजी	०	५	०	
४	अनार	०	४	०	
५	अंगूर	०	५	०	
६	फालसा	०	५	०	
७	पपीता	०	३	०	
८	आम देशी	०	५	०	
९	नारंगी	०	४	०	
१०	करोंदा	०	११	०	
११	जामून	०	४	०	
१२	माल्टो	१	४	०	
१३	मोसम्मी	१	४	०	
१४	शहतूत	०	४	०	
१५	शरीफा	०	४	०	
१६	लहसवा	०	४	०	
१७	केला	०	४	०	
१८	कठहल	०	८	०	
१९	आडू	०	६	०	
२०	फूट	०	१२	०	
२१	आंवला	०	८	०	
२२	अंजीर	०	६	०	
२३	गुलाब	०	६	०	

	१	२	३	४
२४	मेंहदी	१० सैंकड़ा		
२५	अशोक	०	१२	०
२६	बागन बेलिया	०	४	०
२७	चमेली	०	४	०
२८	रायबेल	0	६	0
२९	कनेर	0	४	0
३0	रेलिया	१0 सैंकड़ा		
३१	गलतरी छोटा	0	४	0
३२	रातरानी	0	८	0
३३	गलतरी बड़ी	0	१२	0
३४	चांदनी	२0 सैंकड़ा		
३५	अचीनिया	0	४	0
३६	टिकम्बा	१0 सैंकड़ा		
३७	कचनार	0	४	0
३८	पनसटिया	0	४	0
३९	पीपल	0	४	0
४0	दूरन्टा	0	६	0

दुर्गापुरा उद्यान का विवरण पत्र
१९५३-५४

नाम	संख्या	कीमत रु०	आना	पाई
फलों के पौधे	२०६२८	६५६९	३	०
फूलों के व अन्य पौधे	१२३५	३१०	०	०
	२१८६३	६८७९	३	०

दुर्गापुरा उद्यान का विवरण पत्र

वार्षिक पौधे का वितरण व उसकी आय, सन् १९५४-५५

नाम	संख्या	कीमत		
फलों के पौधे	९२९०	२२५८	६	०
फूलों के व अन्य पौधे	१०३९	२५०		
	१०३२९	२५०८	६	०

दुर्गापुरा उद्यान का विवरण पत्र

वार्षिक पौधे का वितरण व उसकी आय, सन् १९५५-५६

नाम	संख्या	कीमत		
फलों के पौधे	१४५४४	४३२९	१२	०
फूलों के व अन्य पौधे	१४९२	२९६	१३	०
	१६०३९	४६२५	९	०

परिशिष्ट ३

(अतारांकित प्रश्न जो सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१ (१०।यू. एस) श्री भोलानाथ (१६)—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिचाई कार्यों में निम्नलिखित शीर्षकों में जिलेवार कितने रुपये खर्च हुए, पूरे विगत के साथ सूचना देने की कृपा करें ।

१	२	३	४
जिले का नाम	खर्च की रकम	आबादी	आबादी के अनुसार खर्च का अनुपात क्या होना चाहिये

५

प्रतिशत आबादी के अनुसार खर्च

कम हुआ या ज्यादा ।

(उत्तर अनुपलब्ध)

प्रश्न

२ (१७। यू.एस.) श्री भोलानाथ (१६) —क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. प्रथम पंच वर्षीय योजना में जिलेवार कितना बीज बांटा गया ?

२. क्या बीज बांटने में खेती योग्य चालू भूमि के अनुपात से प्रतिशत बीज कम या अधिक दिया गया ?

३. इस कमी या बेसी का क्या कारण है ?

उत्तर

१. उत्तर तालिका में संलग्न है ।

२. राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग तीन करोड़ एकड़ है जिसमें से २०१५६७० एकड़ में गेहूँ होता है। सामान्य बीज की दर के अनुसार जो कि ४० सेर प्रति एकड़ है सन् ५५ ५६, में संशोधित बीज improved seed बांटने में जो क्षेत्र आया हैं वह १,५०,६२१ एकड़ है। बीज वितरण के अनुसार गेहूँ बोने में कुल क्षेत्र का लगभग ८ प्रतिशत भाग शामिल किया जा चुका है।

३. काफी मात्रा में संशोधित बीज नहीं मिलता है इसलिये पूरे क्षेत्र में संशोधित बीज वितरण नहीं हो सका है। ज्यों २ कृषि फार्मों पर बीज की बढोतरी होगी त्यों २ संशोधित बीज अधिक मात्रा में बांटा जा सकेगा।

सन् १९५१–५२ में बांटे गये बीजों की तालिका

क्रम संख्या	जिला	गेहूं	आलू
१	कोटा	१२३	०
२	पाली	५२	१३
३	सवाई माधोपुर	४००	२००
४	टोंक	२००	६५
५	जयपुर	६५	३१९
६	अलवर	२०७	६७७
७	सिरोही	१५	०
८	डूंगरपुर	०	०
९	गंगानगर	२७३	६२
१०	चित्तोड़गढ़	८६	०
११	भीलवाड़ा	०	०
१२	जालोर	०	०
१३	भरतपुर	०	०
१४	बीकानेर	२००	०
१५	उदयपुर	२२४	०
१६	जोधपुर	६५	११
१७	झालावाड़	५०	५०
१८	बांसवाड़ा	२	०
१९	बूंदी	५	५५
		१,८२७	१,३८२

सन् १६५२-५३ में बांटे गये बीजों की तालिका

क्रम संख्या	जिला	मक्का	बाजरा	आलू	गेहूं
१	कोटा	१000	०	०	५००
२	पाली	0	0	0	५३१
३	सवाई मधोपुर	४५०	०	२११	0
४	टोंक	0	०	०	०
५	जयपुर	०	०	१८८	0
६	अलवर	०	०	0	५०
७	सिरोही	२००	३५	९५	८२
८	डूंगरपुर	०	०	०	००
९	गंगानगर	०	७	१३०	९६५
१०	चित्तोडगढ़	११००	०	०	१७००
११	भीलवाडा	८६	०	०	३००
१२	जालोर	०	०	१०	४०
१३	भरतपुर	५	५	११५	३00
१४	बीकानेर	०	०	०	०
१५	उदपुर	०	०	०	०
१६	जोधपुर	०	२	३६	५०५
१७	झालावाड	०	०	०	०
१८	बांसवाडा	०	०	०	१२५
१९	बूंदी	५००	०	६०	३००
		३३४१	४६	८३९	५३६८

सन् १९५३-५४ में जिन जिन जिलों में अच्छा बीज बांटा गया था उसकी तालिका निम्नांकित है

क्रम संख्या	जिला	धान मन	धान सेर	धान छु०	बाजरा मन	बाजरा सेर	बाजरा छु०	मक्का मन	मक्का सेर	मक्का छु०	ज्वार मन	ज्वार सेर	ज्वार छु०	गेहूं मन	गेहूं सेर	गेहूं छु०	विशेष विवरण
१.	जयपुर	०	०		८	०	०	१००	०	०	६	०		१२७४	३७	०	
२.	सवाई माधोपुर	२५	०		१५	०	०	७७	३०	०	०	०		३००	०	०	
३.	टोंक	१०	०		०	०	०	१५	०	०	०	०		३७८	६	८	
४.	अलवर	०	०		११	०	०	०	०	०	०	०		९४५	०	०	
५.	भरतपुर	५०	०		०	०	०	१५	०	०	०	०		११०७	०	०	
६.	कोटा	११५	०		१५	०	०	२०	०	०	०	०		०	०	०	
७.	बूंदी	२६	०		०	०	०	१८-२०		०	०	०		३३०	०	०	
८.	झालावाड़	०	०		०	०	०	०	०	०	०	०		०	०	०	
९.	जोधपुर	०	०		०	०	०	०	३०	०	०	०		११५६	०	०	
१०.	पाली	२५१	०		०	०	०	२०५	०	०	०	०		६१७४	१२	२	
११.	श्री गंगानगर	०	०		२७	३०	०	३००	०	०	०	०		४२०९	३०	०	
१२.	उदयपुर	३०९	१५		०	०	०	५६४	१५	९	०	०		१०५०	०	०	

१		२		३			४			५		६			७
१३.	चित्तौड़गढ़	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	१५१४	०	०	
१४.	नागोर	०	०	५	०	०	५	०	०	०	०	६७२	२०	०	
१५.	बांसवाडा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१६.	डूंगरपुर	५०	०	७	०	०	३११	१२	०	०	०	४८४	२०	०	
१७.	सिरोही	०	०	२०	०	०	७५	०	०	०	०	८५४	०	०	
१८.	जालोर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१८०	०	०	
१९.	भीलवाड़ा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४५०	०	०	
		८३६—१५—०		१०१—५०—०			१७३९—३७—४			२७—०		२४३८०—५—१०			

सन् १९५४-५५ में बीज वितरण किया गया उसकी तलिका

जिला	चावल मन	चावल सेर	मक्का मन	मक्का सेर	ज्वार मन	ज्वार सेर	गेहूं मन	गेहूं सेर	जो मन	आलू मन
१. जोधपुर	०	०	१८	५	०	०	२७८०	०	०	३०
२. पाली	६५	०	०	०	०	०	१००००	०	८५	१५०
३. जालोर							१६९३		२४	१४
४. नागोर							३०००		७०	७०
४. सिरोही	१	०	७५	०	१०	०	१४००	०	१००	६०
६. जयपुर	०	०	०	०	०	०	५२११	०	०	३३८
७. सवाई माधोपुर	२४	१०	०	०			२१२७	०	२०	१००
८. अलवर	०	०	०	०	३९८	२२	८५८	०	०	२१६
९. भरतपुर	०	०	०	०	०	०	५४८३	०	०	१२००
१०. टोंक	१०	०	२५	०	७३	०	८०९	०	०	७५
११. उदयपुर	११४	०	१२५	०	०	०	२०००	०	३४	२४०
१२. चित्तोडगढ़	४	०	०	०	०	०	१०३४	०	०	१५

१	२	३	४		५		६		७	
१३. भीलवाडा	०	०	०	०	०	०	७४०	०	०	५०
१४. बांसवाडा	०	०	०	०	०	०	५००	०	०	१००
१५. डूंगरपुर	६५	०	७१	०	०	०	२५०	०	०	२००
१६. श्री गंगानगर	०	०	०	०	०	०	७०६५	६	२५	३०
१७. कोटा	३००	०	०	०	०	०	५०४५	१२	०	१००
१८. बूंदी	११७	१४	०	०	०	०	११००	०	०	२४
१९. झालावाडा	२०	०	०	०	०	०	१०००	०	०	१५०
	६८५	२४	३७१	५	४८१	२२	५२६६५	२१	२६४	३१७६

सन् १९५५-५६ में बांटे गये बीजों की तालिका

क्रम संख्या	जिला	गेहूं	चना	आलू
१	भीलवाडा	२९२५	०	०
२	सवाई माधोपुर	१००५५	०	२२२
३	अलवर	४६३३		८०
४	कोटा	१५००२	०	१३७
५	पाली	३०२४२	०	२४०
६	जोधपुर	८२६१	४००	१००
७	सिरोही	२२४२	०	०
८	जालोर	८६७८	०	०
९	श्री गंगानगर	१९८४६	१५०	०
१०	नागोर	१४००९	३०७४	१२०
११	बूंदी	३३००	०	२०
१२	झालावाड	३५९०	०	१४०
१३	कपासिन	३९३२	०	१७६
१४	उदयपुर	३०२३	०	१००
१५	जयपुर	४५००	०	३०६
१६	भरतपुर	१२८५२	०	५७
१७	बांसवाडा	२६२९	०	०
१८	डूंगरपुर	१२१	०	३००
		१,५०,६२१	३,६२४	१,९८४

Page No 110

प्रश्न

३ (१८ा यू.एस) श्री भोलानाथ (१६)—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में तकावी में जिलेवार निम्नलिखित शीर्षकों में कितने रुपये खर्च हुए हैं —

(१) बैल

(२) बीज

(३) पम्प

(४) ट्रैक्टर

(५) कुऐं

(२) प्रत्येक शीर्षक में यह खर्च अनुपात आबादी के हिसाब से प्रतिशत कम या अधिक हुआ है ?

उत्तर

१ इस शीर्षक का इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(२) तालिका में संलग्न है।

(३) तालिका में संलग्न है ।

(४) तालिका में संलग्न है ।

(५) कुओं के बारे में उत्तर इस विभाग से नहीं दिया जा सकता चूंकि इसको वितरण जिलाधीश करते हैं। वार्षिक वितरण जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुवा है वह तालिका में संलग्न है।

(२) ये ऋण आबादी के अनुपात से नहीं दिये जाते हैं। इस विभाग के पास जितने भी प्रार्थनापत्र सरकार के नियमानुसार आते हैं उन सबों को ऋण स्वीकृत किया जाता है।

Statement showing. the Distt. wise and Year wise Expenditure incurred unber

'Seed Scheme' form 1950-51 to 1955-56.

S. No.	Name of District.	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56 Upto Dec,' 55
1.	Jaipur.			3,285/-	8,700/-	77,130/-	2,45,000/-
2.	Alwar.			542/12/-	11,450/-	8,000/-	63,425/9/6
3.	Bharatpur.			740/-	10,300/-	74,500/-	2,13,900/-
4.	Bundi.			54,720/15/-	35,593/6/-	1,00,000/-	1,30,097/1/
5.	Kotah.			37,994/7/9	50,802/10	83,604/6/-	2,15,000/-
6.	Jhalawar.			1,207/4/-	640/13/9		20,000/-
7.	Tonk.			3,856/6/3	3,245/14/-	5,000/-	22,000/-
8.	Pali.			4,744/6/-	1,71,766/-	2,06,999/3/	3,16,902/4
9.	Sirohi.			7,575/3/9	6,600/-	7,672/8/-	27,000/-
10.	Bhilwara.			60/-	16,250/-	600/-	37,387/2/
11.	Banswara.			100/-	-	2,000/-	14,000/-
12.	Udaipur.			125/-	35,273/13/6	20,000/-	94,200/-
13.	Chittor.			-	8,600/-	1,500/-	32,000/-
14.	Dungarpur			31,350/3	7,236/14/3	1,000/-	-
15.	Jodhpur.			40/-	38,000/-	40,000/-	1,23,000/-

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Jalore.			224/1/-	3,250/-	6,493/8/-	51,800/-
17.	Nagaur.			-	1,900/-	34,000/-	2,18,706/6/
18.	Sawai Madhopur.			8,142/8/3	8,529/7/9	15,350/-	61,500/-
19.	Ganganagar.			15,629/11/-	1,23,695/7/9	175,000/-	3,75,100/-
			Total:-	1,70,337/12/3	5,41,834/14/9	8,58,849/9/-	22,61,018/6/6

1. Statement showing the expenditure incurred under First Five Year Plan for pumping set.

S. No.	Name of district.	Amount sanctioned. 1951-52	52-53	53-54	54-55	55-56 upto Feb.'
1.	Jodhpur	17,500/-	28,070/-	22,500/-	•	•
2.	Nagaur.	5,000/-	12,500/-	9,000/-	•	•
3.	Pali.	15,480/-	11,637/-	6,000/-	•	13,398/-
4.	Jalore.	-	5,000/-	-	-	-
5.	Sirohi.	-	8,967/8	3,000/-	•	•
6.	Jaipur.	11,175/-	14,200/-	21,850/-	8,000/-	22,400/
7.	Sawai Madhopur.	-	-	1,500/-	-	-
8.	Tonk	-	13,640/-	-	•	1,800/-
9.	Alwar.	8,950/-	65,805/-	34,500/-	-	25,000/-
10.	Bharatpur.	17,402/-	5,722/-	16,849/.	-	1,200/-
11.	Sika.	-	-	-	-	5,400/-
12.	Jhunjhunu.	9,000/-	7,200/-	3,000/-	-	-
13.	Kotah.	14,982/-	4,875/-	14,500/-	•	•
14.	Bundi	1,500/-	-	4,500/.	-	-
15.	Jhalawar.	6,450/-	3,700/-	-	•	1,600/-
16.	Jhalawar.	6,450/-	1,000/-	4,500/-	•	2,000/-
17.	Bhilwara.	3,000/-	6,780/-	1,500/-	-	-
18.	Chittor.	26,967/.	19,500/-	9,000/-	-	•
19.	Banswara.	-	32,492/8/-	1,500/-	-	3,234/-
20.	Dungarpur.	1, 000/-	34,600/.	1,150-	-	30,652
21.	Churu.	5,000/-	8,312/-	3,000/-	•	•
	Total:—	149,868/-	2,98,056/-	1,56,849/-	8,000/-	1,06,684

४७८६ परिशिष्ट

Statement showing the expenditure incurred under First Five Plan for Tractor

S. No.	Name of the 5 District.	Amount. 1-52 52-53	53-54	sanctioned. 54-55	55-56 Upto Feb.'56.
1.	Johpur.	58,425/-	58,320/-	20,000/-	19,000/-
2.	Nagaur	5,000/-	19.500/-	32,500/-	7,000/-
3.	Pali.	32,100/-	21,857/-	20,000/-	10,000/-
4.	Jalore.	-	13,000/-	13,940/-	13'500/-
5.	Barmer.	5,000/-	-	-	-
6.	Jaipur.	64,015/-	59,500/-	20,000/-	10,000/-
7.	Sawai Madhopur	10,000/-	-	-	19,569/-
8.	Tonk.	23,000/-	8,000/-	:	5,000/-
9.	Alwar.	45,500/-	48,000/-	10,000/-	5,000/-
10.	Bharatpur.	1,43,719/-	102,102/-	10,000/-	-
11.	Jhunjhunu.	-	6,770/-	-	-
12.	Kotah.	34,340/-	41,000/-	15,665/-	18,290/-
13.	Bundi.	20,000/-	5,000/-	12,000/-	10,000/-
14.	Udaipur.	-	15.000/-	-	15,000/-
15.	Bhilwara.	20,654/-	21,850/-	17,000/-	15,000/-
16.	Chittor.	10,000/-	30,000/-	-	-
17.	Sirohi.	-	-	-	5,000/-
		4,76,803	493,899/-	1,86,105/-	1,71,859

ये कुओं के आंकडे इस विभाग में उपलब्ध नही हैं क्यों कि यह ऋण जिलाधीश द्वार बतरित किया जाता है और वे ही वितरण करने के अधिकारी हैं, अत: वार्षिक वितरण जो प्रथम पंच-वर्षीय योजना में हुवा है दिया जाता है—

वर्ष	रुपया जो वितरित हुवा
१९५१-५२	इस वर्ष में इस कार्य के लिये रुपया ऋण देने हेतु कोई योजना न थी
१९५२-५३	४,६९,९३५ रुपये
१९५३-५४	१९,९९,६०० रुपये
१९५४-५५	२३,०२,००० रुपये
१९५५-५६	इस वर्ष में करीब ३० लाख रुपया मार्च के अन्त तक वितरित कर दिया जावेगा।

Page No 116

प्रश्न

४ १९। यू. एस.) श्री भोलानाथ (१९)—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में तकावी पर जिलेवार निम्नलिखित शीर्षकों में कितने रुपये खर्च हुये हैं

(१) बैल

(२) बीज

(३) कुऐ

(ख) आबादी के अनुसार इस खर्च का अनुपात प्रतिशत कम या ज्यादा है ?

Statement showing Loans advanced during the years 1051-52 to 1955-56 under P. Loans & Advances

Ordinary Taccavi.

S. No.	Name of the District.	Loans advanced during the year 1951-52	Loans advanced during the year 1952-53	1953-54.	1954-55.	1955-56. (Upto Jan. 56)
1.	Jaipur.	2,47,200	54,600	27,300	11,700	36,950
2.	Alwar.	45,000	31,800	22,200	85,300	49,625
3.	Bharatpur.	1,83,700	33,700	46,800	55,300	17,306
4,	Jhunjhunu.	11,100	25,500	6,000	11,200	17,000
5.	Sawai-Madhopur.	1 66,200	1,11,300	48,700	32,500	39,240
6.	Sikar.	25,900	24,200	10,000	15,000	10,000
7.	Tonk.	61,900	23,500	4,900	3,000	13,055
	TOTAL	7,41,000	3,04,600	1,65,900	2,14,000	2,37,775

1	2	3	4	5	6	7
8.	Jodhpur.	15.000	20,000	9 900	30000	31,000
9.	Barmer,	68,000	20,000	8,200	22500	50,000
10.	Jalore.	69,500	49,500	1,300	41300	11,500
11.	Jaisalmer.	9,800	10,500	-	2500	5 600
12.	Nagaur.	18,800	10,500	10,000	55000	60,000
13.	Pali.	4,000	19,300	52,000	49300	59,000
14.	Sirohi.	25,800	10,700	-	3000	13,350
	Total	2,10.900	1,40 500	81,400	1,936,00	2,30,450
15.	Kotah	40,000	49,400	70,000	20,300	68,500
19.	Bundi	23,600	23,300	21,300	10,000	32,000
17.	Jhalawar	30,000	28,000	45,000	28500	69,500
	Lotal	93,600	1,00,700	1,36,300	58,800	1,70,000

1	2	3	4	5	6	7
18	Bikaner	3,300	21,500	15,000	5,000	60,000
19.	Churu	2,600	34,000	70,000	85000	17,000
20.	Ganganagar	19,400	18,300	52,400	8,10,400	1,20.000
	Total	25,300	73,800	1,37,400	9,00,400	1,97,000
21.	Udaipur	3,18,200	74.500	57;500	58000	62,613
22.	Banswara	2.00,500	44,000	29.800	45,000	53,200
23.	Bhilwars	2,01.100	41,500	40,500	47,000	58!000
24.	Chittore	37,000		30,000	32000	30,500
25,	Dungarpur	39,900	38.000	22.000	40000	40,000
	Total	8.29,700	1,98.000	1,79,800	2.22,000	2,44,393
	Grand Total	19,00,500	8,17,600	7,00,800	15.88,800	10.79.618

Page No 120

प्रश्न

५ (२०।यू. एस.) श्री भोलानाथ (१६)—क्या सिचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न लिखित शीर्षकों में कितने रुपये खर्च हुए है

(१) चम्बल योजना

(२) भाखरा योजना और

(३) हरीके (राजस्थान कैनाल) योजना

उत्तर

१६७.७५ लाख रुपया।
३५३.१८ लाख रुपया
कुछ नहीं।

प्रश्न

६ (१२४। ए. टी. एम.) श्री हंसराज आर्य (५१)—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भाखरा डेम नहर से भादरा नोहर व हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ तहसील के कितने गांवों की बारानी भूमि को पानी मिलेगा और तहसीलवार कितने कितने एकड़ रकबे की सिंचाई होगी?

(ख) इस साल कितने कितने एकड़ रकबे को पानी तहसील वाईज़ लगा और उससे अनाज की पैदावार कितनी बढ़ने का अनुमान है?

(ग) यह नहर कब तक मुकम्मल हो जायेगी और इसके मुकम्मल होने में राजस्थान के हिस्से का कुल कितना खर्च होगा?

(घ) नहर के नीचे कुल कितने एकड़ रकबा आयेगा और उसमें कितना सरकारी है और कितना किसानों का है?

(ङ) किसानों को नहर के नीचे आने वले रकबे का कुल कितना मुआवजा दिया जावेगा और उसकी शरह फी एकड़ या बीघा क्या होगी?

(च) क्या यह मुआवजा किसानों को चुका दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और अब कब तक चुका दिया जावेगा?

(छ) क्या पानी लगाने के लिये वाटर कोर्स खुदवा दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या यह सही खुदवाये गये हैं? नहीं, तो क्यों नहीं?

(ज) क्या यह वाटर कोर्स किसानों को खोने पड़ेगे? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसानों से खर्चा वसूल करेगी और उस खर्च को शरह वसूल फी एकड़ या फी बीघा क्या होगी?

(झ) क्या इस नहर के सिंचाई ऐरिया की किला बन्दी हो चुकी है?

(ट) क्या सरकार ने किला बन्दी का खर्चा किसानों से वसूल किया है?

यदि हां, तो उस खर्च की शरह फी किला क्या रखी गई और भाखरा ऐरिया को कुल कितनी वसूली हुई है?

उत्तर

इस विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।